[केवल सरकारी प्रयोग हेतु]

शिक्षा विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

[परफारमेन्स]

आय–व्ययक

1982-83

NIEPA DC
D00395

-542
379.12
UTT-K

— 342
352.1252
UTT-S

[illegible] Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-395
Date 14.10.82

प्रस्तावना

शिक्षा विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफारमेन्स बजट) वर्ष 1975–76 से सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया है । इस समय वर्ष 1982–83 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट सदन के पटल पर रखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य विभागीय कार्यक्रमों, क्रियाकलापों तथा परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन, दिग्दर्शन, भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति और इस हेतु प्राविधानित धनराशि पर नियंत्रण रखना है ।

रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
शिक्षा सचिव ।

लखनऊ : 23 जनवरी, 1982

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
1––भूमिका––		
प्रारम्भिक शिक्षा	..	1
माध्यमिक शिक्षा	..	1–2
उच्च शिक्षा	..	2
राजकीय कर्मचारियों की संख्या	..	3
वर्ष 1981–82 में कार्यों का संक्षिप्त विवरण	..	3–4
छठीं योजना का परिव्यय	..	4
विभिन्न सूचकांकों की प्रगति	..	5
2––वित्तीय आवश्यकताएं––		
(क) कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का वर्गीकरण	..	6–11
(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	..	12–13
(ग) वित्तीय साधनों के स्रोत	..	14–15
3––वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण––		
(अ) अनुदान संख्या 55–लेखा शीर्षक–277–शिक्षा		
(क) प्राथमिक–शिक्षा		
(i) निदेशन और प्रशासन	..	16
(ii) निरीक्षण	..	17–18
(iii) राजकीय प्राथमिक विद्यालय	..	18
(iv) अशासकीय प्रारम्भिक विद्यालयों को सहायता	..	18–28
(v) शिक्षकों को प्रशिक्षण	..	28–32
(vi) न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम	..	32–34
(vii) अन्य व्यय	..	34–35
(ख) माध्यमिक शिक्षा		
(i) निदेशन और प्रशासन	..	35–36
(ii) निरीक्षण	..	36–38
(iii) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	..	38–39
(iv) अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	..	39–41
(v) छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	..	42–44
(vi) शिक्षकों का प्रशिक्षण	..	44–46
(vii) अन्य व्यय––	..	46
(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्	..	46–47
(ii) मनोविज्ञान शाला	..	47–48
(iii) केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय	..	48
(vii) शैक्षिक संग्रहालय	..	49
(xv) प्रकीर्ण अन्य व्यय	..	49–50
( ) अध्यापकों को राज्य पुरस्कार	..	50

विषय पृष्ठ-सं

(ग) विशेष शिक्षा

(i) प्रौढ़ शिक्षा योजना .. 50-

(ii) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम .. 52-

(iii) संस्कृत तथा अन्य प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता .. 54-

(iv) अन्य भाषाओं की शिक्षा ..

(घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा

(i) निदेशन और प्रशासन . 55-

(ii) विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिये सहायता/सहायक अनुदान .. 57-

(iii) राजकीय महाविद्यालय .. 58-

(iv) अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता/सहायक अनुदान .. 62-

(v) छात्रवृत्तियां .. 65-

(vi) पुस्तकों की प्रोन्नति .. 68-

(vii) अन्य व्यय ..

(iv) पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद का प्रान्तीयकरण एवं सुदृढ़ीकरण ..

(च) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण

1--युवक कल्याण योजनायें---

(1) विद्यार्थियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण .. 69-

(2) नेशनल फिटनेस कोर योजना .. 70

(3) राष्ट्रीय सेवा छात्रबल ..

(4) राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान कार्यक्रम ..

(छ) सामान्य व्यय

(1) छात्रवृत्तियां---

278-कला एवं संस्कृति ..

(ग) कला एवं साहित्य की प्रोन्नति ..

288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण ..

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े हुये वर्गों का कल्याण .. 72-

(1) अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान-लेखा शीर्षक-477-शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय ..

(2) अनुदान संख्या-70-लेखा शीर्षक--459-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (1) निर्माण अनावासिक भवन (ड) शिक्षा ..

(3) अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) लेखा शीर्षक-477-शिक्षाकला एवं संस्कृत पर पूंजीगत परिव्यय (प्राविधिक शिक्षा एवं खेलकूद को छोड़कर) ..

(4) अनुदान संख्या-33-लेखा शीर्षक-499-विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय-(क) पर्वतीय क्षेत्र का विकास सार्वजनिक निर्माण विभाग (क) भवन-3-शिक्षा ..

(5) अनुदान संख्या 55-ऋण और अग्रिम शिक्षा लेखा शीर्षक-677-शिक्षा कला एवं संस्कृति के लिये ऋण (प्राविधिक को छोड़कर) ..

भूमिका

शिक्षा मानव के सर्वतोन्मुखी विकास का सर्वोत्तम साधन है। शिक्षा मनुष्य को वातावरण के अनुसार ढालने, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने, स्वस्थ्य जीवकोपार्जन करने तथा जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये शिक्षा को प्रदेश के नियोजित विकास में प्रमुख स्थान दिया गया है जिसके फलस्वरूप सभी योजना अवधियों में शैक्षिक सुविधाओं में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। शिक्षा की मूल नीति का उद्देश्य 14 वर्ष की आयु तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना तथा प्रौढ़ शिक्षा पर बल देना है।

शिक्षा निदेशालय में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के निदेशन, निरीक्षण तथा विकास से सम्बन्धित कार्य शिक्षा निदेशक द्वारा और उच्च शिक्षा के कार्यों का संचालन शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा हो रहा है। सामान्य शिक्षा के प्रशासनिक कार्य का विभाजन (1) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक (2) उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में विभक्त है। विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं के कार्यकलापों में समन्वय तथा एक सूत्रता बनाये रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का नया पद वर्ष 1981-82 म सृजित किया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा

पूर्व प्रारम्भिक (नर्सरी), प्रारम्भिक (जूनियर बेसिक) तथा पूर्व माध्यमिक (सीनियर बेसिक) स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र मे है। इन विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु राजकीय दीक्षा विद्यालय तथा शिशु प्रशिक्षण विद्यालय है। मुख्यतः प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों की देखभाल के लिये निदेशालय स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण), उप शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक), उप शिक्षा निदेशक (उर्दू), उप शिक्षा निदेशक (अर्थ), उप शिक्षा निदेशक (महिला), सहायक शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक), सहायक शिक्षा निदेशक (बालाहार), सहायक शिक्षा निदेशक (जीवन बीमा) तथा कई सहायक उप शिक्षा निदेशक हैं। वित्तीय कार्यों के सम्पादनार्थ एक संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ), ज्येष्ठ लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी तथा एक सहायक लेखाधिकारी हैं। 25 जुलाई, 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन करके जिला परिषदों तथा नगर पालिकाओं द्वारा संचालित पूर्व प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के संचालन तथा इन श्रेणियों के गैर सरकारी निजी विद्यालयों की मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण के कार्य इस परिषद् को दिये गये। संभाग स्तर पर इन विद्यालयों की देख-रेख का कार्य संभागीय उप शिक्षा निदेशक एवं संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) तथा विकास खण्ड स्तर पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा के कार्य की देख-रेख की जाती है। एक बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के मध्यान्ह आहार की भी व्यवस्था है। इससे सम्बन्धित खाद्य सामग्री की देख-रेख सम्बन्धित जिलों में स्टोर अधीक्षकों की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक पाठशालाओं एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को सामान्य स्तर की पाठ्य-पुस्तकें सुलभ कराने हेतु राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के निर्माण तथा मूल्य निर्धारण करने तथा उसके लिए रियायती मूल्य के कागज की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य पाठ्य-पुस्तक अधिकारी, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 से 10 की शिक्षा हाई स्कूलों में और 6 से 12 तक की शिक्षा इन्टर कालेजों में दी जाती है। राजकीय तथा अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं का संचालन, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं शारीरिक प्रशिक्षण का कार्य भी माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत किया जाता है। राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ एवं मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद आदि पुरुषों के लिये तथा राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद महिलाओं के प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। पुरुषों को शारीरिक प्रशिक्षण राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर में तथा महिलाओं को शारीरिक शिक्षा के अध्यापन का प्रशिक्षण महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में दिया जाता है। प्रदेश में हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन, नियमन, उनके पाठ्यक्रमों तथा पुस्तकों का निर्धारण तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जाता है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के कार्यों को सुसंगठित कर उनके प्रसार एवं प्रचार के कार्यों को भलीभांति निस्तारण करने हेतु शिक्षा निदेशालय में विभिन्न स्तर के अधिकारीगण हैं। इनमें अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत), उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उप शिक्षा निदेशक (सेवा), उप शिक्षा निदेशक (शिविर), उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान), सहायक शिक्षा निदेशक (भवन) एवं सहायक निदेशक (एन0 एक0 सी0) आदि हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई सहायक उप शिक्षा निदेशक भी हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर के वित्तीय मामलों की देख भाल करने के लिये निदेशालय में एक मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, चार लेखाधिकारी तथा एक सहायक लेखाधिकारी भी हैं।

प्रदेश के बालक/बालिकाओं के सम्पूर्ण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण एवं उन्हें विभिन्न प्रकार का अनुदान प्रदान करने का उत्तरदायित्व शिक्षा निदेशक पर है। शिक्षा निदेशक ही माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पदेन सभापति भी होता है। वर्ष 1975–76 से राज्य के माध्यमिक शिक्षा स्तर के बालक/बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में समानता लाने की दृष्टि से माध्यमिक स्तर की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का निर्माण भी आरम्भ कर दिया गया है और हाई स्कूल की हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों की और इन्टरमीडिएट की हिन्दी की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों छात्र/छात्राओं को सुलभ करा दी गई हैं।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा को प्रभावी संचालन हेतु प्रदेश को प्रशासकीय संभागों लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, नैनीताल एवं पौड़ी (गढ़वाल) में विभाजित किया गया है। संभागीय स्तर पर संभागीय उप शिक्षा निदेशक तथा संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका कार्यरत हैं। जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक और लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद जनपदों में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें भी कार्यरत हैं। आगरा, मेरठ, बरेली, नैनीताल तथा पौड़ी मण्डलों में संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें एवं 43 जिलों में सह जिला विद्यालय निरीक्षक भी कार्यरत हैं। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की देख रेख निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें उत्तर प्रदेश के माध्यम से की जाती हैं: निदेशालय स्तर पर इस कार्य के लिये उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) भी। इनके अधीन प्रत्येक संभाग में एक सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें भी हैं जो अपने–अपने क्षेत्रों में स्थित पाठशालाओं का निरीक्षण करते हैं।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण सुनिश्चित करने तथा उनसे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों के साथ समन्वित रखते हुये उच्च शिक्षा के नियमों एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा पर है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करने का कार्य भी इसी निदेशालय द्वारा किया जाता है। निदेशालय स्तर पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के सहायतार्थ एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, एक उप शिक्षा निदेशक, दो सहायक शिक्षा निदेशक तथा दो सहायक उप शिक्षा निदेशक कार्य करते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित वित्तीय मामलों की देख–रेख करने के लिये एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी तथा दो सहायक लेखाधिकारी भी हैं।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सामान्य शिक्षा के लिये सहायक अनुदान प्राप्त करने से सम्बन्धित समस्त कार्य शासन स्तर पर ही व्यवहृत होता है।

राजकीय कर्मचारियों की संख्या

1 अप्रैल, 1981 को सचिवालय के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न थी :

अधिकारी	कर्मचारी	योग
36	177	213

गत तीन वर्षों की शिक्षा विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या निम्न है :

वर्ष	राजपत्रित अधिकारी			अराजपत्रित कर्मचारी		
	स्थायी	अस्थायी	योग	स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1 अप्रैल, 1979	1,153	1,445	2,598	21,277	10,894	32,171
1 अप्रैल, 1980	1,445	1,153	2,598	21,277	10,894	32,171
1 अप्रैल, 1981	928	1,749	2,677	22,163	17,748	39,911

हमारे उद्देश्य—

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा से सम्बन्धित हमारे उद्देश्य निम्नवत् हैं :

प्राथमिक शिक्षा—

1—6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना । इस हेतु प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है ।

2—ह्रास एवं अवरोध को कम करने को प्रभावी कार्यवाही हेतु पहले से चले आ रहे कार्यक्रम को और अधिक लाभप्रद बनाना तथा स्कूलों की धारण क्षमता में वृद्धि करना ।

3—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लड़कों तथा लड़कियों को विद्यालयों में भर्ती करने के लिये विशेष बल देना ।

4—नये स्कूलों का सर्वेक्षण के आधार पर वरीयता क्रम में खोला जाना ।

अनौपचारिक शिक्षा—

5—परम्परागत शिक्षण प्रणाली में यदि किसी कारण वश एक निर्धारित आयु पर ही कोई बालक/बालिका शिक्षण संस्था में प्रवेश न ले अथवा उसमें पढ़ते/पढ़ती न रहे तो उसे शिक्षा से वंचित हो जाना पड़ता है । इस स्थिति के निराकरण हेतु प्रदेश में 6–14 वर्ष के बालक/बालिकाओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों द्वारा अंशकालीन शिक्षा दिया जाना ।

गुणात्मक सुधार—

6—प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये पाठ्यक्रमों में संशोधन करना शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ा जाना और उसमें समाजोपयोगी उत्पादन कार्य का पाठ्यक्रमों में समावेश करना ।

7—गुणात्मक सुधार के लिये स्कूलों को पाठ्य पुस्तकों के स्तर में सुधार लाना और शिक्षण और मूल्यांकन की गतिशील पद्धतियों को अपनाना, साथ ही अध्यापकों और निरीक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

माध्यमिक शिक्षा--

8--माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसके विकास के लिये सुनियोजित नीति का अपनाया जाना क्योंकि वर्तमान में यह विकास सामान्यतः स्वैच्छिक ढंग से हुआ है। अतः नये माध्यमिक विद्यालयों का पूर्ण रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खोला जाना एक बड़ी सीमा तक वर्तमान विद्यालयों में ही अतिरिक्त विषय वर्गों तथा अनुभागों की स्वीकृति देकर बहु संख्यक छात्र संख्या को समाविष्ट किया जाना।

9--क्षेत्रीय असमानताओं को कम्म करना जिससे प्रदेश में शैक्षिक असन्तुलन यथासम्भव दूर किया जा सके।

10--गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाना, पाठ्य-पुस्तकों का स्तर उन्नत करना आदि सम्मिलित है।

11--माध्यमिक शिक्षा में व्यक्तिगत प्रबन्ध अपना योगदान दे सके इस हेतु अतिरिक्त कक्षा, कक्षों, प्रयोगशालाओं के निर्माण, साज-सज्जा, विज्ञान सामग्री आदि के लिये अनुदान देना।

अध्यापक प्रशिक्षण--

12--अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करना। सेवारत पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों एवं निरीक्षकों के ज्ञान का समयानुकूल नवीनीकरण करना।

खेल-कूद--

13--छात्र/छात्राओं के शिक्षा के साथ सामाजिकता का प्रशिक्षण देने और उनके शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने आदि उद्देश्य से यथेष्ठ कार्यक्रमों का संचालन किया जाना।

प्रौढ़ शिक्षा--

14--प्रत्येक वयस्क को ऐसी शिक्षा दिया जाना जिससे वह देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में प्रभावकारी रूप से भाग ले सके और विकास कार्यक्रमों में योगदान दे सके।

छठी योजना का परिव्यय

सामान्य शिक्षा की छठी पंचवर्षीय योजना के लिये 158.20 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। 1980-81 में 22.67 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था।

वर्ष 1981-82 में 28.27 करोड़ रुपये के व्यय होने की सम्भावना है। 1982-83 के लिये 34.75 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इनका वर्गवार विवरण निम्न है :

(करोड़ रुपये में)

			1981-82			1982-83		
वर्ग छठी पंचवर्षीय का परिव्यय 1980-85	योजना	1980-81 वास्तविक	परिव्यय कुल	परिव्यय पर्वतीय	संभावित व्यय कुल	संभावित व्यय पर्वतीय	प्रस्तावित कुल	परिव्यय पर्वतीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 प्रारम्भिक शिक्षा	85.92	10.24	12.95	4.15	12.77	4.33	18.01	4.70
2 माध्यमिक शिक्षा	41.74	7.43	9.19	3.77	10.32	4.92	10.50	4.19
3 अध्यापक शिक्षा	5.72	0.25	0.68	0.07	0.56	0.08	0.91	0.08
4 वि0 वि0 शिक्षा	16.00	4.08	2.92	0.94	3.28	1.01	3.23	0.86
5 प्रौढ़ शिक्षा	4.81	0.20	0.74	0.21	0.41	0.03	0.85	0.06
6 क्रीड़ा एवं युवक कल्याण	0.88	0.09	0.18	0.03	0.15	0.01	0.24	0.03
7 निदेशक एवं प्रशा0	1.82	0.07	0.07	0.27	0.23	0.06	0.32	0.07
8 अन्य कार्यक्रम	0.60	0.22	0.07	0.01	0.95	0.01	0.44	0.01
9 पुस्तकालय सेवा	0.71	0.09	0.20	..	0.20	..	0.25	..
योग ..	158.20	22.67	27.20	9.25	28.87	10.45	34.75	10.00

विभिन्न सूचकांकों की प्रगति

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अपनाये गये उद्देश्यों तथा वर्ष 1982-83 के लिए निर्धारित परिव्यय के फलस्वरूप विभिन्न सूचकांकों की प्रगति निम्नवत् है :

मदें	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4
(क) प्राथमिक शिक्षा (वय वर्ग 6-11 वर्ष)			
1--विद्यालयों की संख्या	70,931	71,637*	72,157
2--छात्र संख्या (लाख में)			
बालक	64.05	65.77	67.48
बालिका	30.42	32.88	35.33
योग ..	94.47	98.65	102.81
3--अध्यापकों की संख्या हजार में	251	253	255
(ख) पूर्व माध्यमिक शिक्षा (वय वर्ग 11-14 वर्ष)			
1--विद्यालयों की संख्या	13,407	13,852*	13,872
2--छात्र संख्या (लाख में)			
बालक	21.62	22.56	23.51
बालिका	7.19	8.22	9.25
योग ..	28.81	30.78	32.76
3--अध्यापकों की संख्या हजार में	90	91	93
(ग) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा वय वर्ग 14-18 वर्ष			
1--विद्यालयों की संख्या	5,210	5,410	5.610
2--छात्र संख्या (लाख में)			
बालक	15.68	16.74	17.80
बालिका	3.16	3.78	4.40
योग ..	18.84	20.52	22.20
3--अध्यापकों की संख्या हजार में	82	89	96

*सितम्बर 1981 के बाद स्वीकृत विद्यालय इसमें सम्मिलित हैं ।

2--वित्तीय

क--कार्यक्रमों एवं क्रिया-

बजट शीर्षक	वास्तविक व्यय 1980-81			आय-व्ययक
	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर
1	2	3	4	5
277—शिक्षा--				
(क) प्राथमिक शिक्षा--				
I—निदेशन और प्रशासन	33,71	..	33,71	46,98
II—निरीक्षण	3,95,08	1,09	3,96,17	4,03,62
III—राजकीय प्राथमिक विद्यालय	62,23	..	62,23	63,37
IV—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	1,54,77,93	2,47,60	1,57,25,53	1,57,07,76
V—शिक्षकों का प्रशिक्षण	4,25,65	5,08	4,30,73	4,48,09
VI—न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम	..	2,85,30	2,85,30	..
VII—अन्य व्यय	1,79,30	31,70	2,11,00	2,00,01
योग (क) प्राथमिक शिक्षा (मतदेय) ..	1,65,73,90	5,70,77	1,71,44,67	1,68,69,83
(ख) माध्यमिक शिक्षा--				
I--निदेशन और प्रशासन	91,57	3,74	95,31	1,15,06
II--निरीक्षण	2,60,56	3,06	2,63,62	1,61,01
III--राजकीय माध्यमिक विद्यालय	15,73,40	51,59	16,25,09	16,30,42
IV--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	78,94,31	1,26,61	80,20,92	76,68,12
V--छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	84,00	18,84	1,02,84	96,12
VI--शिक्षकों का प्रशिक्षण	1,55,28	4,38	1,59,66	1,64,69
VII—अन्य व्यय	6,79,91	24,13	7,04,04	6,29,37
योग (ख) माध्यमिक शिक्षा (मतदेय) ..	1,07,39,03	2,32,95	1,09,71,98	1,04,64,79
(ग) विशेष शिक्षा—				
I--प्रौढ़ शिक्षा	38,50	1,45,64	1,84,14	13,99
II--आधुनिक भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की प्रोन्नति	..	2,00	2,00	..
III--संस्कृत शिक्षा	3,51,96	1,66	3,53,62	3,37,18
IV--अन्य भाषाओं की शिक्षा	..	1,41	1,41	..
योग (ग) विशेष शिक्षा ..	3,90,46	1,50,71	5,41,17	3,51,17

आवश्यकतायें

कलापों का वर्गीकरण

(हजार रुपयों में)

अनुमान 1981–82		पुनरीक्षित अनुमान 1981–82			आय–व्ययक अनुमान 1982–83		
आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
6	7	8	9	10	11	12	13
5,88	52,86	51,88	3,95	55,83	53,61	7,43	61,04
4,02	4,07,64	4,52,57	4,02	4,56,59	4,63,03	7,35	4,70,38
..	63,37	72,01	..	72,01	72,21	..	72,21
2,67,26	1,59,75,02	1,72,46,01	2,60,75	1,75,06,76	1,86,95,70	5,47,91	1,92,43,61
13,17	4,61,26	5,01,32	13,17	5,14,49	5,19,89	15,77	5,35,66
5,34,28	5,34,28	..	5,03,70	5,03,70	..	4,13,52	4,13,52
56,10	2,56,11	2,03,12	56,10	2,59,22	2,09,00	31,96	2,40,96
8,80,71	1,77,50,54	1,85,26,91	8,41,69	1,93,68,60	2,00,13,44	10,23,94	2,10,37,38
18,10	1,33,16	1,29,86	20,61	1,50,47	1,35,37	12,41	1,47,78
10,66	1,71,67	1,85,36	8,79	1,94,15	1,87,96	11,61	1,99,57
1,07,99	17,38,41	18,28,53	1,08,48	19,37,01	18,36,48	1,10,98	19,47,46
2,19,80	78,87,92	88,18,46	2,27,80	90,46,26	93,28,53	3,18,46	96,46,99
27,80	1,23,92	96,12	27,80	1,23,92	96,12	30,30	1,26,42
19,80	1,84,49	1,84,73	20,66	2,05,39	1,87,60	42,52	2,30,12
40,27	6,69,64	8,38,95	36,84	8,75,79	6,60,28	71,04	7,31,32
4,44,42	1,09,09,21	1,18,82,01	4,50,98	1,23,32,99	1,24,32,34	5,97,32	1,30,29,66
4,29,51	4,43,50	15,07	2,68,06	2,83,13	17,07	2,87,61	3,04,68
1,00	1,00	..	1,00	1,00	..	1,00	1,00
3,70	3,40,88	3,82,19	14,50	3,96,69	4,05,61	31,57	4,37,18
2,10	2,10	..	20,10	20,10	..	9,90	9,90
4,36,31	7,87,48	3,97,26	3,03,66	7,00,92	4,22,68	3,30,08	7,52,76

1	2	3	4	5
(घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा--				
I--निदेशन और प्रशासन	13,66	1,83	15,49	14,62
II--विश्वविद्यालयों और अप्राविधिक शिक्षा के लिए सहायता	3,03,52	1,25,74	4,29,26	6,84,70
III--राजकीय महाविद्यालय	1,64,86	22,08	1,86,94	1,76,33
IV--अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता	26,01,99	48,33	26,50,32	23,38,84
V--अध्यापकों का विकास कार्यक्रम	..	..	..	..
VI--छात्रवृत्तियां	40,73	14,38	55,11	50,93
VII--पुस्तकों की प्रोन्नति	..	..	..	..
VIII--अन्य व्यय	58,72	38,45	97,17	61,95
योग (घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उ0 शिक्षा	31,83,48	2,50,81	34,34,29	33,27,46
(च) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण				
III--युवक कल्याण योजनायें	2,92,70	36,10	3,28,80	3,39,32
योग (च) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण ..	2,92,70	36,10	3,28,80	3,39,32
(छ) सामान्य				
I--छात्रवृत्ति	4	..	4	24
II--अन्य व्यय	1,00,30	1,00,00	2,00,30	..
योग (छ) सामान्य ..	1,00,34	1,00,00	2,00,34	24
(ज) कर्मचारियों को स्वीकृत अन्तरिम सहायता	10,82,28	..	10,82,28	..
योग 277 (मतदेय) ..	3,23,67,19	13,41,34	3,37,08,53	3,13,52,81
278--कला एवं संस्कृति				
ग--कला एवं साहित्य	..	..	..	1,60
288--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				
क--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	23,50	56,55	80,05	2,69,74
213--मन्त्री परिषद	1,69	..	1,69	1,50
1--कुल योग 277, 278, 288 तथा 213	3,23,92,38	13,97,89	3,37,90,27	3,16,25,65

6	7	8	9	10	11	12	13
7,00	21,62	17,32	11,65	28,97	18,18	10,11	28,29
64,80	7,49,59	7,02,08	64,80	7,66,88	7,69,63	40,00	8,09,63
31,96	2,08,29	1,80,33	32,86	2,13,19	2,02,85	43,07	2,45,92
65,05	24,03,89	26,17,31	90,22	27,07,53	28,52,83	95,72	29,48,55
..	..	..	..	..	..	..	..
6,51	57,44	50,93	8,81	59,74	50,93	9,62	60,55
5	5	..	5	5	..	1,00	1,00
8,55	70,50	63,82	8,55	72,37	67,91	17,60	85,51
1,83,92	35,11,38	36,31,79	2,16,94	38,48,73	39,62,33	2,17,12	41,79,45
33,02	3,72,34	3,49,62	32,35	3,81,97	3,77,79	38,47	4,16,26
33,02	3,72,34	3,49,62	32,35	3,81,97	3,77,79	38,47	4,16,26
..	24	24	..	24	24	..	24
..	..	..	..	..	..	..	..
..	24	24	..	24	24	..	24
..	..	..	..	..	..	..	..
19,78,38	3,33,31,19	3,47,87,83	18,45,62	3,66,33,45	3,72,08,82	22,06,93	3,94,15,75
1,00	2,60	1,60	1,00	2,60	1,60	1,00	2,60
1,60,78	4,30,52	2,69,74	3,25,62	5,95,36	2,69,74	4,03,27	6,73,01
..	150	1,50	..	1,50	1,50	..	1,50
21,40,16	3,37,65,81	2,50,60,67	21,72,24	3,72,32,91	3,74,81,66	26,11,20	4,00,92,86

1	2	3	4	5
2--अनुदान सं0 33 लेखा शीर्षक "299--विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र--ग--शिक्षा--"	..	7,17,74	7,17,74	..
3--अनुदान सं0 33 लेखा शीर्षक 299--विशेष एवं पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्र--(ख) सार्वजनिक निर्माण विभाग--1- निर्माण कार्य (1) सीमावर्ती निर्माण कार्य-भवन कार्य--शिक्षा	..	..	..	..
4--अनुदान सं0 70 लेखा शीर्षक 259--सार्वजनिक निर्माण कार्य (2) (निर्माण) अस्वाभाविक भवन--शिक्षा	..	35	35	..
5--अनुदान सं0 72, सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन) लेखा शीर्षक "277--शिक्षा	..	..	..	45
6--अनुदान सं0 69 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) व्यय का अनुपातिक वितरण लेखा शीर्षक 477--शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	..	18,74	18,74	..
7--अनुदान सं0 70 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)--459--निर्माण-अनावासिक भवन-शिक्षा--	..	10,00	10,100	..
8--अनुदान सं0 72, सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालय भवनों लेखा शीर्षक 477--शिक्षा, कला और संस्कृत पर पूंजीगत परिव्यय (प्राविधिक शिक्षा एवं खेलकूद को छोड़कर)	..	17,6,50	1,76,50	..
9--अनुदान सं0 33 लेखा शीर्षक 499--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (क) पर्वतीय क्षेत्रों का विकास (1) सार्वजनिक निर्माण विभाग (क) भवन 3--शिक्षा	..	..	..	..
योग विभिन्न अनुदानों के पूंजीगत व्यय (क्रम--3 से 9 तक)	..	2,05,59	2,05,59	45
10--अनुदान सं0 55 लेखा शीर्षक 677--शिक्षा, कला एवं संस्कृत के लिए ऋण--क--विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा--ख--सामान्य शिक्षा	27,98	14,29	42,27	46,64
महायोग ..	3,24,18,67	23,35,51	3,47,5418	3,16,7124

6	7	8	9	10	11	12	13
7,44,66	7,44,66	..	8,42,23	8,42,23	..	9,41,84	9,41,84
..	..	..	..	..	..	..	..
36	36	..	36	36	..	36	36
..	45	45	..	45	..	..	..
18,26	18,26	..	17,96	17,96	..	13,73	13,73
9,80	9,80	..	600	600	..	..	..
1,56,30	1,56,30	..	1,55,95	1,55,95	..	99,45	99,45
1,82,30	1,82,30	..	1,82,30	182,30	..	1,06,43	1,06,43
3,67,02	3,67,47	45	3,62,57	3,63,02	..	2,19,97	2,19,97
9,84	56,48	56,48	..	56,48	56,48	..	56,48
32,61,168	3,49,32,92	3,51,16,10	33,77,04	3,84,93,14	3,75,36,64	37,73,01	4,13,09,65

"ख" उद्देश्यवार

क्रम-संख्या	मदों का नाम	वास्तविक व्यय 1980-81		योग
		आयोजनेतर	अयोजनागत	
1	2	3	4	5
1	वेतन (अधिष्ठान) ..	20,61,05	31,05	20,92,10
2	महंगाई भत्ता ..	11,02,15	17,03	11,19,18
3	यात्रा व्यय ..	1,00,01	7,96	1,07,96
4	अन्य भत्ते ..	85,32	4,28	89,60
5	कार्यालय व्यय ..	3,65,11	7,01	3,72,12
6	मुद्रण व्यय ..	30,00,13	25	3,00,38
7	(1) निर्माण कार्य ..	6,12	1,00	7,12
	(2) विभिन्न अनुदानों पर पूंजीगत निर्माण व्यय	..	3,02,85	3,02,85
8	निर्माण कार्य अनुरक्षण ..	9,01	39	9,40
9	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	21,34	72	22,06
10	भवन किराया उपशुल्क एवं कर ..	15,50	98	16,48
11	निवास गृहों पर जलकर ..	290	..	2,90
12	छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन ..	1,27,16	73,76	2,00,92
13	मोटर गाड़ियों का क्रय ..	13,03	1,60	14,63
14	सहायक अनुदान ..	2,66,13,21	7,13,94	2,73,27,15
15	अंशदान/राज सहायता ..	51,63	..	51,63
16	पेंशन/ग्रेच्युटी ..	2,17,92	..	2,17,92
17	बालाहार योजना ..	..	2,73	2,73
18	मशीन और सज्जा उपकरण एवं संयंत्र ..	8,77	11,60	20,30
19	मजदूरी ..	12,35	..	12,35
20	अन्य व्यय ..	1,59,02	1,64,06	3,23,08
21	टेलीफोन पर व्यय ..	8,18	13	8,31
22	अन्तरिम सहायता ..	10,87,28	..	10,87,28
23	शिक्षा कला और संस्कृति के लिए ऋण	27,98	14,29	42,27
24	278--कला एवं संस्कृति ..	..	..	..
25	लेखा शीर्षक 288--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	23,50	56,55	80,05
26	लेखा शीर्षक (299) विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र 'ग'--शिक्षा	..	7,17,74	7,17,74
	महायोग ..	3,24,18,67	21,29,92	3,45,48,59

टिप्पणी--(1) वर्ष 1981-82 का पुनरीक्षित अनुमान 3,49,29,41 हजार रुपया है ।

(2) वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 के विवरण-पत्र में बजट शीर्षक--"299--विशेष से प्रदर्शित कर दिये गये हैं

वर्गीकरण (हजार रुपये में)

आय-व्ययक अनुमान 1981-82		योग	आय-व्ययक अनुमान 1982-83		योग
आयोजनेत्तर	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	आयोनागत	
6	7	8	9	10	11
23,83,36	82,47	24,65,83	19,77,60	74·17	20,51,77
12,55,57	51,24	13,06,81	14,54,19	54,40	15,08,59
1,00,04	15,59	1,15,63	1,10,02	15,74	1,25,76
15,07	12,83	1,07,90	96,74	7,81	1,04,55
1,44,13	14,38	1,58,51	3,29,62	44,26	3,73,88
1,21,46	4,49	1,25,95	..	..	..
9,59	60	10,19	..	..	..
45	3,63,52	3,63,07	..	..	..
16,46	45	16,91	25,84	1,40	27,24
22,71	1,08	23,79	38,29	5,94	44,23
20,71	1,41	22,12	..	..	..
2,94	..	2,94	..	..	..
2,16,87	48,81	2,65,68	2,17,77	62,79	2,80,56
12,00	2,27	14,27	..	..	..
2,60,01,86	16,02,12	2'76,03,98	..	..	..
52,22	..	52,22	3,21,29,02	16,81,98	3,38,11,00
1,50,03	..	1,50,03	..	..	..
1,26,60	55,00	1,81,60	.3	..	..
17,12	41,84	58,96	..	..	..
14,00	20	14,20	..	..	..
5,76,43	43,33	6,19,76	5,86,27	2'51,32	8,37,59
13,63	27	13,90	3,37	56	3,93
..	..	..	2,40,09	6,56	2,46,65
46,64	9,84	56,48	..	..	..
1,60	1,00	2,60	1·60	1,00	2,60
2,69,74	1,60,78	4,30,52	2,69,74	4,03,27	6,73,01
..	7,44,66	7,44,66	..	9,41,84	9,41,84
3,16,71,23	32,58,18	3,49,29,41	3,74,80,16	35,53,04	4,10,33,20

एवं पिछड़े हुए क्षत्र-पर्वतीय क्षेत्र---ग---शिक्षा" (आयोजनागत) के अन्तर्गत वास्तविक व्यय एवं प्राविधान आदि अलग

क्रम-सं0	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 1980-81		
			आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
1	2	3	4	5	6
1-अ	55	लेखा शीर्षक 277-शिक्षा	3,23,67,19	13,41,34	3,37,0853
1-ब	55	लेखा शीर्षक-272-क-कला एवं संस्कृत	..	..	..
1-स	55	लेखा शीर्षक-288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	23,50	56,55	80,05
		कुल योग ..	3,23,90,69	13,9789	3,37,88,58
2	33	लेखा शीर्षक-299-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र-ग-शिक्षा	..	7,17,74	7,17,74
3	33	लेखा शीर्षक-299-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र-पर्वतीय क्षेत्र-ख सार्वजनिक निर्माण कार्य 1--निर्माण कार्य-- (i) सीमावर्ती निर्माण कार्य (ii) भवन शिक्षा	..	..	..
4	70	लेखा शीर्षक-259-सार्वजनिक निर्माण कार्य (2) निर्माण अनावासिक भवन (6) शिक्षा	..	35	35
5	72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन) लेखा शीर्षक-277-शिक्षा	..	..	..
6	69	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान व्यय का आनुपातिक वितरण लेखा शीर्षक-477-शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	..	18,74	18,74
7	70	लेखा शीर्षक-459-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (1) निर्माण अनावासीय भवन (ङ) शिक्षा	..	10,00	1,000
8	72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक) भवनों पर पूंजीगत परिव्यय-लेखा शीर्षक-477-शिक्षा कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	..	1,76,50	1,76,50
9	33	लेखा शीर्षक-499-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय-पर्वतीय क्षेत्र का विकास-1--सार्वजनिक निर्माण विभाग (क) भवन-3 शिक्षा	..	..	..
		योग विभिन्न अनुदानों के पूंजीगत निर्माण, कार्य-क्रम 3 से 9 तक	..	2,05,59	2,05,59
10	55	लेखा शीर्षक-677-शिक्षा कला एवं संस्कृति के लिए ऋण (क) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा (ख) सामान्य शिक्षा--	27,98	14,29	42,27
		महायोग ..	3,24,18,67	23,35,51	3,47,54,18

के स्रोत

(हजार रुपयों में)

आय-व्ययक अनुमान 1981-82			पुनरीक्षित अनुमान 1981-82			आय-व्ययक अनुमान 1982-83		
आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
7	8	9	10	11	12	13	14	15
3,13,52,81	19,78,38	3,33,31,19	3,47,87,83	1845,62	3,66,33,45	3,72,08,82	22,06,93	3,94,15,75
1,60	1,00	2,60	1,60	1,00	2,60	1,60	1,00	2,60
2,69,74	1,60,78	4,30,52	2,69,74	3,25,62	5,95,36	2,69,74	4,03,27	6,73,01
3,16,24,15	21,40,16	3,37,64,31	3,50,59,17	21,72,24	3,72,31,41	3,74,80,16	26,11,20	4,00,91,36
..	7,44,66	7,44,66	..	8,42,23	8,42,23	..	9,41,84	9,41,84
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	36	36	..	36	36	..	36	36
45	..	45	45	..	45	..	..	..
..	18,26	18,26	..	17,96	17,96	..	13,73	13,73
..	9,80	9,80	..	6,00	6,00	..	..	..
..	1,56,30	1,56,30	..	1,55,95	1,55,95	..	99,45	99,45
..	1,82,30	1,82,30	..	1,82,30	1,82,30	..	1,06,43	1,06,43
45	3,67,02	3,67,47	45	3,62,57	3,63,02	..	2,19,97	2,19,97
46,64	9,84	56,48	56,48	..	56,48	56,48	..	56,48
3,16,71,24	32,61,68	3,49,32,92	3,51,16,10	33,77,04	3,84,93,14	3,75,36,64	37,73,01	4,13,09,65

(क) प्राथमिक शिक्षा

I--निदेशन और प्रशासन--

(हजार रुपयों में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	33.71	5188	6361
आयोजनागत	..	395	743

बेसिक शिक्षा के सुचारु संचालन हेतु वर्ष 1972-73 में बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया था। बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत नर्सरी एवं केण्डर गार्टन प्राइमरी एवं मिडिल स्तर की शिक्षा आती है। इसके प्रशासन, नियंत्रण एवं कार्यों के निस्तारण हेतु निदेशालय एवं बेसिक शिक्षा परिषद् स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या निम्नवत् है :--

क्रम-संख्या	अधिकारियों के पद	वेतनमान	पदों की संख्या
1	अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक)	1,600-2,000	1
2	संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ)/अनौपचारिक शिक्षा	1,400-1,800	2
3	उप शिक्षा निदेशक (अर्थ)उर्दू/प्रारम्भिक/महिला/विज्ञान	900-1,600	5
4	सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्	900-1,600	1
5	सहायक निदेशक (जीवन बीमा/प्रारम्भिक/बालाहार/सामाजिक शिक्षा)	800-1,450	4
6	पाठ्य-पुस्तक अधिकारी	800-1,450	1
7	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	800-1,450	1
8	लेखाधिकारी	550-1,200	1
9	सहायक उप शिक्षा निदेशक (प्रशि0/प्रा0/सामा0)	550-1,200	3
10	शोध अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)	550-1,200	1
11	सहायक पाठ्य-पुस्तक अधिकारी	450- 950	1
12	सहायक लेखाधिकारी	450- 950	1
13	कृषि अधीक्षक	450- 950	1
14	उत्पादन अधिकारी	450- 950	1
15	निरीक्षक, कलाकौशल	450- 950	1
16	सहायक शोध अधिकारी (अनौ0 शिक्षा)	450- 950	1
	योग ..		26

चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 5.21 हजार रुपये की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः बेसिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों को देय आर्थिक वेतन वृद्धि तथा संभागीय उप शिक्षा निदेशकों के कार्यालयों में बेसिक शिक्षा के कार्यों के सम्पादनार्थ अतिरिक्त पदों की व्यवस्था के कारण है।

II--निरीक्षण--

(हजार रुपयों में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	3,9,50 8	4,52,57	4,63,03
आयोजनागत	1,09	4,02	7,35

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत निरीक्षक वर्ग के अधिकारियों का कार्य बालक तथा बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर तक की विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की देख-रेख तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं का चयन, नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा समय से उनके वेतन वितरण की व्यवस्था करना है । राजकीय दीक्षा विद्यालयों(बालक/बालिका)के लिये छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं के चयन का कार्य भी इन्हीं अधिकारियों के द्वारा संपादित किया जाता है । अतएव इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रदेश के जिला स्तर के निरीक्षक वर्ग के अधिकारियों, उनके कार्यालयों म कार्यरत कर्मचारियों तथा कार्यालयों के विभिन्न व्यय के लिये प्राविधान किया जाता है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :--

क्र0 सं0	अधिकारियों के पद	वेतनक्रम	पदों की संख्या
1	सहायक निदेशक (बेसिक)	800-1,450	4
2	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	550-1,200	56
3	अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)	550-1,200	48
4	निरीक्षक, अरबी मदरसा	550-1,200	1
5	जनसंख्या शिक्षा अधिकारी	450- 950	9
6	उप विद्यालय निरीक्षक	450- 950	56
7	उप विद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम)	450- 950	10
8	अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक	450- 950	36
9	उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका	450- 950	56
10	विद्यालय प्रति उप निरीक्षक (बालाहार)	350- 700	9
11	विद्यालय प्रति उप निरीक्षक (चयन वेतनमान)	350- 700	86
12	विद्यालय प्रति उप निरीक्षक	325- 575	1,240
13	सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका	325- 575	330
14	स्टोर अधीक्षक (बालाहार)	300- 550	41
15	स्टोर अधीक्षक (बालाहार)	250- 425	6
	योग ..		1,985

प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए निम्नवत् निरीक्षण दिवस निर्धारित हैं :—

क्रम-संख्या	पदनाम	शिक्षा संहिता का अनुच्छेद	निरीक्षण दिवस का विवरण
1	उप विद्यालय निरीक्षक	31	वर्ष में 150 दिन, प्रत्येक विद्यालय का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना होगा ।
2	विद्यालय प्रति उपनिरीक्षक	39	वर्ष में 200 दिन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का मासिक तथा प्रत्येक विद्यालय का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना होगा ।

इस वर्ष इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 1,379 हजार रुपया की वृद्धि हुई है जो विशेषतः निरीक्षक वर्ग के अधिकारियों की सामान्य वेतन वृद्धियों एवं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ तथा जीप आदि की व्यवस्था दिये जाने के फलस्वरूप है ।

III—राजकीय प्राथमिक विद्यालय—

(हजार रुपयों में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	62,23	72,01	72,21

राज्य के समस्त बालकों के राजकीय प्राथमिक विद्यालय शासन के आदेशानुसार 1 अप्रैल, 1974 से बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं । इस शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत प्राविधान केवल बालिकाओं के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत 20 हजार की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियों के फलस्वरूप है ।

IV—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता—

(हजार रुपयों में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	1,54,77,93	1,72,46,01	1,86,95,*
आयोजनागत	2,47,60	2,60,75	5,47,91

अशासकीय प्रारम्भिक विद्यालयों की शिक्षा को स्तरानुसार तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :—

(1) पूर्व प्राथमिक शिक्षा (शिशु शिक्षा) ।

(2) प्राथमिक शिक्षा (जूनियर बेसिक शिक्षा) ।

(3) पूर्व माध्यमिक शिक्षा (सीनियर बेसिक शिक्षा) ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा (शिशु शिक्षा)—

वय वर्ग 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया है । अधिकांश पूर्व प्राथमिक विद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं । इस स्तर की शिक्षा अभी तक मोटे तौर पर नगरों तक ही सीमित है । ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु विद्यालयों की संख्या नगण्य है ।

प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य में दो राजकीय एवं तीन अराजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं जिसमें 2 वर्षीय सी० टी० (नर्सरी) पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा 154 अध्यापिका प्रति वर्ष प्रशिक्षित करने हेतु स्थान निर्धारित हैं । राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में शिशु प्रशिक्षण में विशिष्टता प्रदान करने की सुविधायें भी उपलब्ध हैं ।

विगत तीन वर्षों में राज्य में शिशु (नर्सरी) स्कूलों में पढ़न वाले छात्रों एवं उनमें कार्यरत अध्यापकों की संख्या निम्नवत् है :—

वर्ष	विद्यालय	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या
1	2	3	4
1979–80	125	28,919	1,033
1980–81	88	29,619	701
1981–82	88	31,061	701

प्रदेश के 48 शिशु विद्यालय सहायता प्राप्त हैं । गत तीन वर्षों में इन विद्यालयों की स्वीकृत अनुरक्षण अनुदान की धनराशियां तथा 1982–83 के लिए आवंटित बजट प्राविधान का विवरण निम्नवत् है :—

(हजार रुपये में)

वर्ष	अनुदान
1980–81	590
1981–82	590
1982–83	606

प्राथमिक शिक्षा (जूनियर बेसिक शिक्षा)—

भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है । अतः प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है । छठवीं योजना काल में बच्चों को एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराने का उद्देश्य सामने रखा गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1981–82 में मैदानी जिलों में 337 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 115 मिश्रित बेसिक स्कूल खोले गये हैं ।

प्राथमिक शिक्षा में हुई प्रगति का आभास निम्नलिखित तालिकाओं में विगत 3 वर्षों के आंकड़ों से स्पष्टतया परिलक्षित होता है ।

वर्ष	विद्यालय संख्या	छात्रों की संख्या (हजार में) बालक	बालिका	योग	अध्यापक संख्या	प्राथमिक विद्यालय को सहायक अनुदान (हजार रु0)	प्रति छात्र अनुदान (रु0)	अध्यापक छात्र अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979–80	70,292	6,372	2,945	9,317	2,43,985	13,86,415	145	1 : 37
1980–81	70,931	6,405	3,042	9,447	2,44,712	14,05,935	149	1 : 38
1981–82	71,637	6,577	3,288	9,865	2,46,230	14,39,346	146	1 : 40

पूर्व माध्यमिक शिक्षा—

राज्य में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संख्या में भी क्रमिक विकास हो रहा है । निम्नलिखित आंकड़ों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है :—

वर्ष	विद्यालयों की संख्या
1979–80	13,127
1980–81	13,407
1981–82	13,852

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत वय वर्ग 6--11 तथा 11--14 वर्ष के कितने प्रतिशत बालक और बालिकायें हमारे विद्यालयों में आ रही हैं, यह नीचे की तालिका से स्पष्ठ होगा:--

वर्ष	वय वर्ग 6--11 वर्ष		वय वर्ग 11--14 वर्ष	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5
1979-80	91	45	53	19
1980-81	91	46	54	20
1981-82	93	49	56	22

ग्रामीण और नगर क्षेत्रों के हिसाब से वर्ष 1980-81 के अन्त तक चल रहे तथा वर्ष 1981-82 में खोले गये प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है :--

विद्यालय	वर्ष 1980-81 के अन्त तक			वर्ष 1981-82 में खोले गये		
	ग्रामीण क्षेत्र	नगर क्षेत्र	योग	ग्रामीण क्षेत्र	नगर क्षेत्र	योग
1--प्राथमिक विद्यालय	64,237	6,694	70,931	409	43	452
2--पूर्व माध्यमिक विद्यालय	11,454	1,953	13,407	188	..	188

वर्ष 1981-82 में खुले विद्यालय--

छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 1981-82 में ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में खोले गये बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है :--

1--ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में मैदानी क्षेत्र में 303 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 108 विद्यालय खोले गये ।

2--नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 36 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 7 प्राथमिक विद्यालय खोले गये ।

3--प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में सुधार के दृष्टिकोण से वर्ष 1981-82 में 300 रु० प्रति विद्यालय की दर से पर्वतीय क्षेत्र के 1,500 विद्यालयों हेतु 4,50,000 रु० तथा मैदानी क्षेत्र में 1,166 विद्यालयों के लिए 3,49,800 रु० की स्वीकृति विज्ञान शिक्षण सामग्री खरीदने के लिये प्रदान की गई ।

4--ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या वृद्धि करने तथा स्थिरता लाने हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1981-82 में पर्वतीय क्षेत्र में 25,000 तथा मैदानी क्षेत्र में 25,000 छात्रों को 3 रु० प्रति छात्र/छात्रा की दर से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये क्रमशः 75,000 व 75,000 रु० की स्वीकृति दी गयी ।

5--ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं के मैदानी क्षेत्र में 150 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 38 पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं चार राजकीय आदर्श विद्यालय खोले गये ।

6--वय वर्ग 6--11 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु पर्वतीय क्षेत्र के 8 जनपदों में छात्रवृत्ति अभियान चलाने हेतु 2,500 रु० प्रति जनपद की दर से 20,000 रु० की धनराशि स्वीकृत की गई ।

7--गरीब छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक बैंक स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में पर्वतीय क्षेत्र के 500 तथा मैदानी क्षेत्र के 1,500 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक बैंक की स्थापना हेतु क्रमशः 2,40,000 तथा 10,00,000 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

8--पर्वतीय क्षेत्र की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखकर पर्वतीय जिलों के 1,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र के एक अध्यापकीय जूनियर बेसिक स्कूलों को दो अध्यापकीय विद्यालय बनाने हेतु 1,626 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गई ।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत खोले गये नवीन विद्यालयों पर निम्नलिखित पदों पर 8 माह में होने वाले औसत व्यय का विवरण निम्नवत् प्रदर्शित है :—

विद्यालय	अध्यापक वर्ग (क)	विज्ञान उपकरण	काष्ठोपकरण	आकस्मिक व्यय
1	2	3	4	5
(क) प्राथमिक विद्यालय—				
(1) ग्रामीण क्षेत्र—मैदानी भाग	3,070	300	400	220
पर्वतीय भाग	6,636	300	600	175
(2) शहरी क्षेत्र—मैदानी भाग	14,744	..	2,000	300 (ख)
पर्वतीय भाग	22,553	..	2,000	300 (ग)
(ख) पूर्व माध्यमिक विद्यालय—				
ग्रामीण क्षेत्र—मैदानी भाग	10,350	2,500	3,000	1,000
पर्वतीय भाग	18,497	5,000	3,300	1,000 (घ)

टिप्पणी—(क) स्तम्भ 2 में प्रदर्शित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों पर होने वाले व्यय में ग्रामीण क्षेत्रों में एक अध्यापकीय तथा नगर क्षेत्र में 5 अध्यापकीय विद्यालय की गणना की गई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मैदानी क्षेत्रों के दो तथा पर्वतीय क्षेत्रों के चार सहायक अध्यापकों के व्यय का आगणन किया गया है।

(ख) स्तम्भ 5 में भवन किराये और मरम्मत हेतु 600 रु० मासिक भी स्वीकृत है।

(ग) स्तम्भ 5 में भवन किराये एवं मरम्मत हेतु 400 रु० मासिक भी स्वीकृत है।

(घ) स्तम्भ 6 में भवन किराया एवं मरम्मत हेतु 200 रु० मासिक भी स्वीकृत है। एक विद्यालय पर होने वाले व्यय का प्रथम पांच वर्षों का औसत विवरण निम्नवत् आता है :—

(रुपये में)

विद्यालय	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
1	2	3	4	5	6
(क) प्राथमिक विद्यालय—					
(1) ग्रामीण क्षेत्र—मैदानी भाग	3,614	4,300	4,300	4,419	4,479
पर्वतीय भाग	3,594	4,280	4,340	4,399	4,459
(2) शहरी क्षेत्र—मैदानी भाग	20,147	29,476	29,701	29,926	30,151
पर्वतीय भाग	16,747	19,598	19,823	20,043	20,273
(ख) पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र —					
मैदानी भाग	15,670	14,967	15,285	15,603	15,921
पर्वतीय भाग	25,919	25,573	27,089	27,606	28,122

टिप्पणी : — (1) पर्वतीय क्षेत्र के तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ में कार्यरत कर्मचारियों को उनके वेतन का 25 प्रतिशत सीमान्त वेतन के रूप में दिया जाता है। शेष जनपदों में 15 प्रतिशत पर्वतीय विकास भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रारम्भिक शिक्षा ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित वर्ष 1980-81 के वास्तविक व्यय एवं वर्ष 1981-82 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक अनुमान की स्थिति निम्नवत् है :--

(हजार रुपये में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
1--ग्रामीण क्षेत्र	1,42,92,63	1,56,50,35	1,43,88,09
2--शहरी क्षेत्र	16,67,14	17,68,75	17,44,52
योग ..	1,59,59,77	1,74,19,10	1,61,32,61

उपरोक्त व्यय का विभाजन निम्नवत् है :--

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय व्ययक अनुमान
(1) वर्तमान विद्यालयों के अनुरक्षण पर होने वाला व्यय--			
(क) ग्रामीण क्षेत्र	1,41,46,74	1,53,44,00	1,42,00,00
(ख) शहरी क्षेत्र	16,36,63	17,35,38	17,19,46
योग ..	1,57,83,37	1,70,79,38	1,59,19,46
2--नये खुले विद्यालयों पर होने वाला व्यय--			
(क) ग्रामीण क्षेत्र	14,589	30,635	1,88,09
(ख) शहरी क्षेत्र	30,51	33,37	25,06
योग ..	1,76,40	3,39,72	2,13,15

विद्यालय भवन--

मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में क्रमशः प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धन देने का प्रस्ताव है ।

नयें खोले जा रहे प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गयी हैं ।

शासन द्वारा बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की दरों में संशोधन कर दिया गया है । भवन निर्माण की नवीन दरें निम्नवत् हैं :--

	प्राइमरी स्कूल आर० बी० स्लब	आर० सी० सी० स्लैब	जू० हा० स्कूल आर० बी० स्लब	आर० सी० सी० स्लैब
मैदानी क्षेत्र	4,46,00	4,66,00	9,70,00	10,10,00
बुन्देलखंड क्षेत्र	5,57,50	5,82,50	12,12,50	12,62,50
पर्वतीय क्षेत्र	5,00,00	..	10,00,00	..

मैदानी जिलों में विद्यालय भवनों का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा किया जा रहा है। भवन रहित विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है :

विद्यालयों की संख्या		उपलब्ध भवनों की संख्या		विद्यालय भवन रहित	
प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक
1	2	3	4	5	6
70 931	13,407	50,215	4,557	20,716	8,850

15418 3848

बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारी--

जिलों में कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतनमान क्रमानुसार पदों की संख्या निम्नवत् है :

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या 1-4-81 की स्थिति के अनुसार	वेतन-क्रम
1	2	3	4
1	शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका--		
	(क) महापालिका	10	400-775
	(ख) पालिका	59	320-620
	(ग) पालिका- 2	34	300-510
	(घ) पालिका-3	23	280-460
2	सहायक उपस्थिति अधिकारी (पुरुष/महिला)--		
	(क) महापालिका	42	220-400
	(ख) पालिका 1, 2, 3	110	195-300
3	प्रधान लिपिक--		
	(क) महापालिका एवं पालिका-1	42	240-424
	(ख) जिला परिषद्	54	240-424
	(ग) पालिका 2, 3	11	260-350
4	सहायक लेखाकार, जिला परिषद्	26	220-380
5	विभागीय अथवा अनुभागीय लेखाकार महापालिका	6	200-340
6	लिपिक ग्रेड-1 महापालिका, पालिका/परिषद्	45 246	195-315 195-246
7	लिपिक ग्रेड-2	743	185-280
8	लिपिक ग्रेड-3	400	170-250
9	खेल अधीक्षक	1	220-400
10	दफ्तरी	177	168-218
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	11668	165-215
12	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7698	165 नियत

1	2	3	4
13	स्टोर कीपर (जिला परिषद्)	3	195–315
14	स्टोर कीपर जिला परिषद् पालिका	17	185–280
	परिषदीय अध्यापकों/अध्यापिकाओं का विवरण		
1	प्रधान अध्यापक/अध्यापिका सीनियर बेसिक विद्यालय	7,658	240–390
2	सहायक अध्यापक/अध्यापिका सीनियर बेसिक विद्यालय	33,760	210–330
3	प्रधान अध्यापक जू0 बेसिक विद्यालय	57,391	210–330
4	सहायक अध्यापक जू0 बेसिक विद्यालय	1,83,125	195–275

अशासकीय विद्यालयों को सहायता

प्रत्येक वर्ष बालक तथा बालिकाओं के नये पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुलते हैं, जिनको अस्थायी एवं स्थायी मान्यता दी जाती है। विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालयों को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। प्रति वर्ष इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है।

बालक तथा बालिकाओं के सहायक अनुदान नामक शीर्षक के अन्तर्गत सज्जा एवं काष्ठोपकरण इत्यादि के लिए अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

मैदानी तथा पर्वतीय जिलों के अशासकीय सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों पर मई, 1979 से वेतन वितरण अधिनियम लागू होगया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के असहायिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमशः अनुदान-सूची पर लाया जा रहा है। वर्ष 1981–82 में पर्वतीय क्षेत्र के 20 और मैदानी क्षेत्र के 90 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया जाना विचाराधीन है। वर्ष 1982-83 में पर्वतीय क्षेत्र के 10 एवं मैदानी क्षेत्र के 30 विद्यालयों को अनुदानित करने का प्रस्ताव किया गया है। पर्वतीय जनपदों में सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक स्कूलों को भवन अनुदान की परियोजना वर्ष 1980–81 से संचालित की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1981–82 में 24 विद्यालयों को अनुदान देने हेतु 10 लाख रुपये का प्राविधान स्वीकृत है। वर्ष 1982–83 में 10 विद्यालयों को उक्त अनुदान देने हेतु रु0 6,53,000 धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है।

छात्रवृत्तियां

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पर्वतीय तथा मैदानी जिलों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली कतिपय छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नवत् है :

क्र0सं0	छात्रवृत्तियों का नाम	आय-व्ययक अनुमान 1982 83 (हजार रु0)	छात्रवृत्तियों की संख्या एवं दर
1	2	3	4
1	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक कक्षाओं के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति	162	5 रु0 प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से 448 छात्रवृत्तियां
2	प्रत्येक जिले में कक्षा 6–8 में दी जाने वाली योग्यता छात्रवृत्ति	1881	10 रु0 प्रतिमाह की दर से 2,899 छात्रवृत्तियां
3	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति	55	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर प्राइमरी स्तर पर 116 छात्र-वृत्तियां दर 3 रु0 प्रतिमाह व 250 रु0 पुस्तकीय सहायता 10 रु0 प्रति छात्र
4	1962 तथा 1965 के युद्धों में मारे गए अथवा अपंग युद्ध-बन्दियों के बच्चों/विधवाओं को शैक्षिक सुविधाएं	10	क्रम-3 में अंकित दरों पर

इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल के आश्रित बच्चों को 5, वीर चक्र शृंखला विजेताओं के बच्चों को 4, सीमान्त क्षेत्रों के युद्ध-ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात जवानों के आश्रित बच्चों को 2, बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीयों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हेतु 2 तथा पर्वतीय क्षेत्र से संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 6 की छात्रवृत्ति का प्राविधान है ।

पुनर्व्यवस्था/कार्यानुभव योजना

बालकों को अधिक स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत 2552 विद्यालयों में कृषि एवं शिल्प विषय को मुख्य रूप में अंगीकृत किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के 2,903 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत भी 214 विद्यालयों में 214 अध्यापक कार्यरत हैं । शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की दिशा में इन योजनाओं के संचालन हेतु विगत तीन वर्षों तथा 1982-83 में स्वीकृत बजट प्राविधान के आंकड़े नीचे की तालिका में अंकित हैं :

(हजार रु० में)

वित्तीय वर्ष	पुनर्व्यवस्था योजना	कार्यानुभव योजना
1980-81	1,89,58	16,27
1981-82	2,09,41	18,20
1982-83	2,32 50	20,32

पाठ्य-पुस्तकें

वर्ष 1981-82 में कक्षा 1 से 8 तक की कुल 81 राजकीय पाठ्य-पुस्तकों की लगभग 3 करोड़ प्रतियां प्रदेश के अनुमोदित मुद्रकों प्रकाशकों द्वारा मुद्रित/प्रकाशित करवाने की व्यवस्था की गई है । इनके आवरण पृष्ठ राजकीय मुद्रणालय में ही सुरक्षात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत मुद्रित कराए गए हैं । इनमें से हिन्दी में 44 उर्दू में 33 तथा अंग्रेजी में 4 विभिन्न विषयों की पाठ्य-पुस्तकें हैं ।

शासन द्वारा गठित मूल्य निर्धारण समिति की संस्तुति के अनुसार सभी राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों का मूल्य शासन द्वारा पुनः निर्धारित किया गया । इस मूल्य निर्धारण में राजस्व का प्रतिशत 10 के स्थान पर 1.5 ही रखा गया ताकि विद्यार्थियों को पुस्तकें यथा सम्भव कम मूल्य पर उपलब्ध हो जायें । इसी दृष्टि से सभी राष्ट्रीयकृत तथा स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों का रियायती दर के कागज पर मुद्रण अनिवार्य कर दिया गया है । तदनुसार वर्ष 1981 में शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार राष्ट्रीयकृत पुस्तकों हेतु प्रदेश के मुद्रकों/प्रकाशकों को 3,735 टन रियायती मूल्य का कागज आवंटित किया गया ।

जुलाई 1981 से आरम्भ शिक्षा सत्र 1981-82 हेतु कक्षा 1 से 8 तक के लिये शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय कृत पाठ्य-पुस्तकों की सूची आगे दी जा रही है :—

हिन्दी लिपि में	कक्षा	उर्दू लिपि में
1	2	3
1—ज्ञान भारती भाग-1	कक्षा-1	बेसिक उर्दू रीडर भाग-1
	कक्षा-2	
1—ज्ञान भारती भाग-2		1—बेसिक उर्दू रीडर भाग-1
2—बाल अंकगणित भाग-2		2—बेसिक हिसाब की किताब भाग-2
	कक्षा-3	
1—ज्ञान भारती भाग-3		1—बेसिक उर्दू रीडर भाग-3
2—बाल अंकगणित भाग-3		2—बेसिक हिसाब की किताब भाग-3
3—विज्ञान आओ करके सीखें भाग-1		3—साइंस आओ तजुर्बे से सीखें भाग-1
4—हमारी दुनियां हमारा समाज भाग-1		4—हमारी दुनियां हमारा समाज भाग-1

1	2	3
	कक्षा–4	
1––ज्ञान भारती भाग–4		1––बेसिक उर्दू रीडर भाग–4
2––बाल अंकगणित भाग–4		2––बेसिक हिसाब की किताब भाग–4
3––विज्ञान आओ करके सीखें भाग–2		3––साइंस आओ तजुर्बे से सीखें भाग–2
4––हमारी दुनियां हमारा समाज भाग–2		4––हमारी दुनियां हमारा समाज भाग–2
	कक्षा–5	
1––ज्ञान भारती भाग–5		1––बेसिक उर्दू रीडर भाग–5
2––बाल अंकगणित भाग–5		2––बेसिक हिसाब की किताब भाग–5
3––विज्ञान आओ करके सीखें भाग–3		3––साइंस आओ तजुर्बे से सीखें भाग–3
4––हमारी दुनियां हमारा समाज भाग–3		4––हमारी दुनियां हमारा समाज भाग–3
	कक्षा–6	
1––नवभारती भाग–1		1––हमारी जबान भाग–1
2––हमारे पूर्वज भाग–1		2––हमारी तरीखें और इल्म तमद्दुन भाग–1
3––अंकगणित भाग–1		3––अर्थमेटिक भाग–1
4––बीजगणित और रेखागणित भाग–1		4––अल्जबरा और ज्योमेटरी भाग–1
5––प्रारम्भिक विज्ञान भाग–1		5––इब्तिदायी साइंस भाग–1
6––हमारा भू–मण्डल भाग–1		6––हमारी कुर्रये जमीन भाग–1
7––हमारा इतिहास और नागरिक जीवन भाग–1		
8––कृषि विज्ञान भाग–1		
9––संस्कृत सुबोध भाग–1		
10––बेसिक इंगलिश रीडर बुक–1		
11––जनरल इंगलिश कक्षा 6, 7, 8 के लिये		
12––सामान्य हिन्दी ,, ,,		
13––स्काउटगाइड शिक्षा ,, ,,		
	कक्षा–7	
1––नवभारती भाग–2		1––हमारी जबान भाग–2
2––हमारे पूर्वज भाग–2		2––हमारी तारीख और इल्मतमद्दुन भाग–2
3––अंकगणित और रेखा गणित भाग–2		3––अर्थमेटिक भाग–2
4––बीजगणित और रेखा गणित भाग–2		4––अल्जबरा और ज्योमेटरी भाग–2
5––प्रारम्भिक विज्ञान भाग–2		5––इब्तिदायी साइंस भाग–2
6––हमारा भूमण्डल भाग–2		6––हमारी कुर्रये जमीन भाग–2
7––हमारा इतिहास और नागरिक जीवन भाग–2		
8––कृषि विज्ञान भाग–2		
9––संस्कृत सुबोध भाग–2		

1	2	3

10—बेसिक इंगलिश रीडर बुक–2

11—जनरल इंगलिश कक्षा 6, 7, 8 के लिये

12—सामान्य हिन्दी ,, ,,

13—स्काउट गाइड शिक्षा ,, ,,

कक्षा–8

1—नवभारती भाग–3

2—हमारे पूर्वज भाग–3

3—अंकगणित भाग–3

4—बीज गणित और रेखा गणित भाग–3

5—प्रारम्भिक विज्ञान भाग–3

6—हमारा भू–मण्डल भाग–3

7—हमारा इतिहास और नागरिक जीवन भाग–3

8—कृषि विज्ञान भाग–3

9—संस्कृत सुबोध भाग–3

10—बेसिक इंगलिश रीडर बुक–3

11—जनरल इंगलिश कक्षा 6, 7 और 8 के लिये

12—सामान्य हिन्दी ,, ,,

13—स्काउट गाइड शिक्षा ,, ,,

1—हमारी जबान भाग–3

2—हमारी तारीख और इल्म तमद्दुन भाग–3

3—अर्थमेटिक भाग–3

4—अल्जबरा और ज्योमेट्री भाग–3

5—इब्तिदायी साइंस भाग–3

6—हमारी कुर्रये जमीन भाग–3

(1)

विशेष नोट—पूर्व मा0 कक्षाओं में प्राथमिक उर्दू विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जायं। कक्षा 6 में उर्दू बेसिक रीडर भाग–1 व 2 कक्षा 7 उर्दू बेसिक रीडर भाग–3 व 4, कक्षा 8 उर्दू बेसिक रीडर भाग–5

(2)

नैतिक शिक्षा (शिक्षा सन्दर्शिका) कक्षा 1 एवं 2 तथा नैतिक शिक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिये वर्ष 1979 के ही संस्करण रहेगें।

अरबी मदरसे

प्रदेश में अरबी फारसी शिक्षा की देख–रेख तथा प्रोत्साहन का कार्य निरीक्षक अरबी मदरसा द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय में एक निरीक्षक का पद 550–1200 रु0 के वेतन–क्रम में है तथा लिपिकीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के क्रमशः 5 और 3 पद हैं।

7—निरीक्षक अरबी मदरसा, अरबी तथा फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार भी है। उनके द्वारा विभाग की 5 परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिनमें से 2 फारसी की (मुंशी तथा कामिल) तथा 3 अरबी की (मौलवी, आलिम तथा फाजिल) है। अरबी मदरसों की मान्यता से सम्बन्धित कार्य निरीक्षक अरबी मदरसा के कार्यालय द्वारा किया जाता है। मान्यता प्राप्त मदरसों में निर्धारित पाठ्य–क्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इन मदरसों में अरबी

तथा फारसी की परीक्षाओं के लिये छात्र तैयार किये जाते हैं । विगत तीन वर्षों में मान्यता प्राप्त अरबी मदरसों की संख्या, छात्रों तथा शिक्षकों की संख्या निम्नवत है :--

वर्ष	सहायता प्राप्त मदरसे	असहायता प्राप्त मदरसे	कुल मदरसे	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या
1	2	3	4	5	6
1979-80	198	74	272	50,897	3,495
1980-81	209	74	283	53,442	3,670
1981-82	209	125	334	58,786	4,037

अरबी शिक्षा के विकास के लिये विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं । अनुरक्षण अनुदान की स्वीकृति सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा दी जाती है । इन मदरसों म निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध है । मदरसों की ओर से लड़कों के रहने एवं खाने का भी प्रबन्ध है । मान्यता प्राप्त मदरसों में से कुछ मदरसों को शासन द्वारा क्रमशः अनुदान सूची पर लाया जाता है । मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनक्रम के अनुसार वेतन दिया जाता है ।

निरीक्षक अरबी मदरसा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जो अरबी तथा फारसी बोर्ड के रजिस्ट्रार भी हैं द्वारा संचालित अरबी और फारसी की परीक्षाओं में विगत 3 वर्षों में सम्मिलित तथा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आदि का विवरण नीचे दिया गया है :--

वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय
1	2	3	4
1979-80	2,917	2,004	38,177
1980-81	3,277	1,903	43,996
1981-82	3,985	2,814	46,360

V--शिक्षकों का प्रशिक्षण--

(हजार रु० में)

--	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4
आयोजनेत्तर	42,565	50,132	51,989
आयोजनागत	568	1,317	1,577

प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका सुलभ कराने हेतु राजकीय दीक्षा विद्यालयों के पुनर्गठन के पश्चात् 18 जुलाई, 1981 से 56 राजकीय दीक्षा विद्यालय (पुरुष) एवं 56 राजकीय दीक्षा विद्यालय (महिला) कार्यरत हैं। प्रवेश क्षमता 25 प्रति पुरुष दीक्षा विद्यालय, 20 प्रति महिला दीक्षा विद्यालय तथा 15 प्रति उर्दू इकाई के हिसाब से 1,550 (पुरुष) एवं 1,120 (महिला) की है। आगे आने वाले वर्षों में बी० टी० सी० प्रथम वर्ष में प्रवेश का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिये उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए 4 बी० टी० सी० (उर्दू) कक्षायें भी चलाई जा रही है। प्रत्येक की प्रवेश संख्या 15 है। इनमें से दो राजकीय उर्दू दीक्षा विद्यालय, मवाना, मेरठ तथा आगरा में हैं। शेष दो कक्षायें राजकीय संभागीय शिक्षा संस्थान, लखनऊ तथा राजकीय दीक्षा विद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी से संलग्न इकाई के रूप में चल रही हैं।

वर्ष 1981–82 से प्रदेश के सभी राजकीय दीक्षा विद्यालयों पुरुष तथा महिला दोनों में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष यह पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण केवल दो फेरों में चलाया जा रहा है। जिसमें प्रतिभागियों को 75 रु० एक मुश्त दैनिक भत्ता और 25 रु० यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

मान्यता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों, जिनकी सेवा अवधि 30 जून, 1978 को पांच वर्ष से कम है, को पत्राचार प्रणाली द्वारा बी० टी० सी०, प्रशिक्षण प्रदान करने, पांच वर्ष या उससे अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम की अवधि के शिक्षकों की कार्य तथा अनुभव के आधार पर परीक्षा लेने तथा 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि के शिक्षकों को प्रशिक्षण से छूट देने का प्राविधान किया गया है।

अप्रशिक्षित, अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली द्वारा बी० टी० सी० का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में एक पत्राचार प्रणाली केन्द्र स्थापित है जो पत्राचार प्रणाली द्वारा बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कार्य तथा अनुभव पर आधारित परीक्षा रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित की जायेंगी। बी० टी० सी० प्रशिक्षण से छूट देने का कार्य सम्बन्धित सम्भागीय उप निदेशकों तथा बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं द्वारा किया जा रहा है।

पूर्व माध्यमिक स्तर की अध्यापिकाओं को राजकीय गृह विज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में दो वर्षीय, सी० टी० (गृह विज्ञान) प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जुलाई, 1977 से 4 पुरुष तथा 3 महिला जू० बे० प्रशिक्षण महाविद्यालय को राजकीय संभागीय शिक्षा संस्थान में परिवर्तित कर दिया है।

राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

प्रदेश स्तर पर शैक्षिक उन्नयन को नई दिशा देने तथा विशेषतः शिक्षा में गुणात्मक सुधार के कार्यक्रम को नियोजित एवं क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद कार्यरत है। इसके कार्य के चार पहलू हैं। शोध, प्रशिक्षण, प्रकाशन और प्रसार कार्य।

(1) शोध कार्य––इसके अन्तर्गत संस्थान पाठ्यक्रम संशोधन, प्रश्न–पत्र निर्माण, पुस्तक लेखन, ह्रास अवरोध निवारण, समाजोपयोगी उत्पादककर्त्ता शिक्षक प्रशिक्षण विषय प्रशिक्षण, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यवहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध परियोजनाओं पर कार्य करता है। इससे प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक) तक पहुंचाने तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने का कार्य भी संस्थान करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान कुछ विशिष्ट संस्थलों पर शोध सम्बन्धी कार्य करता है। जिसके अन्तर्गत अध्ययन एवं अनुसंधान योजनायें भी सम्मिलित हैं।

(2) प्रशिक्षण कार्य––प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम को मुख्यतः निम्नांकित भागों में विभक्त कर संचालित किया जा रहा है :—

(क) अभिनवीकरण गोष्ठियां––इसके अन्तर्गत निरीक्षक वर्ग, शिक्षक–प्रशिक्षक, अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित पर्यवेक्षक तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) प्राविधिक परामर्श एवं निदेशन––इसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदेश के समस्त बालक/बालिकाओं के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में प्रशिक्षण परामर्श एवं निदेशन का कार्य किया जाता है। इस संवर्ग के सदस्यों को प्रति 5 वर्ष बाद अभिनवीकृत करने की सामान्य योजनान्तर्गत गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की सेवारत प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन है। इस अवधि में शिक्षकों को निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राविधिक इकाई द्वारा सेवारत प्रशिक्षण केन्द्रों को विभिन्न विषयों में मूल्यांकन के सम्बन्ध में आदर्श प्रश्न–पत्र दिये जाते हैं तथा केन्द्रों में जाकर शिक्षक–प्रशिक्षकों को आवश्यकतानुसार परामर्श दिया जाता है।

(ग) पत्राचार प्रशिक्षण––पत्राचार कार्यक्रम के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त परिषदीय जूनियर तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को पत्राधारित बी० टी० सी० प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। इस समय इस प्रशिक्षण में 3,339 प्रशिक्षार्थी प्रदेश के 93 परामर्श केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निर्धारण साहित्य सृजन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं शोध कार्य से सम्बन्धित कार्य संस्थान करता है। इस योजनान्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा की संकल्पना प्रक्रिया और व्यवहारिक पक्षों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने का प्राविधान है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद के केवल दो विकास खन्डों में से जो सबसे पिछड़े क्षेत्र के हैं वहां अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये। इस समय प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या तथा इसमें कार्यरत अध्यापकों एवं छात्र संख्या निम्नवत् है :--

स्तर	खुले केन्द्रों की संख्या	कार्यरत अध्यापकों की संख्या	छात्र संख्या
प्राइमरी	5,364	5,364	1,01,049
मिडिल	1,404	1,404	19,412

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत भाषा एवं गणित की 9 से 11 वय वर्ग की दो पुस्तकें तथा 11 से 14 वय वर्ग के लिये कक्षा 6 एवं 7 की एक-एक पुस्तक तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षकों, सामान्यकों को भी प्रशिक्षण दिया गया है।

(ङ) अध्यापक अवकाश शिविर--राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों तथा संस्थान द्वारा संचालित परियोजनाओं से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए अध्यापकों के लिये अध्यापक अवकाश शिविर का प्रतिवर्ष आयोजन तथा शैक्षिक स्तरों के समुन्नयन के सम्बन्ध में उनके विचारों का "प्रतिभा की किरण" में नियमित प्रकाशन राज्य शिक्षा संस्थान के वार्षिक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। प्रति वर्ष संस्थान के तत्वाधान में आयोजित होने वाले अध्यापक अवकाश शिविर की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि इसमें भाग लेने वाले शिक्षकों को प्रमुख स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं तथा ऐतिहासिक एवं संस्कृतिक महत्व के स्थलों के दीक्षण और पर्यटन का भी अवसर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान में गोष्ठी के अधिवेशनों में शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा नैतिक मूल्यों का विकास करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाता है।

3--प्रकाश--शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों से शिक्षा जगत के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं अध्यापकों को परिचित कराने के उद्देश्य से प्रकाशन कार्य को आरम्भ से ही महत्व प्रदान किया जाता रहा है। शिक्षकों तथा क्षेत्रीय कार्य कर्ताओं को अपने कार्य में आने वाली बाधाओं के निराकरण हेतु उपयुक्त साहित्य एवं मार्ग-दर्शनार्थ शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर नवीन चिन्तन, संकल्पनाओं तथा विचारों को अपने प्रकाशनों के माध्यम से संस्थान क्षेत्र तक पहुंचाता रहा है। संस्थान के समाचार त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रकाशित होते हैं। "प्रतिभा की किरण" और संदेश वार्षिक रूप से प्रकाशित होते हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान के क्रिया कलापों से सम्बन्धित शोध-पत्र के सामान्य अध्ययनों आदि का भी पृथक रूप से प्रकाशन किया जाता है।

4--प्रसार कार्य--इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्री एवं अपने क्रियात्मक शोध द्वारा परीक्षण की गयी विधियों, विषय ज्ञान तथा साहित्य आदि का संस्थान विस्तार करता है। इस कार्य में प्रदेश के सात क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान तथा दीक्षा विद्यालय सहयोग देते हैं।

5--उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त संस्थान ने प्रारम्भिक शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से तथा शिक्षा की सार्वभौमीकरण के उद्देश्य से संस्थान में यूनीसेफ सहायता प्राप्त निम्न योजनायें चल रही हैं :--

(क) यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना-2--इसका सम्बन्ध प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम नवीनीकरण से है। इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक की भाषा परिवेशी अध्ययन, गणित, विज्ञान, तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से सम्बन्धित पाठ्य-क्रम तैयार किया गया है। उक्त पाठ्य-क्रम पर आधारित भाषा, गणित, परिवेशी अध्ययन एवं सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्य से सम्बन्धित पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं। कक्षा 1 से 2 की भाषा तथा गणित एवं कक्षा 3 व 4 की परिवेशी अध्ययन तथा कक्षा 4 व 5 की भाषा की पुस्तकें तैयार की जा चुकी है। और इन्हें प्रकाशित भी कराया गया है। इन पुस्तकों के लिए शिक्षक संदर्शिकायें भी तैयार कराई गयी हैं। इस समय 15 जनपदों के 150 प्राइमरी स्तरीय प्रयोगात्मक केन्द्रों पर इन पुस्तकों का प्रयोग किया जा रहा है। विद्यालयों को पुस्तकें तथा पठन सामग्री निर्मूल्य उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(ख) यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना-3--यह परियोजना प्रदेश के 5 जनपदों (इलाहाबाद, नैनीताल, सीतापुर, बांदा तथा मिर्जापुर) में चलायी जा रही है। इस योजना का सम्बन्ध सामुदायिक शिक्षा और सहभागिता से है। यह योजना 0 से 25 वय वर्ग के लोगों के लिए है। इन केन्द्रों पर वे लोग आते हैं जो औपचारिक शिक्षा से लाभ नहीं ले पाते हैं। योजना के संचालन हेतु प्रत्येक केन्द्र को सिलाई मशीन, पेट्रोमेक्स, खेल एवं मनोरंजन का सामान, शिल्प तथा उपकरण आदि निर्मूल्य उपलब्ध कराये गये हैं। केन्द्रों के लिए भाषा और गणित की पुस्तकें जो विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए तैयार की गई हैं, प्रयोग में आ रही हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, स्वास्थ्य, स्वच्छता,

मातृ–शिशु शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा आदि पर छोटी–छोटी पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं । इन्हें मुद्रित कराकर केन्द्रों को उपलब्ध कराया जायगा ।

6––जन–संख्या शिक्षा––संयुक्त राष्ट्र संघ के जन–संख्या शिक्षा कोष, भारत सरकार उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से प्रदेश में जन–संख्या शिक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु एक योजना तैयार की गई । इस योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल तथा माध्यमिक स्तर के प्रधानचार्य सहित 2 शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारियों, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक का एक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से तैयार किया गया जिसके आधार पर आगे कार्य किया जायेगा ।

राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी

राष्ट्र भाषा हिन्दी के स्तरोन्नयन हेतु राज्य हिन्दी संस्थान की स्थापना हुई थी । शिक्षा विभाग का प्रदेशीय स्तर का यह एक विशिष्ट संस्थान है जो हिन्दी शिक्षण प्रसार एवं सुधार हेतु कार्यरत है । संस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम चला रहा है :

(1) प्रशिक्षण––हिन्दी भाषा के स्तरोन्नयन के उद्देश्य से संस्थान भाषा शिक्षकों तथा निरीक्षकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देने में सतत् प्रयत्नशील है । इस दिशा में संस्थान ने अब तक प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के 5,239 अध्यापकों तथा 641 निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया है ।

(2) शोध––हिन्दी भाषा स्तरोन्नयन हेतु संस्थान के सदस्य शोध परक साहित्य के लिए निर्माणरत ह ।

(3) प्रकाशन––संस्थान के विशेषज्ञों के शोध परक कार्यों के साथ ही प्रकाशन का कार्य भी निरन्तर चलता रहता है । इस दिशा में शोध परक वाणी पत्रिका का प्रकाशन नियमित रूप से होता है । इसके अतिरिक्त संस्थान ने हिन्दी शिक्षा स्तरोन्नयन की दिशा में सहायक 32 लघु पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया है ।

अंग्रेजी भाषा शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण तथा अंग्रेजी शिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रकाशन है । यह संस्थान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शिक्षक प्रशिक्षण स्तर पर अंग्रेजी भाषा के अध्ययन–अध्यापन में गुणात्मक सुधार लाने हेतु प्रयत्नशील है । संस्थान के कार्यक्रमों को मुख्यतः पांच खन्डों में बिभाजित किया जा सकता है :––

1––नियमित अंग्रेजी अध्यापक, अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण ।

2––अभिनवीकरण कार्यशालाओं एवं गोष्ठियां ।

3––अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अनुगमन कार्यक्रम ।

4––क्रियात्मक शोध परियोजनाय ।

5––प्रकाशन ।

अप्रैल 1981 में समाप्त होने वाले डिप्लोमा प्रशिक्षण के बाद अगस्त 1981 से प्रारम्भ डिप्लोमा प्रशिक्षण में 30 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

प्रदेश के 7 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में उनसे सम्बद्ध राजकीय दीक्षा विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं के बी0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम के शिक्षण हेतु जुलाई एवं दिसम्बर, 1981 में अल्पकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं । क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के सहयोग से उनके 5 कि0मी0 की परिधि में आने वाले पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये ।

संस्थान से अच्छी श्रेणी में डिप्लोमा प्राप्त तथा हैदराबाद से प्रशिक्षित प्रदेश के शिक्षक/शिक्षिकाओं की एक त्रिदिवसीय गोष्ठी अंग्रेजी के महत्वपूर्ण विषयों पर नवम्बर 1981 से आयोजित की जायेगी ।

संस्थान "न्यूज एवं व्यूज" का प्रकाशन प्रतिमास किया जा रहा है । प्रोफीशियेन्सी इन स्पोकेन इंगलिश कोर्स अप्रैल 1981 में समाप्त हो चुका है और 148 प्रतिभागी प्रशिक्षित किये जा चुके हैं ।

प्रशिक्षण का अगला डिप्लोमा प्रशिक्षण जनवरी 1982 से प्रारम्भ होगा । अनुगमन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के मैनपुरी, फर्रुखाबाद, चमोली जनपदों के हाई स्कूल के लगभग 250 अंग्रेजी अध्यापकों को लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवीकृत किया जायेगा । आगरा तथा मथुरा नगरपालिका के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के लगभग 80 शिक्षक लघु प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किये जायेंगे । सतत शिक्षा केन्द्रों के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 600 शिक्षक प्रशिक्षित किये जायेंगे । अगस्त 1981 से सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया जा चुका है जिसके प्रथम चरण में आगरा एवं मेरठ मन्डल के अध्यापक/अध्यापिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिये छात्राध्यापिकाओं को राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला विद्यालयों में दो वर्षीय सी0 टी0 (शिशु शिक्षा) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण प्रदान किया जाता है । ये संस्थायें जुलाई 1965 से सेवारत हैं । इनमें प्रशिक्षणार्थियों को शिशु शिक्षण विधि का ज्ञान मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक पद्धति से कराया जाता है । शिशु शिक्षण हेतु अनेक अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं को तैयार कर शिशुओं की शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है ।

आगरा तथा मथुरा नगरपालिका क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के लगभग 80 शिक्षक लघु प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किये जायगे ।

प्रशिक्षण परीक्षाओं का परीक्षाफल

	पुरुष	महिला
1--बी० टी० सी० परीक्षा, 1981 द्वितीय वर्ष में शामिल	3,109	1,670
2--उत्तीर्ण	2,923	1,475
3--बी० टी० सी० परीक्षा, 1981 पुराना पाठ्यक्रम में शामिल	42	256
4--उत्तीर्ण	28	98
5--सी० टी० (गृह विज्ञान) परीक्षा, 1981 में शामिल	..	76
6--उत्तीर्ण	..	55
7--सी० टी० (नर्सरी) परीक्षा, 1981 म शामिल	..	114
8--उत्तीर्ण	..	99
9--सी० पी० एड० परीक्षा, 1981 में शामिल	175	26
10--उत्तीर्ण	158	25

टिप्पणी--सी० पी० एड० का प्रशिक्षण दो अशासकीय संस्थाओं द्वारा भी दिया जा रहा है जिनके आंकड़े ऊपर के आंकड़ों में शामिल है ।

VI--न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम (आयोजनागत)

(हजार रु० में)

1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
रु०	रु०	रु०
2,85,30	50,370	4,13,52

बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्राविधान जो वर्ष 1974-75 तथा अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता नामक लघु शीर्षक में होता रहा है, वर्ष 1975-76 से एक नये लघु शीर्षक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है । योजना आयोग के निर्देशानुसार प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के सभी कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गये है । परन्तु आय-व्ययक में केवल प्रारम्भिक शिक्षा को कतिपय योजनायें ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिखाई गई हैं । वर्ष 1981-82 के लिये निर्धारित परिव्यय तथा वर्ष 1982-83 के लिये प्रस्तावित परिव्यय निम्न सारिणी में दिया गया है :--

(लाख रुपये में)

	छठीं योजना 1980-85 का परिव्यय	1980-81 का वास्तविक व्यय	1981-82 का परिव्यय		1981-82 का सम्भावित व्यय		1982-83 का परिव्यय	
			कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय
प्राथमिक शिक्षा	8592.44	1023.68	1294.93	415.28	1307.52	416.63	1800.84	470.05
प्रौढ़ शिक्षा	481.24	19.90	73.82	20.46	59.59	2.93	85.11	6.00
योग ..	9073.68	1043.58	1368.75	435.74	1367.11	419.56	1885.95	476.05

अनौपचारिक शिक्षा योजना

अनौपचारिक शिक्षा योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में उसकी पूरक के रूप में प्रदेश के 56 जनपदों में वर्ष 1980-81 से संचालित की गयी इस योजनान्तर्गत खुलने वाले केन्द्रों में ऐसे बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गयी है जो किन्हीं आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के कारण या तो विद्यालय में आ ही नहीं रहे हैं या बिना प्राथमिक शिक्षा पूरी किये बीच में ही पढ़ना छोड़ चुके हैं। अनौपचारिक शिक्षा योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं; पहला जीवनोपयोगी ज्ञान तथा कौशल प्रदान करके गुणात्मक विकास करना और दूसरा इच्छुक बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।

केन्द्र संचालन--

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1980-81 में निर्धारित लक्ष्य 5,600 प्राइमरी तथा 1,600 मिडिल स्तर के केन्द्रों को खोलने के निर्देश दिये गये। यह केन्द्र प्रत्येक जनपद के शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़े हुए दो-दो विकास खण्डों में 50-50 प्राइमरी एवं 15-15 मिडिल, पर्वतीय जनपदों में 10-10 केन्द्र प्रति विकास खण्ड की दर से खुलने थे। परन्तु उनके स्थान पर प्रदेश भर में 5,364 प्राइमरी और 1,404 मिडिल स्तर के केन्द्र खुले। वर्ष 1981-82 में पुनः 5,600 प्राइमरी और 800 मिडिल स्तर के केन्द्र उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अन्य दो विकास खण्डों में संचालित किये जायेंगे। इन केन्द्रों के प्रारम्भ हो जाने पर योजना का विस्तार प्रत्येक जिले के चार विकास खण्डों में हो जायेगा।

छात्र संख्या--

वर्ष 1980-81 में खुले हुये केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या निम्नवत् रही :--

	प्राइमरी स्तर	मिडिल स्तर
(अ) अनुसूचित जाति	33694	5202
(ब) अनुसूचित जनजाति	2365	318
(स) सामान्य	64990	13892
योग ..	101049	19412

उपर्युक्त छात्र संख्या में सभी बालिकाओं का प्राइमरी स्तर पर प्रतिशत 29 रहा। वर्ष 1981-82 में खुलने वाले केन्द्रों प्राइमरी स्तरीय शिक्षा के 1,40,000 तथा मिडिल स्तर के 20,000 बालक/बालिकाओं को इन केन्द्रों पर लाने का लक्ष्य है।

पर्यवेक्षण--

योजना के सुचारु रूप से देख-रेख एवं सम्यक् रूप से पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिए प्रदेश स्तर पर एक संयुक्त शिक्षा निदेशक की नियुक्ति वर्ष के प्रारम्भ में ही की गयी थी। मन्डल स्तर पर एक विशेष कार्याधिकारी और प्रत्येक विकास खंड में जहां योजना चल रही है एक पर्यवेक्षक के पद सृजित किये गये। योजना के गहन कार्यान्वियन हेतु प्रदेश के 56 चयनित राजकीय दीक्षा विद्यालयों से दो-दो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सम्बद्ध किये गये हैं, जिन्हें 'एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स' के रूप में चलाया जा रहा है।

साहित्य--

पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक संदर्भिका, प्रचार सामग्री तथा सर्वेक्षण प्रपत्र आदि राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। ज्ञानदीप भाग-1 का संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण प्रकाशित हो रहा है। ज्ञानदीप भाग-2 तथा 3 की पान्डुलिपियां मुद्रण के लिए भेजी जा चुकी हैं। ज्ञानदीप भाग-4 तथा 5 की रचना के लिए राज्य शिक्षा संस्थान कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है, जिनकी पान्डुलिपियां दिसम्बर, 1981 में तैयार हो जाने की आशा है।

मूल्यांकन--

अनौपचारिक शिक्षा योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य में से वर्ष 1980-81 में लगभग 90% केन्द्र प्राइमरी एवं मिडिल स्तर के खुले। इन केन्द्रों पर निर्धारित लक्ष्य के 78 प्रतिशत प्राइमरी और 48 प्रतिशत मिडिल स्तर में बच्चों को शिक्षा दी गयी। छात्रों के मूल्यांकन से ज्ञात हुआ कि एक तिहाई निरक्षर बच्चों की प्रविष्टि हुई थी। एक तिहाई बच्चों में थोड़ा सा भाषा ज्ञान था तो गणित नहीं आती थी या गिनती थोड़ी जानते थे तो भाषा ज्ञान नहीं था। शेष प्रविष्टि बच्चे ऐसे थे, जिनको भाषा और गणित का ज्ञान कक्षा-1 के स्तर के समीप था।

उपर्युक्त छात्रों के एक वर्ष के अध्ययनोपरान्त मूल्यांकन करने पर ज्ञात हुआ कि 38 प्रतिशत बालक और 32 प्रतिशत बालिकाओं का ज्ञान स्तर भाषा और गणित में कक्षा-2 के समीप हो गया है। 32 प्रतिशत बालकों और 32 प्रतिशत बालिकाओं में भाषा और गणित में से एक विषय में स्तर कक्षा-2 और एक विषय का कक्षा-1 के समीप आया तथा 30 प्रतिशत बालकों और 36 प्रतिशत बालिकाओं में ज्ञान स्तर कक्षा-1 की भाषा और गणित के बराबर रहा।

छात्रों के ज्ञान स्तर में वृद्धि की दर में इस कमी का प्रमुख कारण यह रहा कि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में आने वाले बच्चे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। केन्द्र पर ही दो घंटे के समय में जो कुछ वे पढ़ते हैं उसी के आधार पर जो उनका ज्ञान स्तर बना है, उसका प्रतिबिम्ब उपर्युक्त सर्वेक्षण से पता चलता है।

VII अन्य व्यय—

(हजार रुपयों में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित व्यय	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	1,79,30	20312	20900
आयोजनागत	3170	5610	3196

इस शीर्षक के अन्तर्गत निबन्धक विभागीय परीक्षा, इलाहाबाद, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर के भ की व्यवस्था पूर्व विद्यालीय बच्चों एवं गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार की व्यवस्था एवं कुछ विविध प्रकार की संस्थाओं जैसे शिक्षक कल्याण निधि के लिये नेशनल फाउन्डेशन को अनुदान शिक्षकों को राज्य पुरस्कार, आचार्य प्रतिनिधि सभा को अनुदान एवं आधारित विद्यालयों (बेसिक स्कूलों) के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की गई है।

निबन्धक विभागीय परीक्षायें हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा के अलावा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति एवं नियुक्ति सम्बन्धी सभी सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रबन्ध निबन्धक विभागीय परीक्षा द्वारा किया जाता है। राजकीय दीक्षा विद्यालयों की बी० टी० सी० परीक्षा, सी० पी० एड० परीक्षा, सी० टी० परीक्षायें दक्षिण भारतीय भाषाओं की दक्षता परीक्षायें तथा उर्दू, फारसी, अरबी आदि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का संचालन इनके माध्यम से किया जाता है। एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है।

5—बालाहार योजना

बालाहार योजना इस समय प्रदेश के 51 जनपदों में चल रही है, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों (6-11 वर्ष) को पौष्टिक आहार दिया जाता है। यह योजना दो स्रोतों से चलाई जाती है। केयर संस्था का खाद्यान्न 40 जनपदों में तथा विभाग द्वारा 11 जनपदों में खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

विशेष पौष्टाहार योजना—

यह योजना पूर्व विद्यालयीन बच्चों (0-6) वर्ष तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए है। प्रदेश में यह योजना तीन स्रोतों से संचालित है। (1) केयर संस्था/(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा (3) विभागीय योजना।

केयर संस्था तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न विभाग को उपहारस्वरूप निःशुल्क प्राप्त होता है। विभागीय योजना अन्तर्गत खाद्यान्न क्रय करके बच्चों एव धात्री माताओं में वितरित किया जाता है। केयर संस्था एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर एवं मुरादाबाद जनपद के कुल 1,29,000 लाभार्थी लाभान्वित होते हैं। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों में पंजीरी वितरित की जाती है।

फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, जालौन, बांदा, ललितपुर, झांसी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी तथा देहरादून जनपदों में खाद्यान्न विभाग द्वारा क्रय करके वितरित किया जाता है।

इन दोनों योजनाओं का वर्ष 1980–81 का वास्तविक व्यय, 1981–82 का पुनरीक्षित अनुमान तथा 1982–83 का बजट अनुमान निम्न सारिणी में दिया गया है––

	1980–81 वास्तविक व्यय		1981–82 पुनरीक्षित अनुमान		1982–83 आय–व्ययक अनुमान	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	2	3	4	5	6	7
1––बालाहार योजना (मैदानी)	2787	11614	4650	12834	2150	13094
2––बालाहार योजना (पर्वतीय)	..	..	..	..	..	..
3––विशेष पौष्टाहार योजना (मैदानी)	273	3754	850	5337	850	5637
4––विशेष पौष्टाहार	265	..	400	..	500	..

(ख) माध्यमिक शिक्षा

i––निदेशन और प्रशासन––

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	9157	12986	13537
आयोजनागत	374	2061	1241

शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं । माध्यमिक शिक्षा स्तर के कार्यालयों एवं विद्यालयों को निर्देश एवं मार्ग दर्शन देने के अतिरिक्त यहाँ सम्बन्धित पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत नवीन योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है तथा उन योजनाओं में होने वाली न्यूनताओं का निर्धारण कर उनके सफल कार्यान्वयन में योगदान दिया जाता है । शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा उनके उन्नयन के लिए गोष्ठियों तथा सम्मेलनों आदि के आयोजन से सम्बन्धित कार्य का सम्पादन भी किया जाता है ।

माध्यमिक शिक्षा के अधीन चल रहे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में वेतन वितरण व्यवस्था एवं इन सभी विद्यालयों के लेखों की समुचित जांच करने के लिए शिक्षा विभाग के लेखा संगठन को सुदृढ़ किया है । निदेशालय के मुख्यालय में लेखा परीक्षा संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की गई है ।

1––शिक्षा विभाग के विभिन्न स्तरों पर नियोजन तथा अनुश्रवण कोष्ठक की स्थापना––

लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में एक नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोष्ठक की स्थापना जनवरी, 1981 में हुई है । इस सेल के अन्तर्गत 4 अधिकारी तथा विभिन्न वेतनक्रम में 14 कर्मचारियों के पदों का सृजन किया गया है । शासन ने इस योजना के अधीन लिपिकीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर केवल वही व्यक्ति नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये हैं, जिन्हें वैज्ञानिक व नियोजित ढंग से परियोजनाओं की संरचना, उसकी आधुनिक विधियों के प्रयोग हेतु सांख्यिकी का गहरा ज्ञान व अनुभव हो । इस व्यवस्था के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्तावित कार्यक्रमों के वित्तीय पक्ष के नियोजन, नियंत्रण निदेशन एवं मूल्यांकन हो सकेगा ।

2––पर्वतीय सेल की स्थापना––

शिक्षा विभाग के अधीन माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षा तथा निरीक्षण शाखा के पदों के संवर्गों के विकेन्द्रीकरण तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों का पर्वतीय क्षेत्र का अलग संवर्ग बनाने के उद्देश्य से शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय, इलाहाबाद में एक कोष्ठक (सेल) की स्थापना फरवरी, 1981 में की गयी है। इसके कार्यान्वयन हेतु शासन ने एक विशेष कार्याधिकारी तथा विभिन्न वेतनक्रम में 18 कर्मचारियों के पदों का सृजन किया है ।

शिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नवत् है—

क्रम–संख्या	पदों का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	शिक्षा निदेशक	2250–2750	1
2	निदेशक (एस० सी० आर० टी०)	2250–2750	1
3	अपर शिक्षा निदेशक (मा०)	1600–2000	1
4	संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय)	1400–1800	1
5	संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला प्रशिक्षण)	1400–1800	2
6	वित्त एवं मुख्य लेखाधिकारी	1200–1800	1
7	उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक, शिविर संस्कृत, सेवायें)	900–1600	7
8	उप निदेशक (तकनीकी सेल)	900–1600	1
9	सहायक निदेशक (भवन, सेवायें, एन० एफ० सी० नियोजन तथा अनुश्रवण कोष्ठक)	800–1450	7
10	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	800–1450	1
11	सहायक उप शिक्षा निदेशक (अर्थ०, मा० महिला विज्ञान)	550–1200	5
12	अनुसंधान अधिकारी	550–1200	3
13	वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक	550–1200	1 (रु० 50 विशेष वेतन)
14	विशेष कार्याधिकारी (पर्वतीय सेल)	550–1200	1
15	लेखाधिकारी	650–1300	1
16	लेखाधिकारी	550–1200	40
17	सांख्यिकी अधिकारी	550–1200	1
18	विधि अधिकारी	550–1200	1
19	स्क्रिप्ट राइटर (तकनीकी सेल)	450–950	2
20	सहायक लेखाधिकारी	450–950	32
		योग ..	110

ii निरीक्षण—

(हजार रु० में)

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित व्यय	1982–83 आय–व्यय अनुमान
आयोजनेत्तर	26056	18536	18796
आयोजनागत	306	879	1161

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्भागीय एव जिला स्तर के निरीक्षण अधिकारियों एवं उनके कार्यालयों तथा स्टाफ सम्बन्धी व्यय इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है। सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक तथा संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका भी (पाँच संभागीय में सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका भी) तथा जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक (कतिपय जिलों में यह जिला विद्यालय निरीक्षक भी) एवं जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका जहां हो, पर ही बेसिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा का समग्र प्रशासनिक दायित्व है। शासन ने वर्ष 1981–82 में जनपद मुरादाबाद, रामपुर तथा बिजनौर को सम्मिलित करते हुये मुरादाबाद में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक एवं मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के कार्यालयों की स्थापना की है। वे हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों का निरीक्षण एवं इन विद्यालयों से सम्बन्धित अन्य प्रशासकीय कार्य करते हैं तथा समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गय आदेशों का अनुपालन उन विद्यालयों के प्रशासकों द्वारा कराते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इन्टरमीडिएट कालेज

(अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन भुगतान) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्रशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के लेखन आदि का समय से भुगतान भी इन अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ।

उपर्युक्त शीर्षक के अन्तर्गत संभागीय तथा जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या निम्नवत् है—

क्रम सं0	अधिकारियों के पद	वेतन क्रम	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	संभागीय उप शिक्षा निदेशक	900—1600	12
2	संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका	800—1450	2 (100 रु0 विशेष वेतन)
3	जिला विद्यालय निरीक्षक	800—1450	56
4	विज्ञान प्रगति अधिकारी	550—1200	11
5	सहयुक्त जिला विद्यालय निरीक्षक	550—1200	51
6	जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका	550—1200	8
7	सह मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका	550—1200	5
8	निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	550—1200	1
9	व्यवसायिक शिक्षा अधिकारी	550—1200	4
10	सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	450—950	11
		योग ..	171

माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारियों के निरीक्षण दिवस की सूचना निम्नवत है :

क्रम-सं0	अधिकारी के पद	शिक्षा संहिता का अनुच्छेद	निरीक्षक दिवस विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	संभागीय उप शिक्षा निदेशक	16(10)	कम से कम वर्ष में चार मास (120)	शि0 नि0 द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है
2	संभागीय बालिका विद्यालय (निरीक्षिका)	42(9)	वर्ष में चार महीने का दौरा	शि0 नि0 की स्वीकृति लेनी होगी
3	जिला विद्यालय निरीक्षक	20(5)	वर्ष में 6 से 10 सप्ताह तक बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण	संभागीय उप शि0 नि0 की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी
		24	दो वर्ष में कम से कम एक-एक बार बालकों के प्रत्येक मान्यता प्राप्त उ0 मा0 वि0 का अनौपचारिक रूप से पूर्ण निरीक्षण जो तीन दिन का होना चाहिए	
		25	वर्ष में जनपद के प्रत्येक उ0 मा0 विद्यालय का एक बार नियमित रूप से उप निरीक्षण	

1	2	3	4	5
4	निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें	53	60 दिन	
5	सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	54	150 दिन	

III—राजकीय माध्यमिक विद्यालय--

(हजार रुपयों में)

	1980–81	1981–82	1982–83
	वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित व्यय	आय–व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
आयोजनेतर	15,73,40	18,28,53	18,36,48
आयोजनागत	51,69	1,08,48	1,10,98

वर्ष 1981–82 में मैदानी जिलों में 8 तथा पर्वतीय जिलों में 4 नये राजकीय हाई स्कूल असेवित क्षत्रों में खोले गए तथा मैदानी जिलों के 6 तथा पर्वतीय जिलों के 10 राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया गया ।

1 अप्रल, 1981 को प्रदेश में राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 723 थी । इनमें बालकों के 538 तथा बालिकाओं के 185 विद्यालय हैं । मैदानी तथा पर्वतीय जिलों में स्थिति राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है--

क्षेत्र	राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय		
	बालक	बालिका	योग
मैदानी जिलों में	119	139	258
पर्वतीय जिलों में	424	47	471
योग ..	543	186	729

माध्यमिक शिक्षा के विकास के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1981–82 में कतिपय योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है :

योजना सं0	योजना का नाम	वर्ष 1981–82 में उपलब्धि			
		पर्वतीय		मैदानी	
		कुल	बालिका	कुल	बालिका
1	2	3	4	5	6
60102013	राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का उच्चीकरण तथा नये राजकीय हाई स्कूलों का खोला जाना	8	1	8	2

1	2	3	4	5	6
60102015	राजकीय हाई स्कूलों का उच्चीकरण	10	1	6	5
60102015	राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश	1	..	22	5
60102046	राजकीय विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधायें	2	..	20	16

आवासीय शिक्षा योजना--ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों के लिये प्रदेश के 26 जनपदों में आवासीय शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में अध्यापकों द्वारा बच्चों के व्यक्तिगत अध्यापन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना से कक्षा 9 से 12 तक के छात्र लाभान्वित होते हैं। आवासीय शिक्षा योजनान्तर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों के मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश देने के लिए 18 प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं।

IV--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता--

	1980-81	1981-82	1982-83
	वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित व्यय	आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	78,94,31	88,18,46	93,28,53
आयोजनागत	1,26,61	2,27,80	3,18,46

आवासीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रदेश के सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन महंगाई भत्ता तथा क्षतिपूर्ति आदि पर होने वाले व्यय के लिये अनुदान दिये जाते हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत बालक तथा बालिका विद्यालयों का आयोजनेत्तर पक्ष के प्राविधान से निम्न प्रकार के अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं।

(क) आवर्तक अनुदान--

(1) वेतन, महंगाई, मकान किराया, भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता एवं त्रिभाषा अध्यापक।

(2) असहायक विद्यालयों के कक्षा 6 के शुल्क की क्षतिपूर्ति।

(3) रु0 450 तक वेतन पाने वाले बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को इन्टर स्तर तक शिक्षा शुल्क से मुक्ति।

(4) निर्वाह निधि का राजकीय अंश।

(5) आंग्ल भारतीय विद्यालयों को अनुदान।

(6) रु0 450 तक वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के बच्चों को अर्द्ध शुल्क मुक्ति।

(7) कक्षा 7 से 10 तक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा क्षतिपुर्ति।

(8) रीजनल कालेज अजमेर में अध्यापकों की प्रशिक्षण अवधि में प्रति स्थानों की व्यवस्था।

(ख) अनावर्तक अनुदान--

(1) साज-सज्जा काष्ठोपकरण।

(2) भवन अनुदान।

(3) पुनर्गठन अनुदान।

(4) प्राकृतिक प्रकोप ग्रस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान।

(5) जमीन्दारी उन्मूलन अनुदान।

प्रदेश में चल रहे अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, उनमें कार्यरत अध्यापकों की संख्या, छात्रों की संख्या तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या निम्न सारिणी में दिये गये हैं--

शीर्षक	1979-80	1980-81	1981-82
(क) मान्यता प्राप्त उ० मा० वि०--			
(1) लड़कों के	4,359	4,404	4,600
(2) लड़कियों के	745	806	826
(ख) उच्चत्तर माध्यमिक कक्षाओं की छात्र संख्या--			
(1) लड़के	1,534,682	15,67,849	16,73,990
(2) लड़कियाँ	3,02,233	3,16,272	37,811
(ग) उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या--			
(क) पुरुष	90,933	92,293	96,515
(ख) महिला	19,497	20,087	22,537
(घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कुल संख्या--			
1-- हाई स्कूल परीक्षा—			
(1) लड़कों की शिक्षा संस्थायें	3,921	4,150	4,213
(2) लड़कियों की शिक्षा संस्थायें	666	692	695
2--इण्टरमीडिएट परीक्षा--			
(1) लड़कों की शिक्षा संस्थायें	3,172	2,386	2,459
(2) लड़कियों की शिक्षा संस्थायें	388	426	419

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों को निम्नलिखित छठी योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार के अनुदान देने एवं विद्यालयों के विकास की व्यवस्था की गई है--

(क) असहायिक उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के असहायिक उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलत किये जाने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1980-81 में पर्वतीय क्षेत्र के 4 तथा मैदानी क्षेत्र के 20 विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया। वर्ष 1981-82 में पर्वतीय क्षेत्र के 20 तथा मैदानी क्षेत्र के 100 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1982-83 में भी पर्वतीय क्षेत्र के 6 तथा मैदानी क्षेत्र के 40 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) सहायता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय को अतिरिक्त छात्र संख्या तथा सेनेटरी सुविधा हेतु अनुदान देने की योजना में जिन विद्यालयों में छात्र संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है उन्हें अतिरिक्त कक्षा निर्माण तथा साज-सज्जा के लिए अनावर्तक अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1980-81 में पर्वतीय क्षेत्र के 4 तथा मैदानी क्षेत्र के 9 विद्यालयों को अनुदान दिया गया। वर्ष 1981-82 में पर्वतीय क्षेत्र के 6 और मैदानी क्षेत्र के 60 विद्यालयों को अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1982-83 में भी इस योजना को संचलित रखने के लिए आवश्यक प्राविधान प्रस्तावित है।

(ग) सहायता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय को पुस्तकालय सम्वर्धन हेतु अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत विद्यालयों की अच्छी पुस्तकें खरीदने तथा विद्यालय पुस्तकालय के सम्वर्धन के लिए अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1980-81 में पर्वतीय क्षेत्र के 5 तथा मैदानी क्षेत्र के 7 विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान दिया गया। वर्ष 1981-82 में भी पर्वतीय क्षेत्र के 5 तथा मैदानी क्षेत्र के 20 विद्यालयों को अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1982-83 में भी प्रश्नगत योजना को संचलित रखने का प्रस्ताव है।

(घ) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अभिनव प्रयोग के लिए अनुदान देने की योजना वर्ष 1980–81 से संचालित की गई है । इसके अन्तर्गत 1980–81 में 1,50,000 रु० का प्राविधान था, जिसमें 38 विद्यालयों को अनुदान दिया गया । वर्ष 1981–82 में मैदानी क्षेत्र के 25 विद्यालयों को उक्त परियोजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया गया है । इस वर्ष 1982-83 के लिए भी योजनान्तर्गत 30 विद्यालयों को अनुदान दिये जाने की प्रस्तावना है ।

(ङ) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुसार देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में मैदानी क्षेत्र के 301 विद्यालयों को दक्षता अनुदान दिया गया । वर्ष 1981–82 में भी उक्त योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में 18 तथा मैदानी क्षेत्र में 30 विद्यालयों को देने का प्रस्ताव है । वर्ष 1982–83 में भी उक्त योजना को संचालित रखने का प्रस्ताव किया गया है ।

(च) सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला तथा विज्ञान उपकरण हेतु प्राविधान करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में 20 विद्यालयों को विज्ञान अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र का 1 विद्यालय सम्मिलित है । वर्ष 1981–82 में 51 विद्यालयों को साज–सज्जा हेतु 9,90 000 स्वीकृत करने का प्रस्ताव है । वर्ष 1982–83 में भी इस योजना को संचालित रखने का प्रस्ताव किया गया है ।

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहयता प्राप्त उच्चतर विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने की योजना वर्ष 1979–80 में संचालित की गयी ।

इस योजना के अधीन उन्हीं बालक विद्यालयों को अनुदान किया जाता है, जिनमें बालिकायें भी शिक्षा प्राप्त कर रहीं हैं । वर्ष 1981–82 में उक्त परियोजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 13 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 5 विद्यालयों को अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है । यह योजना वर्ष 1982–83 में भी चालू रहेगी ।

(ज) मैदानी जनपदों के पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित बालिका विद्यालयों को विकास एवं उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करन हेतु वर्ष 1981–82 से एक नवीन योजना संचालित की गयी है । इस परियोजनान्तर्गत वर्ष 1981–82 में 5 बालिका विद्यालयों को शत–प्रतिशत अनुदान देने हेतु 7,00,000 रु० का प्राविधान है । वर्ष 1982–83 में भी 5 बालिका विद्यालयों को उक्त अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है ।

(झ) मैदानी जनपदों के सहायता प्राप्त उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का विकास अनुदान देने की एक नवीन परियोजना वर्ष 1981–82 से संचालित की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981–82 में 3 उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 1,00,000 रु० प्रतिविद्यालय की दर से अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 1982–83 में यह योजना चालू रखने का प्रस्ताव किया गया है ।

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों की संख्या वेतन क्रमानुसार निम्नवत् है :–

क्रमांक	पद	संख्या	वेतन–क्रम
1	2	3	4
1	प्रधानाचार्य	2,236	550–1,200
2	प्रधानाध्यापक	1,749	450–950
3	प्रवक्ता चयन वेतनमान	145	450–850
4	प्रवक्ता	19,282	400–750
5	प्रशिक्षित स्नातक (चयन वेतनमान)	469	350–750
6	प्रशिक्षित स्नातक	30,140	330–550
7	प्रशिक्षित अभिस्नातक (चयन वेतनमान)	88	280–460
8	प्रशिक्षित अभिस्नातक	3,537	250–425
9	जे० टी० सी० वेतनक्रम	5,816	200–320
10	जू० हा० स्कूल तथा ए० टी० सी०–बी० टी० सी०	191	175–250
11	प्रधान लिपिक	2,333	230–385
12	सहायक लिपिक	7,152	200–320
13	दफ्तरी	2,659	170–225
14	चपरासी	34,379	165–215

V-- छात्रवृत्ति/छात्र वेतन (हजार रुपये में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	8,400	9,612	2,612
आयोजनागत	1,884	2,780	3,030

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 6-8 व 9-12 में विभिन्न प्रकार की योग्यता छात्रवृत्तियां मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन देने तथा उनके अध्ययन हेतु प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। विद्यार्थियों की दयनीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये उन्हें सहायता देने हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 1982-83 में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख छात्रवृत्तियां प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी :--

क्रम-संख्या	छात्र वृत्तियों के नाम	आय-व्ययक अनुमान 1982-83	छात्रवृत्तियों की संख्या एवं दर
1	2	3	4
1	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजना	2655	माध्यमिक स्तर पर 2930 छात्रवृत्तियां 60 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासी छात्र को 100 रु0 प्रतिमाह की दर से की जाती हैं।
2	हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर दी जाने वाली इन्टर में मिलने वाली योग्यता छात्र वृत्तियां	2440	2985 छात्रवृत्तियां 40 रु0 प्रतिमाह। इसके अतिरिक्त मदानी जिलों में 1421 व पहाड़ी जिलों में 150 छात्रवृत्तियां आयोजनागत प्राविधान से भी दी जा रही हैं।
3	माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9-12 पर अतिरिक्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था	160	2376 छात्रवृत्तियां कक्षा 9-10 में 15 रु0 की दर से तथा 11-12 में 25 रु0 प्रतिमाह की दर से।
4	प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त हाई स्कूल छात्रवृत्ति की व्यवस्था	1511	3848 छात्रवृत्तियां उपर्युक्त दरों के अनुसार।
5	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति	120	हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर 102 छात्र-वृत्तियां 50 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रवासी को 75 रु0 प्रतिमाह।
6	ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के कक्षा 9-10 के प्रतिभावन छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां	2019	4497 छात्रवृत्तियां 15 रु0 मासिक (चुने हुये विद्यालयों में यदि शुल्क नहीं लगती 25 रु0 यदि शुल्क लगती है 50 रु0 प्रतिमाह) ऐसे छात्र को जो अनुमोदित विद्यालय के छात्रावास में, प्रवेश लेते हैं 100 रु0 प्रतिमाह।
7	अवर उच्च विद्यालयों की कक्षा 7-8 में अतिरिक्त छात्रवृत्तियां की व्यवस्था	180	1567 छात्रवृत्तियां 5 रु0 प्रतिमाह।
8	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों का छात्र वेतन	285	प्राविधान के अन्तर्गत कक्षा 6-8 में 5 रु0 प्रति माह कक्षा 9-10 में 10 रु0 प्रतिमाह तथा कक्षा 11-12 में 15 रु0 प्रतिमाह।
9	प्रदेश के चुने हुये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिये प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्तियां देना	61	15 छात्र वृत्तियां कक्षा 9-10 में 50 रु0 प्रति माह तथा छात्रावासी छात्रों को 100 रु0 प्रतिमाह तथा 11-12 में 75 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रवासियों को 150 रु0 प्रतिमाह

1	2	3	4
10	माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल/इन्टर परीक्षा में, प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को विशेष सुविधायें	20	(1) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को आगे दो वर्ष तक मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में शुल्क से मुक्ति । (2) पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था हेतु क्रमशः 200 रु0 तथा 300 रु0 ।
11	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को छात्र-वृत्तियां तथा पुस्तकीय सहायता	142	जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं में 130 छात्रवृत्तियां (हर कक्षा 6,7 व 8 में क्रमश 4,5,6, रु0 प्रति माह तथा 666 पुस्तकीय सहायता) (15 रु0 प्रति छात्र) हाई स्कूल कक्षाओं में 153 छात्रवृत्तियां 10 रु0 मासिक तथा 500 पुस्तकीय सहायता 20 रु0 प्रति छात्र । इन्टर कक्षाओं में 125 छात्रवृत्तियां 16 रु0 प्रतिमास एवं 250 पुस्तकीय सहायता 25 रु0 प्रति छात्र ।
12	सीमान्त क्षेत्रों के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू0 पी0 पी0 एस0 सी0 के जवानों तथा सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों, आश्रितों को छात्र वृत्तियां तथा पुस्तकीय सहायता ।	12	क्रम 11 में अंकित दरों पर प्रत्येक मण्डल के जूनियर हाई स्कूल और इन्टर स्तर के एक बालक तथा एक बालिका की छात्रवृत्ति एवं एक बालक तथा एक बालिका को पुस्तकीय सहायता ।
13	वीर चक्र शृंखला विजेताओं के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें ।	36	समस्त शैक्षिक शुल्कों से मुक्ति तथा सामूहिक पोशाक हेतु धनराशि ।
14	सन् 1962 तथा 1965 के युद्धों में मारे गये अथवा अस्थायी रूप से अपंग तथा 1971 के युद्ध बन्दियों व लापता घोषित प्रतिरक्षा कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं को शैक्षिक सुविधायें	15	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत क्रम 11 में अंकित दरों पर ।
15	1965 तथा 1971 के पाकिस्तान आक्रमण का सामना करने वाले, प्रतिरक्षा कर्मचारियों एवं उनके बच्चों तथा अश्रितों को शैक्षिक सुविधायें	20	स्वीकृत प्राविधान के अतर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर कक्षा 1-5 में 3 रु0 कक्षा 6 में 4 रु0 कक्षा 7 में 5 रु0 कक्षा 8 में 6 रु0 कक्षा 9-10 में 10 रु0, कक्षा 11 व 12 में 15 रु0 प्रतिमाह पुस्तकीय सहायता क्रमश कक्षा 1-5 में 10 रु0, कक्षा 6-8 में 15 रु0, कक्षा 9-10 में 20 रु0, कक्षा 11-12 में 25 रु0 ।
16	माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां	110	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर कक्षा 9-10 में 10 रु0 प्रतिमाह कक्षा 11-12 में 15 रु0 प्रतिमाह ।
17	उत्तराखण्ड स्थित संस्कृत संस्थाओं के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिये विशेष छात्र-वृत्ति की व्यवस्था	30	स्वीकृत प्राविधान के अनुसार प्रावेशिका, प्रथमा, माध्यम, शास्त्री और आचार्य स्तर पर क्रमशः 8, 10, 15, 20 और 25 रु0 प्रतिमाह की दर से क्रमशः 17, 37, 56, 10 और 6 छात्रवृत्तियां ।
18	पर्वतीय क्षेत्र में स्थित संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति ।	12	स्वीकृत प्रविधान के अन्तर्गत कक्षा 7 व 8,9-10, 11-12, क्रमशः 5 रु0 10 रु0 तथा 15रु0 के बीचर्त छात्र वृत्तियां दी जाति हैं ।
19	उत्तराखंण्ड स्थित विद्यालयों में कक्षा 12 के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति	310	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत कक्षा 7-8 में 5 रु0 कक्षा 9-10 में 10 रु0 तथा कक्षा 11-12 में 16 रु0 ।

1	2	3	4
20	सुदूर सीमान्त क्षेत्रों, जिलों में छात्रों को शैक्षिक सुविधायें	1	स्वीकृत प्राविधान के आधार पर जूनियर हाई स्कूल स्तर पर 15 रु0, प्रतिमाह, हाई स्कूल कक्षा 9–10 में 30 रु0 प्रतिमास तथा इन्टर कालेज 11–12 म 25 रु0 प्रति माह की दर से स्वीकृत की जाती है
21	कक्षा 9–10 में छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर दी जा रही छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि	285	क्रम 3 के अनुसार
22	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितो तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधायें	625	जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इन्टर स्तर पर क्रमशः 8, 15 व 25 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्तियां क्रमशः 5075 व 100 रु0 प्रतिछात्र को पुस्तकीय सहायता ।
23	चम्बल घाटी के आत्मसमर्पणकारी डाकुओं तथा उनके द्वारा सताये गये परिवारों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें	180	इस श्रेणी के बच्चों को प्राथमरी, जूनियर, माध्यमिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में क्रमशः 35, 40, 50 तथा 75 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/ छात्रावासी होने की दशा में दरें क्रमशः 60, 60, 65, 75 व 100 रु0 प्रति माह होगी।
24	वर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा	4	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार पर अनावासिक छात्रों को पुस्तकीय सहायता (जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इन्टर स्तर पर क्रमशः 30, 40 व 50 रु0 प्रति छात्र) तथा छात्रावासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इन्टर तीनों स्तरों पर 50 रु0 प्रतिमाह)
25	बंगला देश के नए विस्थापिकों के बच्चों को जो शिविरों के बाहर रह रहे हैं, केन्द्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता	3	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार पर अनावासिक छात्रों को पुस्तकीय सहायता (जूनियर स्तर पर 10 छात्रों को 30 रु0 प्रति छात्र, हाई स्कूल स्तर पर 75 छात्रों को 45 रु0 प्रति छात्र तथा इन्टर स्तर पर 50 छात्रों को 50 रु0 प्रति छात्र) तथा छात्रावासी छात्रों को छात्रवृत्तियां (हाई स्कूल स्तर पर 50 छात्रों को 40 रु0 प्रति माह और इन्टर स्तर पर 30 छात्रों को 50 रु0 प्रति–माह)
26	सामुद्रिक अभियंत्रण, कलकत्ता तथा डफरिन, बम्बई के प्रशिक्षार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां	50	क्रमशः 10 व 20 छात्रवृत्तियां 75 रु0 प्रतिमाह की दर से

इस शीर्षक के अन्तर्गत 250 की वृद्धि हुई जो कतिपय नई छात्रवृत्ति योजनाओं के सम्मिलित किये जाने के कारण है ।

VI—शिक्षकों का प्रशिक्षण—

—	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
1	2	3	4
आयोजनतर	15,528	18,473	18,760
आयोजनागत	438	2,066	4,252

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकायें सुलभ कराने हेतु प्रदेश में कुल 12 एल0 टी0 प्रशिक्षण कालेज हैं, जिनमें से 5 राजकीय, 7 अराजकीय हैं। राजकीय कालेज निम्नलिखित हैं :—

1—राजकीय केन्द्रीय अध्यापक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद।

2—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

3—राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी।

4—राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

5—राजकीय महिला गृह-विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अशासकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय निम्नवत् हैं :—

1—किंकिंचन प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

2—किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती।

3—दिग्विजय नाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर।

4—प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।

5—काली प्रसाद प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

6—डी0 ए0 वी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।

7—किशोरी रमण प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।

इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों की प्रवेश संख्या एवं परिक्षार्थियों की संख्या का विवरण एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित की गई है :—

—	विद्यालयों की संख्या		प्रवेश संख्या		सम्मिलित		वर्ष 1981 का परीक्षाफल उत्तीर्ण	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क—एल0 टी0	8	1	780	100	719	294	542	218
ख—एल0 टी0 (बेसिक)	1	..	60	60	58	54	52	49
ग—एल0 टी0 (रचनात्मक)	1	..	175	..	109	45	98	45
घ—एल0 टी0 (गृहविज्ञान)	..	1	..	30	..	5	..	5

नोट :—(1) राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में (एल0 टी0 रचनात्मक) एल0 टी0 (कृषि) एल0 टी0 (विज्ञान) में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(2) अध्यापक छात्र अनुपात राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 1:10 तथा अशासकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 1:10 का है।

(3) पुरुष एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय में महिलाओं का भी प्रवेश होता है, किन्तु उनके लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है उक्त सेवा पूर्व के अतिरिक्त सेवा-कालीन एल0 टी0 प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। किन्तु नवम्बर, 1980 से पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्यरत प्रसार अध्यापकों तथा शिल्प शिक्षकों को ही इस प्रशिक्षण से लाभान्वित किया जा रहा है।

शिक्षण–प्रशिक्षण समस्याओं पर अनुसंधानात्मक कार्य—

प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संलग्न विभाग शिक्षण एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धानात्मक कार्य और उसके द्वारा प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के अमूल्य अनुभवों और प्रयोगों को भी शिक्षा जगत के समक्ष लाने का प्रयास करता है ।

प्रदेश की विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं के कार्यकलापों में समन्वय एवं एकरूपता बनाये रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना सितम्बर, 1981 से की गई । इसके कार्यान्वयन हेतु शासन ने एक राजपत्रित (निदेशक) तथा 4 विभिन्न वेतन क्रम के अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों का सृजन किया है ।

VII—अन्य व्यय—

(हजार रुपये में)

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	67,991	63,895	66,028
आयोजनागत	2,413	3,684	7,104

उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास की स्रोत सामग्रियों का संकलन एवं प्रकाशन के कार्य, शैक्षिक संग्रहालय एवं प्रकीर्ण अन्य व्ययों के प्राविधान सम्मिलित किये जाते हैं ।

1—माध्यमिक शिक्षा परिषद् :—

(हजार रुपयों में)

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	65,177	60,921	63,284
आयोजनागत	504	542	..

हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप परिषद् का कार्य बहुत बढ़ गया है । इस बढ़े हुए कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए परिषद् की परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई । फलतः मेरठ में फिर 1978 में वाराणसी में एवं 1981 में बरेली में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है । बरेली कार्यालय द्वारा 1982 की परीक्षाओं को कार्यवाही (लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली तथा कुमाऊं मण्डलों की) सम्पन्न की जायेगी । जुलाई, 1982 से चौथा क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद में खोलने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1980 की परीक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या मुख्य तथा पूरक परीक्षाओं में कुल 15,51,348 थी । माध्यमिक शिक्षा परिषद् की 1981 की परीक्षाओं में 14,50,883 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए ।

वर्ष 1980 एवं 1981 की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों का विवरण निम्नवत् है :

परीक्षा वर्ष	पंजीकृत परीक्षार्थी	पूरक परीक्षार्थी	कुल परीक्षार्थियों की पंजीकृत संख्या
1980	14,26,378	1,24,970	15,51,348
1981	13,17,695	1,33,188	14,50,883

इसी क्रम में ज्ञातव्य है कि परीक्षा पद्धति में सुधार लाने तथा परीक्षा संचालन कार्य को सुगम साध्य बनाने हेतु कई योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 1980 की परीक्षायें 3024 परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से सम्पन्न की गई। जबकि वर्ष 1981 की परीक्षायें संस्थागत एवं व्यक्तिगत अलग-अलग करने के परिणामस्वरूप परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ कर 3,114 हो गई थी। इससे नकल सम्बन्धी समस्या का पर्याप्त सुधार हुआ। केन्द्रीय मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981 में मूल्यांकन केन्द्र की संख्या वर्ष 1980 के मूल्यांकन केन्द्रों की संख्या की भांति 114 ही रखा गया, किन्तु इसके अतिरिक्त 55 संकुलन केन्द्र भी बनाए गए थे। वर्ष 1981 की व्यक्तिगत परीक्षाओं को क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, वाराणसी द्वारा अलग से संचालित किया गया।

इसी क्रम में यह भी ज्ञातव्य है कि परीक्षा पद्धति में सुधार लाने तथा परीक्षा संचालन कार्य को सुगम बनाने हेतु शासन ने कई योजनायें कार्यान्वित की हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षाओं का पृथक्-पृथक् आयोजन है। वर्ष 1982 की परीक्षाओं से हिन्दी विषय में पुनः तीन प्रश्न-पत्र किए जा रहे हैं। ऐसा मातृ-भाषा हिन्दी के उन्नयन की दृष्टि से किया गया है। वर्ष 1981 की परीक्षाओं में सम्पूर्ण परीक्षाफल कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराया गया।

कक्ष निरीक्षक, केन्द्र व्यवस्थापक आदि के पारिश्रमिक पावना-पत्रों का पारण क्षेत्रीय कार्यालयों मेरठ, वाराणसी के अन्तर्गत आने वाले जनपदों का क्षेत्रीय कार्यालय से किया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय लोगों को सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि परिषद् की वर्ष 1984 परीक्षा से अनिवार्य 10 वर्षीय पाठ्यक्रम द्वारा परीक्षा लेने का निर्णय किया गया है। इसके लिए अनिवार्य विषय हिन्दी, गणित के अतिरिक्त विज्ञान एक या विज्ञान-दो, एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पुस्तकों का निर्माण राष्ट्रीयकरण अनुभाग द्वारा कराया जायेगा।

मूल्यांकन केन्द्र के व्ययादि पर नियंत्रण रखने के लिए मूल्यांकन एवं निरीक्षण अनुभाग एवं परिषद् कार्यालय की स्टेशनरी आदि का क्रय सुचारु रूप से करने के लिए क्रय अनुभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न प्रकार के आंकड़े एवं सांख्यिकी का संकलन करने के लिए नियोजन अनुभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। परिषद् के 1950 तक के सारिणीयन खंडों की माइक्रोफिल्मिंग का कार्यवाही माइक्रोफिल्मिंग अनुभाग द्वारा पूर्ण कर ली गई है। मूल्यांकन एवं शोध अनुभाग द्वारा दस वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर निर्देशिका का निर्माण करने हेतु गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।

हाई स्कूल स्तर के भाषा विषयों तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी एवं सामाजिक विषयों यथा नागरिकशास्त्र, इतिहास अर्थशास्त्र एवं भूगोल में आदर्श प्रश्न-पत्रों का निर्माण कराकर इन्हें विद्यालयों को प्रेषित किया गया है। इन पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया ज्ञात की जा रही है साथ ही इन पर भी गोष्ठियों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है।

पत्राचार शिक्षा संस्थान

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों, जिनकी संख्या वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, से सम्बन्धित परीक्षा पद्धति के अभीनवीकरण हेतु शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में एक पत्राचार शिक्षा संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ करेस्पान्डेन्स एजूकेशन) की स्थापना की जाय और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक हो कि वह उक्त संस्थान द्वारा विहित पाठ्यक्रम का अनुसरण करें। कालान्तर में यह संस्थान ही व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से सम्बन्धित समस्त परीक्षा कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लेगा। अतः इस संस्थान की स्थापना हेतु वर्ष 1980-81 में शासन द्वारा निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं :--

वर्ग	वेतन-क्रम	पदों की संख्या
	रु0	
1--अपर शिक्षा निदेशक	1,600-2,000	1
2--सहायक उप-शिक्षा निदेशक	550-1,200	1
3--आशु लेखक	330-500	2
4--टीपा लेखक	280-460	2
5--नैरियक लिपिक	200-320	2
6--अर्दली तथा चपरासी	165-215	3

II--मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद--

(हजार रुपयों में)

	1980-81 वास्तविक आय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आव-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	921	1145	1239
आयोजनागत	..	..	..

इलाहाबाद में स्थापित मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था है जो मुख्यतः शैक्षिक व्यावसायिक तथा वैयक्तिक निर्देशन का कार्य करती है। निर्देशन में प्रयुक्त विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण तथा तत्सम्बन्धित शोध कार्य भी यहां होता है। प्रदेश की मनोवैज्ञानिक सेवाओं में विभिन्न स्तरों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा प्रणालियों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि हेतु यहां गाइडेन्स मनोवैज्ञानिक निदेशन प्रमाण-पत्र, एक पूर्व वर्षीय प्रशिक्षण 1975-76 से चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष 15 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 1976-77 में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों के लिए आवासीय छात्र योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत कुछ चुने हुए विद्यालयों में छात्रों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इन विशिष्ट छात्रों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण, निर्देशन एवं परामर्श का पूरा दायित्व मनोविज्ञान-शाला तथा इसके सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक मण्डल में स्थापित मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों का है। इन छात्रों के अनुवर्ती अध्ययन का एक योजना मनोविज्ञानशाला में वर्तमान में चल रही है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत इंटरमीडिएट कक्षाओं में मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं को यहां प्रतिवर्ष बुलाकर इन विषयों की आधुनिक प्रवृत्तियों तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में दीक्षित भी किया जाता है। जिससे वे अपने नवीनतम प्राप्त ज्ञान से बालक/बालिकाओं को भी अवगत करा सके और इसके फलस्वरूप वे छात्र उच्च कक्षाओं के लिए निर्धारित मनोविज्ञान एवं शिक्षा पाठ्य-विषयों को सुगमता से ग्रहण कर सकें। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के विशेषज्ञों को भी यहां समय-समय पर बुलाकर मनोविज्ञान विधियों में प्रशिक्षित किया जाता है।

मनोविज्ञानशाला द्वारा पी० टी० सी० कालेज, मुरादाबाद तथा सीतापुर, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ तथा स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ को प्रवेश परीक्षाओं में भी सहायता प्रदान की जाती है।

(III) केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय--

(हजार रुपयों में)

1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
591	587	612

इलाहाबाद स्थित राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय एक अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण संस्था है इसकी स्थापना सन् 1949 में की गयी थी। इस में प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में प्रकाशित प्रायः प्रत्येक पुस्तक एक-एक प्रतिसंग्रहीत है। इस प्रकार कापीराइट संग्रह की लगभग एक लाख पुस्तकें संग्रहीत की जा चुकी हैं। इनमें से कुछ पुस्तकें अत्यन्त दुर्लभ बहुमूल्य तथा शोध एवं अनुसंधान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद हैं।

वर्ष 1980-81 के अन्त तक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली तथा संस्कृत भाषा की लगभग 48900 पुस्तकों का नवीनतम संग्रह है। पंजीकृत गृहीताओं की संख्या 75884 हो चुकी है 39, 633 पाठकों ने पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष में पुस्तकों, दैनिक पत्र एवं पत्रिकाओं का सन्दर्भ एवं सामान्य अध्ययन के लिए प्रयोग किया।

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय के अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र में आठ जिला पुस्तकालय गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, झांसी, आगरा, मथुरा, मेरठ एवं बरेली जिलों में हैं। पर्वतीय क्षेत्र में छः जिला पुस्तकालय अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, टिहरी तथा उत्तरकाशी में स्थित है। यह सभी पुस्तकालय अपने-अपने जनपदों में जनसाधारण को स्वाध्यायों की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रत्येक जिला पुस्कालय में लगभग बारह हजार पुस्तकों का संग्रह है।

पुस्तकालय कोष्ठक--

सचिवालय स्तर पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक पुस्तकालय कोष्ठक की स्थापना वर्ष 1980-81 में की गई थी। इस कोष्ठक को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह प्रदेश में एक आधुनिक पुस्तकालय पद्धति के विषय में आवश्यक परियोजनायें बनाने और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्य करें। सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान, राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन योजना, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण आदि विषयक जो कार्य शिक्षा निदेशालय में होता था वह इस कोष्ठक को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय के नये भवन के निर्माण हेतु शासन द्वारा 14,90,000 रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा निर्माण कार्य वर्ष 1980-81 से प्रारम्भ हो गया है।

इस शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1982-83 में 25 हजार रु० की वृद्धि हुयी है जो मुख्यतः सामान्य वेतन वृद्धियों के अतिरिक्त वर्तमान आठ जिला पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण तथा तीन जिला पुस्तकालयों की स्थापना एवं पद्धति का विकास नामक योजनाओं को सम्मिलित किये जाने के कारण है।

(vi) स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की स्रोत सामग्रियों का संकलन एवं प्रकाशन :—

(हजार रुपयों में)

1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
134	159	159

(vii) शैक्षिक संग्रहालय :—

(हजार रुपये में)

1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
65	92	93

शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश के चार जिले मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, देवरिया और इटावा में शैक्षिक संग्रहालय व्यवस्था की गई है जिसमें कला, शिल्प, दस्तकारी आदि का शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त छात्रों द्वारा बनाये गये विशेष प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। इसकी देखभाल सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जाती है।

चालू वित्तीय वर्ष 1982–83 में इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल 1,000 रु० की वृद्धि हुयी है, जो वास्तविकता के आधार पर है।

(viii) प्रकीर्ण व्यय :—

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	1104	966	941
आयोजनागत	1400	920	3449

इस शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को उनके कार्य–कलापों को सम्पादित करने हेतु अनेक प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं। ये अनुदान आवर्तक/अनावर्तक रूप से आयोजनेतर एवं आयोजनागत आय–व्ययक में व्यवस्थित प्रावधानों से स्वीकृत किये जाते हैं। वर्ष 1982–83 में इन "प्रकीर्ण" संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि निम्न तालिका में प्रत्येक संस्था के समक्ष अंकित है :—

क्रम–संख्या	संस्थाओं का नाम	वर्ष 1982–83 में दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि
1	2	3
1	पुस्तकालयों और वाचनालयों को अनुदान	147
2	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	500
3	आचार्य नरेन्द्र देव पुस्तकालय, लखनऊ को अनुदान	50
4	राजाराम मोहन राय पुस्तकालय संस्थान, कलकत्ता को सहायक अनुदान	200
5	भारत स्काउट्स और गाइड्स को अनुदान	70
6	वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर (राजस्थान) को सहायक अनुदान	25
7	बिड़ला मन्दिर, नैनीताल को अनुदान	12

1	2	3
8	कस्तूरबा महिला उत्थान मण्डल, कौसानी, अल्मोड़ा को अनुदान	3
9	कतिपय संस्थानों को अनावर्त्तक सहायक अनुदान देने के लिए एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था	50
10	ऐंग्लो इंडियन और यूरोपियन शिक्षा के लिए अनुदान	5
11	शिक्षकों को राज्य पुरस्कार	7
12	मान्यताप्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में नियुक्ति हेतु अध्यापकों का चयन	25
13	गणतन्त्र दिवस के अवसर पर झांकियों का प्रदर्शन	46
14	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत शैक्षिक टैक्नोलोजी सेल की स्थापना	283
15	राजकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में बिजली के पंखों की व्यवस्था	856
16	गरीब बसोकेदारों को अनुदान (छात्र वेतन)	1

अध्यापकों को राज्य पुरस्कार :--

वर्ष 1958 से अध्यापकों की विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारम्भ हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष विभिन्न प्रदेशों के चुने हुए प्रारम्भिक पूर्व माध्यमिक स्तर के अध्यापकों तथा संस्कृत पाठशालाओं तथा अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों का राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1960 से ऐसे शिक्षकों का राज्य पुरस्कार भी प्रदान करना प्रारम्भ किया गया। इस योजना में चुने गये अध्यापकों को 1000 रु० नगद तथा एक ऊनी शाल, मेडल और प्रमाण-पत्र दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 1982-83 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 1,000 रु० का प्राविधान है।

गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों की संख्या निम्नवत् है :--

क्रम-संख्या	वर्ष	पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक	प्रारम्भिक	संस्कृत	अरबी फारसी	शिक्षक प्रशि०	शिशु शि०	योग
1	2	33	4	5	6	7	8	9
1	1979-80	44	8	3	2	2	2	21
2	1980-81	41	8	3	2	2	2	21
3	1981-82	44	8	3	2	2	2	21

(ग) विशेष शिक्षा--

(हजार रुपये में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	3,90,46	3,97,26	4,22,68
आयोजनागत	1,50,71	3,03,66	3,30,08

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा तथा संस्कृत शिक्षा पर होने वाले व्यय का समावेश किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :--

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	38,50	15,07	17,07
आयोजनागत	1,45,64	2,68,06	2,87,61

प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत हो रहे कार्य के दो प्रमुख पहलू हैं। ग्रामोत्थान योजना के अन्तर्गत साक्षरता का प्रचार कार्य शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा विगत कई वर्षों से हो रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की वृहद् योजना को भी संचालन किया गया है। दोनों के विवरण आगे दिये जा रहे हैं:

ग्रामोत्थान योजना--

ग्रामोत्थान योजना के अन्तर्गत संचालित, शिक्षा प्रसार विभाग का सम्पूर्ण कार्य दो मूल इकाइयों के रूप में विभक्त किया गया है :

(1) समाज शिक्षा

(2) श्रव्य-दृश्य शिक्षा

1--समाज शिक्षा--

(क) राजकीय ग्रामीण पुस्तकालय शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में 1400 राजकीय ग्रामीण पुस्तकालय संचालित हैं। इन पुस्तकालयों से पुस्तकालयाध्यक्षों को 5 रु0 मासिक मानदेय दिया जाता है। 1332 पुराने पुस्तकालयों को 18 रु0 वार्षिक तथा 68 नवीन पुस्तकालयों को 36 रु0 वार्षिक शायर व्यय दिया जाता है। इन पुस्तकालयों को विभाग द्वारा प्रकाशित नवज्योति मासिक पत्रिका तथा नव साक्षरोपयोगी साहित्य की चार पुस्तकें निःशुल्क भेजी गईं। साथ ही इन पुस्तकालयों को राजाराम मोहन राय पुस्तकालय योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली पुस्तकीय सहायता भी दी जा रही है। भारत सरकार से प्राप्त पुरस्कृत पुस्तकें भी यथासम्भव प्रत्येक जनपद में स्थित इन ग्रामीण पुस्तकालयों को भेजी जाती हैं।

(ख) सचल दलों द्वारा समाज शिक्षा--शिक्षा प्रसार विभाग में समाज शिक्षा का कार्य पूर्ण करने के लिये चार सचल दल कार्यरत हैं। गोष्ठी सचल दल--, गोष्ठी के माध्यम से समाज शिक्षा का कार्य ग्रामीण अंचलों में सम्पन्न कर रहा है। साक्षरता दल द्वारा 6-6 माह के शिविर का आयोजन कर अशिक्षितों को शिक्षित किया जाता है। गत वर्ष से चल रहे जनपद मथुरा के बरसाना क्षेत्र में संचालित शिविर का समापन माह मई, 1981 में किया गया तथा पांच केन्द्रों पर 117 अशिक्षितों को शिक्षित किया गया। वर्ष 1981-82 में साक्षरता शिविर के संस्थापन को कार्यवाही चल रही है। सचल पुस्तकालय दल प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शिविर का आयोजन कर आवास वृद्धि नर नारी के लिए अनुरूप साहित्य सुलभ कराते हुए समयानुकूल विशेष कार्यक्रम का आयोजन करता है। प्रदर्शनी सचल दल द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से, शैक्षिक ज्ञान के लिए प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शिविर का आयोजन किया जाता है। सचल दलों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य ग्रामीणों में परिस्थितियों के अनुकूल समायोजन क्षमता उत्पन्न करना तथा शैक्षिक योग देना है।

(ग) नव साक्षरोपयोगी साहित्य का प्रकाशन--नवज्योति मासिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन एवं वितरण किया जा रहा है वर्ष 1981-82 के लिए प्रस्तावित चार नव साक्षरोपयोगी साहित्य टुकड़े-टुकड़े जमीन, नया सूरज, लोक कथाएं, हमारा स्वास्थ्य का लेखन कार्य चल रहा है।

(घ) चलचित्र प्रदर्शन द्वारा सामूहिक शिक्षा--सचल दलों समाज शिक्षा निरीक्षक एवं प्रचार अधिकारियों द्वारा चलचित्र प्रदर्शन द्वारा सामूहिक शिक्षा का कार्य सम्पन्न किया जाता है। वर्ष 1981-82 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(ङ) समाज शिक्षा शिविर माघ मेला--वर्ष 1981-82 में माघ मास में प्रयाग में अर्द्ध कुम्भ के अवसर पर मेला क्षेत्र में समाज शिक्षा शिविर की स्थापना की जावेगी। शिविर में स्नानार्थियों के लाभार्थ पुस्तकालय, वाचनालय, मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक चलचित्रों के प्रदर्शन का आयोजन किया जावेगा साथ ही अन्य सामाजिक विषयों से सम्बद्ध प्रसारण की व्यवस्था कर जन सामान्य को लाभान्वित कराया जायगा।

2--श्रव्य दृश्य शिक्षा--

(अ) चलचित्र निर्माण केन्द्र--श्रव्य दृश्य संसाधनों को शिक्षा के स्वस्थ माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण शैक्षिक चलचित्रों का महत्व उन शिक्षा के लिए अक्षुण हो गया है। नवीन परिप्रेक्ष्य एवं सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप चलचित्रों का निर्माण इस चलचित्र केन्द्र पर किया जाता है। वर्ष 1981-82 में निम्नलिखित चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है :

1--नये फूल नयी सौरभ (अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित)।

2--रतन की कहानी (प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित)।

3--शिक्षा में अभिनव प्रयोग।

4--शिक्षा समाचार।

इसके अतिरिक्त दो अन्य शैक्षिक वृत्तचित्रों का निर्माण किया जायगा।

(आ) प्रादेशिक चलचित्रालय--शिक्षा प्रसार विभाग से सम्बद्ध प्रादेशिक चलचित्रालय में समाजोपयोगी, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नयन सम्बन्धी चलचित्र संग्रहीत हैं तथा आवश्यकतानुसार उनका संग्रह किया जाता है, इन चलचित्रों को नियमानुसार राजकीय/अराजकीय सदस्य संस्थाओं और इस विभाग के समाज शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्गत किया जाता है जिनका प्रदर्शन जन सामान्य एवं छात्रों के लाभार्थ किया जाता है। वर्ष 1980-81 में इस चलचित्रालय की सदस्य संख्या 406 रही और 2022 चलचित्र प्रदर्शनार्थ निर्गत किये गये। वर्ष 1981-82 में अब तक सदस्य संख्या 406 है तथा 686 चलचित्र निर्गत किये जा चुके हैं। वर्तमान में चलचित्रालय में फिल्मों की कुल संख्या 2253 फिल्म स्ट्रिपों की संख्या 1064 तथा स्लाइड्स की संख्या 422 है।

(इ) श्रव्य दृश्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र--शिक्षा प्रसार विभाग में स्थित प्रादेशिक श्रव्य दृश्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रदेशीय (राजकीय एवं अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों) दीक्षा विद्यालयों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं को शिक्षा में श्रव्य दृश्य उपादानों (प्रक्षेपित तथा अप्रक्षेपित) के प्रयोग और उनके निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष में तीन सत्र का आयोजन का प्रतिसत्र 12 अर्थात् वर्ष भर में 36 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का प्राविधान है। वर्ष 1981-82 के प्रथम सत्र के लिये अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है तथा सत्र सितम्बर के अंतिम सप्ताह से आरम्भ होगा।

वर्ष 1982-83 में विभाग के विभिन्न कार्यक्रम इन्हीं रूपों में संचालित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निदेशालय, जनपद तथा परियोजना स्तर पर अधिकारियों के सृजित पदों की संख्या निम्नवत् है—

(क) निदेशालय स्तर—

	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
(1) निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	2400-2800	1	अपर शिक्षा निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) का रु01600-2000 में वेतन-मान का पद उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि निदेशक के पद पर नियुक्त अधिकारी कार्य-भार न ग्रहण कर लें।
(2) उप शिक्षा निदेशक	900-1600	2	
(3) सहायक शिक्षा निदेशक	800-1450	3	
(4) लेखाधिकारी	550-1200	2	
(5) सहायक लेखाधिकारी	450-950	2	
(6) शोध अधिकारी	550-1200	1	
(7) सहायक शोध अधिकारी	450-950	1	
(ख) जनपद स्तर--			
(1) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी (प्रत्येक जनपद में एक)	800-1450	34	
परियोजना स्तर--			
(1) परियोजना अधिकारी (प्रत्येक परियोजना में एक)	550-1200	46	
(2) सहायक परियोजना अधिकारी (300 केन्द्रों वाली प्रत्येक परि-योजना में एक)	450-950	35	
(3) पर्यवेक्षक (30 केन्द्रों पर: एक)	325-575	383	
योग ..		510	

उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर अन्य कार्यालय स्टाफ भी स्वीकृत किया गया है तथा प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर एक अंशकालिक अनुदेशक रखा गया है जिसे 50 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है ।

उपर्युक्त के कार्यक्रम के संचालन हेतु योजनाबद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है । वर्ष 1980–81 से भारत सरकार के संसाधनों से 32 परियोजनायें प्रदेश के निम्नांकित 32 जनपदों में प्रत्येक के दो मिले हुए विकास खंडों में 300 केन्द्रों की परियोजना संचालित की गयी है—

सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, बरेली, बदायूं, रामपुर, इलाहाबाद, कानपुर, इटावा, बांदा, जालौन, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, बहराइच, प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल तथा देहरादून ।

यह परियोजनायें राज्य सरकार की एजेन्सी से चलाई जा रही है । प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का सत्र 10 माह का निर्धारित है और प्रति केन्द्र से 30 प्रतिभोगी को प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है, इन 32 परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 9,600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने तथा 2,88,000 निरक्षर व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के समक्ष वर्ष 1980–81 में 9,563 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये और 252206 प्रतिभागियों को पंजीकृत किया गया । इन प्रतिभागियों में 170652 पुरुष तथा 81554 महिलायें हैं । कुल प्रतिभागियों में 74878 अनुसूचित जाति, 6628 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं ।

वर्ष 1980–81 में ही राज्य सरकार के संसाधनों से 300 केन्द्रों से एक–एक परियोजना जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड अमेठी तथा गौरीगंज और जनपद बाराबंकी के विकास खंड देवा तथा बन्की में और 100 केन्द्रों की एक परियोजना जनपद नैनीताल के विकास खंड रामगढ़ में संचालित करने के आदेश निर्गत किये गये । इसके अतिरिक्त हरिजन एवं समाज कल्याण के सहयोग से विशेष अंशदान योजना के अन्तर्गत 300 केन्द्रों की एक और परियोजना जनपद लखनऊ के विकास खंड मलिहाबाद तथा काकोरी में मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए संचालित करने के आदेश निर्गत किए गए ।

उपर्युक्त कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी तथा निदेशालय के उप निदेशकों तथा सहायक निदेशकों और कतिपय मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों को भारत सरकार द्वारा आयोजित नई दिल्ली में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिलाया गया, परियोजना अधिकारियों और सहायक परियोजनाधिकारियों का प्रशिक्षण साक्षरता निकेतन, लखनऊ जिसे भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए राज्य साधन केन्द्र (स्टेट रिसोर्स सेन्टर) की मान्यता प्रदान की गई है, में कराया गया । पर्यवेक्षकों तथा अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों तथा दीक्षा विद्यालयों में कराई गई । प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण साहित्य की व्यवस्था उपरोक्त राज्य साधन केन्द्र से कराई गई । प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु रेडियो, टी० वी० आदि का योगदान प्राप्त किया गया । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति समस्याओं तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं पर प्रकाश डालने, उसका विश्लेषण करने तथा सुझाव प्रस्तुत करने हेतु साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा अनुदेश नामक एक नई मासिक पत्रिका का प्रकाशन जुलाई, 1980 से प्रारम्भ किया गया है । यह पत्रिका सभी प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्त्ताओं को उनके ज्ञान वर्धन हेतु उपलब्ध कराई गई है ।

उपर्युक्त कार्यक्रम को मानीटोरिंग, वाह्य एवं आन्तरिक मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के प्रतिभागियों को साक्षरता चेतना तथा कार्य क्षमता के मूल्यांकन कराने की भी व्यवस्था की गयी है । वर्ष 1980–81 में संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में से 7912 केन्द्रों के 197127 प्रतिभागियों का मूल्यांकन नवम्बर, 1981 तक पूर्ण किया गया । मूल्यांकित प्रतिभागियों में से संतोषजनक स्तर प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का प्रतिशत 85·5 रहा । वर्ष 1980–81 में राज्य नियोजन संस्थान के मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा परियोजनाओं का वाह्य मूल्यांकन किया गया ।

वर्ष 1981–82 में भारत सरकार के संसाधनों से संचालित 300 केन्द्रों की 32 परियोजनाओं का द्वितीय चक्र आरम्भ किया गया । राज्य सरकार के संसाधनों से वर्ष 1980–81 में स्वीकृत 300 केन्द्रों की 2 परियोजनाओं तथा 100 केन्द्र की एक परियोजना एवं विशेष अंशदान योजना से स्वीकृत 300 केन्द्र की एक परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रों का खुलना वर्ष 1981–82 में आरम्भ किया गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 1981–82 में राज्य संसाधनों से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार निम्नांकित 10 जनपदों में प्रत्येक जनपद में उसके आगे उल्लिखित विकास खंडों में 100 केन्द्र की एक परियोजना की स्वीकृति के साथ किया गया ।

(1) अलीगढ़ (सासनी)
(2) फर्रुखाबाद (कन्नौज)
(3) फतेहपुर (बिन्दकी)
(4) गोन्डा (मनकापुर)
(5) गोरखपुर (सरदारनगर)
(6) हमीरपुर (सुमेरपुर)
(7) हरदोई (कछौना)
(8) उन्नाव (नवाबगंज)
(9) मुजफ्फरनगर (खतौली)
(10) मुरादाबाद (बहनोई)

इस प्रकार वर्ष 1981–82 में 300 केन्द्रों की 35 परियोजनायें और 100 केन्द्रों की 11 परियोजनायें, कुल 46 परियोजनायें, प्रदेश के 44 जनपदों में संचालित की गयी । इन 40 परियोजनाओं में खोले जाने वाले कुल 11,600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लक्ष्य के प्रति नवम्बर, 1981 तक 10,264 केन्द्र खोले गये । इन केन्द्रों पर कुल पंजीकृत प्रतिभोगियों की संख्या 2,89,291 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,81,862 तथा महिलाओं की संख्या 1,07,429 है । कुल पंजीकृत प्रतिभागियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या क्रमशः 94,779 व 5,255 है ।

वर्ष 1982–83 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश के शेष जनपदों में किया जाना भी प्रस्तावित है । इस कार्यालय में छात्रों का योगदान प्राप्त करने की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है ।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कतिपय नेहरू युवक केन्द्रों, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी योगदान दिया है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के राजकीय संस्कृत पाठशाला, बलिया एवं ज्ञानपुर (वाराणसी) तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित 6 राजकीय संस्कृत पाठशालाओं, टिहारी, चम्बा मुखेम सौद आदि (जिला टिहरी–गढ़वाल) तथा खरसाली (उत्तरकाशी) के लिए आवश्यक प्राविधान कराया गया है । इस प्रकार 2100 रु0 की प्राविधान मे हुई वृद्धि मुख्यतः वार्षिक वेतन वृद्धियों के कारण है ।

(3) संस्कृत तथा अन्य प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता :—

(हजार रुपये में)

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	35196	38219	40561
आयोजनागत	166	1450	3157

उत्तर प्रदेश में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त एवं सरकारी/गैर सरकारी 1419 संस्कृत पाठशाला हैं, जिनकी स्थिति निम्नांकित है :—

सहायता प्राप्त	..	1040
असहायता प्राप्त	..	379
योग	..	1419

अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं को संभागीय उप शिक्षा निदेशकों द्वारा अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है । ये विद्यालय प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों में वर्गीकृत हैं ।

उत्तर प्रदेश में स्थित पाठशालाओं का निरीक्षण संस्कृत पाठशाला द्वारा किया जाता है । इनके अधीन सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें अपने क्षेत्र की संस्कृत पक्ष पाठ शालाओं का निरीक्षण करते हैं । निदेशालय स्तर पर इनका नियन्त्रण एवं पथ प्रदर्शन उपशिक्षा निदेशक (संस्कृत) द्वारा किया जाता है ।

अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं एवं अन्य प्राच्य संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान निम्नवत् हैं :—

(हजार रुपये में)

शीर्षक	वर्ष 1982–83 आय–व्ययक प्राविधान
1—अशासकीय संस्थाओं की सहायता संस्कृत पाठशालाओं की सहायक अनुदान	39148
2—संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया जाना	1340
3—संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण	7
4—लब्ध प्रतिष्ठित संस्कृत पंडितों की सहायता	100
5—संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान	1017
6—राज्य सहायता प्राप्त एवं शासन द्वारा वर्गीकृत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पाठशालाओं में लिये तथा परिचारकों के पदों का सृजन	800
7—उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी को सहायक अनुदान	750
8—उत्कृष्ट संस्कृत पुस्तक पर अन्त राष्ट्रीय पुरस्कार	100
9—उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, लखनऊ को संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अनुदान	142

प्रदेश में असहायिक मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की कार्मिक स्थिति को सुधारने एवं संस्कृत शिक्षा प्रसार के लिये प्रारम्भिक अनुदान योजना के माध्यम से वर्ष 1980-81 में 33 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया तथा वर्ष 1981-82 में मैदानी क्षेत्र में 60 पाठशालाओं को प्रारम्भिक अनुदान सूची पर लाये जाने का लक्ष्य है । वर्ष 1982-83 में भी पाठशालाओं प्रारम्भिक को अनुदान सूची पर लाने का प्रस्ताव है ।

प्रदेश के सहायिक संस्कृत पाठशलाओं को विकास हेतु योजना के माध्यम से विकास अनुदान दिये जाते हैं । वर्ष 1981-82 में मैदानी क्षेत्र की संस्थाओं को तथा पहाड़ी क्षेत्र की 10 संस्थानों को विकास अनुदान दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है । वर्ष 1982-83 में उक्त संस्थाओं को विकास अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है ।

4--अन्य भाषाओं की शिक्षा :--

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्यय क अनुमान
	रु0	रु0	रु0
	141	010	990

वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक में इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को उनके सम्मुख अंकित अनुदान देने की व्यवस्था की गई है :--

शीर्षक/मदें	वर्ष 1982-83 आय-व्ययक (हजार रुपये में)
1--केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहायता	10
2--अरेबिक मदरसों के विकास एवं प्रारम्भिक अनुदान	980
योग ..	990

(घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा--

उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों का समाजीकरण करना और उनमें एकता उत्पन्न करना है । राष्ट्रीयता का भी यही ध्येय है । अतः यदि उच्च शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाये तो वह देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना भरने में परम सहायक हो सकती है । इसी कारण से प्रत्येक राष्ट्र यही चेष्टा करता है कि वह अपनी उच्च शिक्षा का संगठन इस प्रकार करके कि जिससे राष्ट्र के नागरिकों के अनुशासन, देश के नियम पालन, कर्त्तव्य परायणता एवं जागरूकता की भावना उत्साहित हो सके । इसके लिये पाठ्यक्रम में सुधार तथा विश्वविद्यालयी स्तर पर सामाजिक विषयों तथा साहित्य एवं कला विषयों को प्रभावशाली बनाया जाना अत्यावश्यक है ।

उच्च शिक्षा के चतुर्मुखी विकास के लिये राज्य की ओर के प्रगतिकारिणी योजनायें बनाई गई हैं । नवयुवकों के मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक विकास के लिये राज्य की ओर से पुस्तकालय,, वाचनालय, संग्रहालय एवं प्रयोगशालायें खोली गई हैं । उच्च शिक्षा का उन्नयन और विकास व्यक्ति और राष्ट्र के लिये अत्यावश्यक होने के कारण संसार के प्रगतिशील देश अपनी विभिन्न विकास योजनाओं में उच्च शिक्षा के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं ।

उत्तर प्रदेश के वर्तमान आय-व्ययक के अनुसार "उच्च शिक्षा" का आय-व्ययक अनुमान, अनुदान संख्या--33 लेखा शीर्षक 277--शिक्षा--(घ) "विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा" के अन्तर्गत तथा पर्वतीय क्षेत्र के विकास योजनाओं को अनुदान संख्या 50--लेखा शीर्ष--299--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र ग--शिक्षा, घ--विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा के अधीन विभिन्न उपशीर्षकों में रखा गया है । इनका शीर्षकानुसार विवरण निम्नवत् है :--

1--निदेशन और प्रशासन--

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-882 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	1366	1732	1818
आयोजनागत	183	1165	1011

प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित होता है। शासन द्वारा निर्गमित विभिन्न प्रकार के राज्यादेशों का अधीनस्थ कार्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अनुपालन कराने का कार्य भी उच्च शिक्षानिदेशालय द्वारा सम्पादित होता है। अशासकीय महाविद्यालयों के अनुरक्षण एवं विभिन्न विकास अनुदानों को स्वीकृत पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं महाविद्यालयों को खोलने एवं उनके लिये नवीन संकायों तथा पदों को सृजित करने एवं नवीन भवनों के निर्माणार्थ शासन को प्रस्ताव भेजने आदि के कार्य भी उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है।

राजाज्ञा संख्या 8320/15 (1)//23 (2)/1978, दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 द्वारा उच्चशिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत मुख्यालय इलाहाबाद हेतु महाविद्यालय विकास अधिकारी, उपनिदेशक (सांख्यिकीय) एवं सांख्यिकी रिसर्च अफीसर के तीन अधिकारियों के पद सृजित किये गये। ये अधिकारी महाविद्यालयों के सम्बन्ध में छात्रों के प्रवेश, छात्रवृत्ति/नर्सरी, परीक्षा परिणामों, शैक्षिक कार्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों, विद्यालयों को खपत महाविद्यालयों को प्रशासनिक/प्रबन्धकों समस्याओं के बारे में सूचनायें और सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना तथा उसे संकलित करना, इन सूचनाओं और आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री प्रस्तुत करना। उच्च शिक्षा सममस्याओं के प्रसंग में क्षेत्रीय असन्तुलन आदि का आकलन/शासकीय अनुदानों के लिये विशेष रूप के अर्ह और अनर्ह महहाविद्यालयों की सूचियां बनाना। अशासकीय महाविद्यालयों की सूची तथा उनमें अध्यापकों, कर्मचारियों व छात्रों के जनसंख्यात्मक आंकड़े (क्लोयरेन्स) सेवानिवृत्त होने वालों की सूची आदि का कार्य देखते हैं।

निदेशालय स्तर पर उपर्युक्त-सभी कार्यों का दायित्व शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) पर है। निदेशालय में स्थित महाविद्यालय विकास अधिकारी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक (साहित्यकी) के सहायक (उच्च शिक्षा) एवं उप निदेशक (सांख्यकी) दो सहायकक निदेशक एवं दो सहायक उप निदेशक एवं तीन सांख्यकी रिसर्च आफीसर इनके कार्यों में सहयोग देते हैं। वेतन निर्धारण बजट एवं वित्तीय मामलों की देख-रेख के लिये एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी तथा दो सहायक लेखाधिकारी भी हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियोंं की संख्या निम्नवत् है।

उच्च शिशिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों की संख्या

क्र0 सं0	अधिकारियों के पद	वेतन क्रम	संख्या
1	2	3	4
1	शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)	2250-2750	1
2	संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0 शि00)	1400-1800	1
3	उप शिक्षा निदेशक (उ0 शि0)	900-1600	1
4	सहायक शिक्षा निदेशक (उ0 शि00)	800-1450	2
5	ज्येष्ठ लेखाधिकारी (उ0 शि0)	800-1450	1
6	लेखाधिकारी (उ0 शि0)	550-1200	1
7	सहायक उप शिक्षा निदेशक (उ00 शि0)	550-1200	2
8	सहायक लेखाधिकारी (उ0 शि0))	450-950	2
		योग ..	11

उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन क्रमानुसार पदों का विवरण

क्र0 सं0	कर्मचारियों के पद	वेतनक्रम	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	प्रधान सहायक	450-700	1
2	ज्येष्ठ लेखा निरीक्षक	350-700	5
3	प्रधान लिपिक	350-500	10
4	आशुलिपिक	300-500	11

1	2	3	4
5	ज्येष्ठ टीपालेखक	280–460	27
6	कनिष्ठ लेखा निरीक्षक	280–460	10
7	कनिष्ठ टीपा लेखक	230–385	29
8	नैत्यिक लिपिक	200–320	29
9	वेतनिक उम्मीदवार	200–नियत	4
10	ड्राइवर	175–250	1
11	दफ्तरी	170–225	2
12	चपरासी/अर्दली	165–215	16
		योग ..	145

राजाज्ञा संख्या 8320/15 (1)–23 (2)–1978, दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना नामक योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालय, इलाहाबाद को सुदृढ़ करने हेतु निम्न पद स्वीकृत हुये है :–

क्र0 सं0	अधिकारियों/कर्मचारियों के पद	वेतनक्रम	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	महाविद्यालय विकास अधिकारी	1,500–2500 (प्रधानाचार्य अन्यथा)	1
2	प्रदेश सांख्यिकीय अधिकारी/उप निदेशक (सांख्यिकीय)	1400–1800	1
		800–1450	..
3	सांख्यिकीय रिसर्च अधिकारी	550–1200	3
4	आशुलिपिक	300–500	2
5	कनिष्ठ उप लेखक	230–385	1
6	लिपिक:/टंकक	200–320	3
7	अर्दली/चपरास/चौकीदार	165–215	4
		योग ..	15

इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 के प्राविधान में कुल रू0 86 (हजार) की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः उच्च शिक्षा निदेशालय के सुदृढ़ीकरण का तथा क्षेत्रीय कार्यालय की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालय इलाहाबाद को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक प्राविधान किये जाने एवं वर्तमान उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के सामान्य वेतन वृद्धि के प्रति है ।

11––विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिए सहायता––

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	30352	70208	76963
आयोजनागत	12574	64810	4000

प्रदेश स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान समय में 19 विश्वविद्यालय चल रहे हैं जिनमें 13 विश्वविद्यालय मैदानी क्षेत्र में तथा दो विश्वविद्यालय पर्वतीय क्षेत्र में और 4 विश्वविद्यालय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त दो डीम्ड विश्वविद्यालय भी हैं इनका विवरण निम्नवत् है :--

मैदानी क्षेत्र के विश्वविद्यालय	पर्वतीय क्षेत्र के विश्वविद्यालय
1--इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलहाबाद	1--कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।
2--लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	2--गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल।
3--आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	
4--अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	
5--बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	
6--गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	
7--सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	
8--कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	
9--मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ	
10--काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी	
11--बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	
12--अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	
13--रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	

प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

1--रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, सहारनपुर

2--पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय नैनीताल

3--आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्व-विद्यालय, फैजाबाद

4--चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

डीम्ड विश्वविद्यालय

1--गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार

2--दयाल बाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयाल बाग, आगरा

समस्त अप्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों का प्रसार एवं नियंत्रण तथा उनके अनुरक्षण हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान स्वीकृत करने का कार्य उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उपर्युक्त कार्य कृषि विभाग द्वारा किये जाते हैं। इन विश्वविद्यालयों को उनके विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये भी शासन के स्तर से अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं। इस शीर्षक में कुल 4275 हजार रु0 की वृद्धि हुई है, जो कतिपय विश्वविद्यालयों को आयोजनागत पक्ष में अनुदान दिए जाने के कारण है --

III--राजकीय महाविद्यालय

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	16,486	18,033	20,285
आयोजनागत	2,208	3,286	4,307

चालू वित्तीय वर्ष 1981–82 में शासन द्वारा मैदानी क्षेत्र में दो नये राजकीय महाविद्यालय उनके सम्मुख अंकित शासन के आदेश से खोले गए हैं --

1--राजकीय महाविद्यालय, ललितपुर (राजाज्ञा संख्या-2727 (15) 81 (11)/12 (8)/81, दिनांक 30 मई, 1981 द्वारा)

2--राजकीय महाविद्यालय, जालौन (राजाज्ञा संख्या-2728/15--81 (11)-12 (9)-81, दिनांक 6 जून, 1981 द्वारा)

उपर्युक्त राजकीय महाविद्यालय को सम्मिलित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र में कुल 40 राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं। इनमें से मैदानी क्षेत्र में 21 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 19 राजकीय महाविद्यालय हैं जिनका विवरण निम्नवत् है --

राजकीय महाविद्यालयों का विवरण

मैदानी क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय	पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय
1--राजकीय महाविद्यालय, महमूदाबाद (सीतापुर)	1--राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर (नैनीताल)।
2--राजकीय महाविद्यालय, हरदोई	2--श्री प्यारे लाल नन्दकिशोर मलवलिया राजकीय महाविद्यालय, रामपुर (नैनीताल)।
3--राजकीय महाविद्यालय, ऊंचाहार (रायबरेली)	3--राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर (नैनीताल)।
4--राजकीय महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद, गोहना (आजमगढ़)	4--राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)।
5--राजकीय महाविद्यालय, चकिया (वाराणसी)	5--राजकीय महाविद्यालय, स्याल्देय (अल्मोड़ा)।
6--राजकीय महाविद्यालय, चन्दौली (वाराणसी)	6--राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर (अल्मोड़ा)।
7--राजकीय महाविद्यालय, बुद्धी (मिर्जापुर)	7--राजकीय महाविद्यालय (पिथौरागढ़)
8--राजकीय महाविद्यालय, जखिनी (वाराणसी)	8--राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट (पिथौरागढ़)।
9--काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी)	9--राजकीय महाविद्यालय, बेरीनाग (पिथौरागढ़)।
10--राजकीय महाविद्यालय, धानापुर (वाराणसी)	10--राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग (चमोली)
11--राजकीय महाविद्यालय (जालौन)	11--राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली)।
12--राजकीय महाविद्यालय (हमीरपुर)	12--श्री अ0 पू0 महाराणा महाविद्यालय, अगस्तमुनि (चमोली)।
13--राजकीय महाविद्यालय, चरखारी (हमीरपुर)	13--राजकीय महाविद्यालय, चौबटाखाल (पौड़ी गढ़वाल)।
14--राजकीय महाविद्यालय (ललितपुर)	14--राजकीय महाविद्यालय, वेदीखाल (पौड़ीगढ़वाल)।
15--राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, (रामपुर)	15--राजकीय महाविद्यालय, जेहरीखाल (लैन्सडाउन)।
16--राजकीय महाविद्यालय, बोसलपुर (पीलीभीत)	16--डाक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हिमालय राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार, (गढ़वाल)।
17--राजकीय महिला महाविद्यालय (देवरिया)	17--राजकीय महाविद्यालय, चम्बाटेहरी।
18--राजकीय महिला महाविद्यालय (गाजीपुर)	18--राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
19--राजकीय महिला महाविद्यालय (बांदा)	19--पं0 ललित मोहन शर्मा राजकीय महाविद्यालय, ऋषिकेश (देहरादून)।
20--राजकीय महिला महाविद्यालय, कान्धला (मुजफ्फरनगर)	
21--राजकीय महिला महाविद्यालय (रामपुर)	

पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित कुमायूं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्नलिखित पांच राजकीय महाविद्यालय संघटक महाविद्यालय के रूप में कार्यरत हैं अगस्त, 1977 से इन महाविद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण भी उपर्युक्त विश्व-विद्यालयों को स्थानान्तरित कर दिया गया है :

कुमायूं विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में	गढ़वाल विश्वविद्यालय के संघटन महाविद्यालय के रूप में
1--राजकीय डी० एस० बी० डिग्री कालेज, नैनीताल	1--राजकीय बिड़ला डिग्री कालेज, श्रीनगर गढ़वाल ।
2--राजकीय डिग्री कालेज, अल्मोड़ा	2--राजकीय बी० गोपाल रेड्डी कालेज, पौड़ी ।
	3--स्वामी रामतीर्थ राजकीय डिग्री कालेज, टिहरी गढ़वाल ।

प्रदेश के राजकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में श्रेणीवार अध्यापकों की संख्या एवं उनके वेतनमान का विवरण निम्नवत् है --

पदों का नाम	वेतन क्रम	राजकीय	अशासकीय
1--प्राचार्य	1·500-2,500	16	144
2--प्राचार्य	1·200-1,900	24	202
3--विभागाध्यक्ष (स्नातकोत्तर)	700-1,600	65	266
4--विभागाध्यक्ष (स्नातक)	700-1,600	162	266
5--सीनियर (प्रवक्ता)	700-1,600	..	425
6--सीनियर लेक्चरर	700-1,,600	50	425
7--प्रवक्ता	700-1,600	660	11,025
8--डिमान्स्ट्रेटर	500-900	..	60
	योग ..	977	12,813

इसके अतिरिक्त मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों के विकासार्थ कई योजनाएं लागू की गई हैं जिनके द्वारा उन महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गयी है । आगामी वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये भी आवश्यकतानुसार धन की व्यवस्था किया गया है जो निम्न तालिकाओं से स्पष्ट है :

(हजार रुपयों में)

योजनाओं के नाम	स्वीकृत प्राविधान वर्ष	
	1981-82	1982-83
मैदानी क्षेत्र--		
1--राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, वाचनालयों तथा प्रयोगशालाओं में गुणात्मक सुधार तथा प्रांगण विकास की योजना	200	200
2--वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा संकायों एवं विषयों का समावेश	1,250	1,780
पर्वतीय क्षेत्र--		
वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों/वाचनालयों एवं प्रयोगशालाओं में गुणात्मक सुधार तथा प्रांगण विकास की योजना अन्य व्यय	500	100
योग ..	1,950	2,080

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत उनमें नये संकायों एवं विषयों के समावेश हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की गई, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नये संकायों एवं विषयों को छात्रों के सुविधानुसार खोला गया है और जिससे उन महाविद्यालयों म प्रवेश पाये छात्र लाभान्वित होते हैं।

"उच्च शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा उसकी जटिल एवं गम्भीर समस्याओं के निराकरण हेतु छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना" नामक एक परियोजना सम्मिलित की गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पूर्ण प्रदेश की उच्च शिक्षा को अधिक सही दिशा में व्यवस्थित करने के लिए एवं उच्च शिक्षा के विकासार्थ एक सूचना प्रणाली (इनफारमेशन सिस्टम) स्थापित की गई है जिसका उद्देश्य एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय शिक्षा की सांख्यिकी अध्ययन कर सुव्यवस्थित एवं विकासशील रूप-रेखा तैयार किया जाना है। प्रयोगात्मक रूप से सर्वप्रथम इस कार्य हेतु (1) गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना (2) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, झांसी के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण तथा (3) मुख्यालय इलाहाबाद के केन्द्रीय कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन द्वारा राजाज्ञा संख्या 8320/15(1)/23 (2)/1978, दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 द्वारा कतिपय राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के पदों का सृजन किया गया है। मुख्यालय इलाहाबाद के केन्द्रीय कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु सृजित पदों का विवरण : (1) "निदेशन और प्रशासन" नामक आय-व्ययक शीर्षक में वर्णित किया जा चुका है। क्षेत्रीय कार्यालयों में सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है :—

क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर/झांसी मण्डल हेतु—

पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर हेतु—		
(1) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	1200–1900	1 (प्रधानाचार्य की दशा में अन्यथा रु0 900–1600)
(2) सहायक सांख्यिकी अधिकारी	350–700	1
(3) सांख्यिकी निरीक्षक	280–460	1
(4) सहायक लेखाधिकारी	460–950	1
(5) आशुलिपिक	250–425	1
(6) प्रधान लिपिक	280–460	1
(7) लिपिक/टंकक	200–320	4
(8) अर्दली/चपरासी/चौकीदार	165–215	3
	योग ..	13
2—क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी मण्डल हेतु—		
(1) सहायक सांख्यिकी अधिकारी	350–700	1
(2) सहायक लेखाधिकारी	450–950	1

राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों की सुविधा के लिये कक्षों में बिजली के पंखों की व्यवस्था हेतु मैदानी क्षेत्र में वर्ष 1981–82 में रु0 10,000 तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिये 25,000 रुपये का प्राविधान किया गया है। राजकीय महाविद्यालय में स्थानाभाव की कमी की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 1981–82 में मैदानी क्षेत्र के लिए 60,000 रुपये एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। उक्त योजनाओं के

अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए भी आवश्यकतानुसार धन की व्यवस्था की गयी है । इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :--

(हजार रुपये में)

योजनाओं/मदों का नाम	अनुशंसित उपलब्धियां 1981-82	वर्ष 1981-82 का प्राविधान	वर्ष 1982-83 का प्राविधान
1	2	3	4
मैदानी क्षेत्र आयोजनागत--			
1--राजकीय महा0 वि0 में बिजली की व्यवस्था	22 पंखों	10	50
2--रा0 महा0 में लघु निर्माण कार्य की व्यवस्था	3 टिनशेड	60	100
3--रा0 महा0 के भवनों का निर्माण		400	400
4--राजकीय महाविद्यालयों का विस्तार एवं विद्युतीकरण तथा अध्यापकों/कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण (अनु0 लागत 32,00)		200	300
पर्वतीय क्षेत्र (आयोजनागत)--			
1--राजकीय महाविद्यालयों में सीलिंग पंखों की व्यवस्था	55 पंखे	25	25
2--राजकीय महाविद्यालयों में लघु निर्माण कार्य के लिये रक्षित धनराशि	5 टिन शेड	100	100
3--भवनों का निर्माण		600	700
मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र आयोजनेतर--			
1--महाविद्यालयों में आवश्यक निर्माण कार्य	..	125	130
2--महाविद्यालयों के भवनों के वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत	..	125	125
3--महाविद्यालयों के भवनों के वार्षिक गृहकर एवं जलकर के सम्बन्ध में	..	25	30
4--महाविद्यालयों के प्रयोगार्थ किराये पर लिए गए भवनों का भुगतान के सम्बन्ध में	..	70	70

इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल रु0' हजार रुपए की वृद्धि हुई है जो राजकीय उपाधि महाविद्यालयों की विभिन्न विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 में आवश्यकतानुसार अनुदान दिए जाने एवं यू0 जी0 सी0 द्वारा स्वीकृत नवीन वेतनमानों में प्राचार्य/प्राचार्याओं एवं विभागाध्यक्षों का वेतन निर्धारण किए जाने के कारण है ।

(iv) अशासकीय महाविद्यालयों की सहायता-सहायक अनुदान--

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	26,01,99	26,17,31	28,52,83
आयोजनागत	48,33	90,22	95,72

वित्तीय वर्ष 1981-82 में अशासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या 350 थी जिसमें पुरुषों के अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 274 और महिलाओं के अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 76 थी । इन महाविद्यालयों में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 324 थी जिसमें पुरुषों के 255 तथा महिलाओं के 69 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय थे ।

प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय अंचलों के अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं के विकास तथा उनमें गुणात्मक सुधार लाने तथा अशासकीय महाविद्यालयों के प्रांगण के विकासार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों को विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदान दिए जाते है । इसके एवज में अशासकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धक एवं प्रदेशीय सरकार भी अपना अंशदान देती है । जिससे उन महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ लाभान्वित होते हैं । इसके अतिरिक्त इन महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, उपकरणों, साइकिल स्टैन्ड, भूमि एवं भवन की मरम्मत, विद्युत् एवं पेयजल की सुविधा के लिए अनावर्तक अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था है । वित्तीय वर्ष 1981–82 एवं 82–83 में इस हेतु निम्नांकित तालिका के अनुसार आय–व्ययक में प्राविधान किया गया है :—

(हजार रुपये में)

मदें	आय–व्ययक अनुमान 1981–82	आय–व्ययक अनुमान 1982–83
1	2	3
	रु0	रु0
(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों के अंशदान हेतु महाविद्यालयों के पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं हेतु विकास अनुदान	3,00	3,00
(2) अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों को विकास अनुदान (पर्वतीय क्षेत्र)	1,00	1,00
(3) अशासकीय महाविद्यालयों के प्रांगण विकास तथा छात्रावासों में सुधार हेतु अनुदान	1,00	1,00
योग ..	5,00	5,00

प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में एम0 एड0 तथा बी0 एड0 (पुरुष तथा महिला) कक्षाओं की प्रशिक्षण संस्थाएं भी चलाई जा रही है जिनका विवरण निम्नवत् है :

वर्ष	विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण विभाग (बी0 एड0) तथा (एम0एड0) पुरुष तथा महिला सम्मिलित	महाविद्यालयों की प्रशिक्षण संस्थायें			विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विभाग (बी0 एड0 तथा एम0एड0)		डिग्री कालेज के प्रशिक्षण विभाग	
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979–80	6	78	23	101	480	310	7980	2290
1980–81	6	78	23	101	712	850	8002	4007
1981–82	6	79	22	101	712	850	8002	4007

अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों में अनुरक्षण अनुदान के अतिरिक्त महाविद्यालयों के विकासार्थ विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है जिससे महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के

अतिरिक्त उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्रायें भी लाभान्वित हुए हैं। उनमें से कतिपय प्रमुख योजनाएं एवं उनके प्राविधान निम्नवत् हैं :

(हजार रुपयों में)

क्र0सं0	योजना का नाम	1982–83 का आय–व्ययक अनुमान
1	2	3
1	अशासकीय महाविद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार का अंशदान	4,92
2	स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नये संकायों एवं विषयों के प्रारम्भ करने हेतु सहायक अनुदान	78,57
3	अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु अनुदान	12,50

इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 के आय–व्ययक में कुल 2,41,02 रुपया की वृद्धि प्रदर्शित की गई है जो मुख्यतः गत वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर आवश्यकतानुसार प्राविधान कराए जाने के कारण है।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत उपरोक्त योजनाओं एवं आंकड़ों के विवेचन करने के उपरान्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों की संख्या छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या एवं बी0एड0 तथा एम0एड0 एवं डिग्री कालेज की प्रशिक्षण कक्षाओं की वर्ष 1979–80, 1980–81 तथा 1981–82 की संख्या निम्न तालिका में स्पष्ट की गई है :

शिक्षा संस्थायें (सामान्य–शिक्षा) एवं छात्रों/अध्यापकों की संख्या		उपलब्ध संख्या		
		वर्ष 1979–80	वर्ष 1980–81	वर्ष 1981–82
1		2	3	4
शिक्षा संस्थायें––				
1––विश्वविद्यालय		20	20	21
2––डिग्री कालेज	(लड़के)	298	298	..
	(लड़कियां)	86	86	..
3––विश्वविद्यालय	(लड़के)	88,118	90,517	..
	(लड़कियां)	25,920	26,180	..
4––डिग्री कालेज	(लड़के)	2,49,125	2,62,981	..
	(लड़कियां)	70,296	71,640	..
5––विश्वविद्यालय	(अध्यापक पुरुष)	4,547	5,270	..
	(महिलायें)	687	962	..
6––डिग्री कालेज अध्यापक	(पुरुष)	9,477	10,714	..
	(महिलायें)	2,339	2,457	..

1		2	3	4
स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या--				
7--स्नातकोत्तर (कुल)		2,62 817	2,84,284	..
	(बालिका)	59,177	60,172	..
8--स्नातकोत्तर स्तर	(कुल)	82,766	84,180	..
	(बालिका)	24,566	24,790	..
9--विश्वविद्यालय प्रशिक्षण विभाग--				
बी0एड0 तथा एम0एड0	(पुरुष)	480	712	..
	(महिला)	310	850	..
10--डिग्री कालेज को प्रशिक्षण कक्षाएं	(पुरुष)	7,980	8,002	..
	(महिला)	2,290	4,007	..

V--छात्रवृत्तियां--

(हजार रुपयों में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
अयोजनेत्तर	40,73	50,93	50,93
आयोजनागत	14,38	8,81	9,62

प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के पराश्रमी एवं परिभावान छात्रों को प्रोत्साहन देने एवं निर्धन तथा मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेशीय सरकार ने विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां/पुस्तकीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं बच्चों का शैक्षिक सुविधा प्रदान करने तथा पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों एवं उनके आश्रितों तथा सीमान्त क्षेत्रों या युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू0 पी0 पी0 ए0 सी0 के जवानों एवं पुलिस कर्मचारियों के बच्चों तथा उनके आश्रितों को शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने हेतु तथा शोध छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा विश्वविद्यालय के छात्रों को पुस्तकों की सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के नर्सरियों की व्यवस्था की गई है।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1982-83 में देय कतिपय प्रमुख छात्रवृत्तियों के विवरण निम्नवत् है :

क्र0सं0	छात्रवृत्तियों का नाम	वित्तीय वर्ष 1982-83 का आय-व्ययक प्राविधान (हजार रु0 में)	छात्रवृत्तियों की संख्या एवं दरें
1	2	3	4
1	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति	2,13	कुल छात्रवृत्तियों की संख्या 230 है। 75-125 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होती है। प्रत्येक वर्ष 102 नई छात्रवृत्ति हाई स्कूल की परीक्षा के आधार पर स्वीकृत होती है जो उपरोक्त 230 छात्रवृत्तियों में सम्मिलित रहते हैं इन छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण प्रगति संख्या के आधार पर नियमानुसार शोध कार्य तक चलता रहता है।

1	2	3	4
2	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजना	41,76	लगभग 850 छात्रवृत्तियां डिग्री स्तर पर प्रत्येक वर्ष नवीनतम रूप में दी जाती हैं तथा विगत वर्षों का लगभग 2,500 छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण भी किया जाता है। यह धनराशि 75 रु0 से 125 रु0 प्रतिमाह स्नातक/स्नातकोत्तर एवं प्राविधिक शिक्षा में पढ़ रहे श्रेष्ठता पर छात्र/छात्रा को प्रदान की जाती है ।
3	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें और छात्र-वृत्तियां	3,88	छात्रवृत्तियों एवं पुस्तकीय सहायता की संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक छात्रवृत्ति न्यूनतम 30 रु0 प्रति-मास तथा पुस्तकीय सहायता न्यूनतम 150 रु0 से 180 रु0 वार्षिक प्राविधानित धनराशि के आधार पर स्वीकृत की जाती है स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्तियों की स्वीकृति मण्डलीय अधिकारियों के द्वारा तथा शोध कक्षाओं में 50 रु0 प्रतिमास की दर से उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा स्वीकृत की जाती हैं ।
4	माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्तियां	..	आचार्य में 40 रु0 तथा शास्त्री में 30 रु0 प्रतिमाह की दर से कुल 68 छात्रवृत्तियां निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत की जाती हैं ।
5	विश्वविद्यालयों के छात्रों को विशेष छात्र वेतन तथा पुस्तकों की व्यवस्था	1,70	30 रु0 मासिक 12 मास के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक पाने पर योग्यता-क्रम में मण्डलीय अधिकारियों द्वारा प्रदत्त की जाती हैं ।
6	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को छात्र-वृत्तियां तथा पुस्तकों की व्यवस्था	60	200 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रतिमास 100 छात्रवृत्ति बी0 ए0, बी0 एस-सी0 प्रथम वर्ष तथा 100 छात्रवृत्तियां द्वितीय वर्ष में छात्र/छात्राओं के श्रेष्ठतानुसार प्रदान की जाती हैं ।
7	इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में शोध करने वाले उ0 प्र0 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	29	2 छात्रवृत्तियां 300 रु0 प्रतिमास इंडियन स्कूल आफ इटरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में शोधरत छात्रों को 300 रु0 प्रतिमास की दर से 3 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति देय है ।
8	बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा	3	छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नहीं है प्रत्येक छात्र-वृत्ति 85 रु0 से 90 रु0 प्रतिमास तक वृत्तिका तथा न्यूनतम 122 रु0 से 115 रु0 तक पस्तकीय सहायता निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।
9	राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों की छात्रवृत्ति	9	18 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रतिमास की दर से मंडलीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।
10	सीमान्त क्षेत्रीय या युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू0 पी0 पी0 ए0 सी0 जवानों व सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों के बच्चों तथा आश्रितों को छात्रवृत्तियां एवं पुस्तकीय सहायता	3	60 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रतिमास, 30 छात्रवृत्तियां प्रथम वर्ष एवं 30 छात्रवृत्तियां द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को बी0 ए0, बी0 एस-सी0 एवं बी0 काम0 में प्रदान की जाती है ।
11	1971 के पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित प्रतिरक्षा कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को शैक्षिक सहायता	11	लगभग 33 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रतिमास की दर से 12 माह के लिए स्वीकृत होती हैं ।
12	स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को अतिरिक्त नर्सरी छात्रवृत्तियां	8,26	शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि को विद्यालयों के प्रस्तोताओं की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु धनराशि दी जाती हैं ।

1	2	3	4
13	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा	88	प्राविधानित धन में से मण्डलीय स्तर पर छात्रों को दुबारा देय शुल्क आदि प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में दिया जाता है ।
14	सीमा सुरक्षा दल के कर्मिकों के बच्चों को सुविधा एवं आश्रितों को शैक्षिक	1	क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में दिया जाता है ।
15	वीरगति प्राप्त अथवा अंगहीन प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था ।	6	तदेव
16	भारत की सुरक्षा में सीमावर्ती क्षेत्रों के वीरगति प्राप्त प्रान्तीय कान्स्टेबुलरी के जवानों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा	3	प्राविधानित धन में से मण्डलीय स्तर पर छात्रों द्वारा देय शुल्क आदि क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में दिया जाता है ।
17	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	4	बी० पी० ई० कोर्स में अध्यापक के लिए 300 रु०/प्रतिमास की 9 छात्र वृत्तियों तथा एम० पी० ई० कोर्स में अध्ययन के लिए 500 रु० मात्र वार्षिक की एक छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाता है ।
18	सामरिक क्षेत्रों में निर्धन पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा	6	ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को स्नातक प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में 20 रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति 12 माह हेतु दी जाती है संख्या निर्धारित नहीं है ।
19	बंगलादेश के नये विस्थापितों के बच्चों को जो शिविर के बाहर रह रहे हैं केन्द्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता	1	छात्रवृत्ति की संख्या निश्चित नहीं है प्रत्येक छात्रवृत्ति 85 रु० 90/प्रतिमाह की दर से तथा 112 रु० से 150 पुस्तकीय सहायता निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।
20	सन् 1962 एवं 1965 के युद्धों में मारे गए स्थायी रूप से अपंग तथा 1971 के युद्ध में बन्दियों एवं लापता घोषित प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को और विधवाओं की सुविधाओं	4	लगभग 16 छात्रवृत्तियों 20 रु० प्रतिमाह की दर से स्नातक प्रथम तथा द्वितीय 12 माह हेतु दी जाती है ।
	योग	60,55	

VI—पुस्तकों की प्रोन्नति—

(हजार रुपये में)

1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय व्ययक–अनुमान
आयोजनागत	5	100

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी साहित्य के प्रकाशनार्थ एवं स्वायत्त निगम की स्थापना की गई है ।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी माध्यम में अनेक विषयों पर पाठ्य ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ पंचम पंचवर्षीय योजना में हिन्दी साहित्य के सृजन हेतु एक स्वायत्त निगम की स्थापना की गई थी ।

इसका सम्पादन एवं नियंत्रण शासन के स्तर से किया जाता है । स्वायत्त निगम के क्रिया कलापों को चालू रखने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1982–83 में इसके लिये केवल 100 हजार का प्रावधान किया गया है ।

VII—अन्य व्यय—

(हज़ार रुपये में)

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
	रु0	रु0	रु0
आयोजनेतर	58,72	63,82	67,91
आयोजनागत	38,45	8,55	17,90

इस शीर्षक के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं शिक्षणेसर कर्मचारियों को उनके सेवा निवृत्त होने के पश्चात पेन्शन प्रदान करने हेतु एवं विभिन्न शैक्षिक साहित्यिक एवं संस्थाओं को उनके विभिन्न क्रिया–कलापों हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान देने हेतु, आवश्यक धन की व्यवस्था की गई है । वित्तीय वर्ष 1982–83 में कतिपय प्रमुख अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :—

(हज़ार रूपये में)

क्रम–सं0	संस्थाओं का नाम/अनुदानों की मदें	वर्ष 1982–83 का आय–व्ययक प्राविधान
1	2	3
1	पेन्शन	11,50
2	अशासकीय विशेष विद्यालयों को अनुदान	2,00
3	भारतीय विद्यालयों के युनियन और छात्रावास लंदन को अनुदान	5
4	हिन्दुस्तानी अकादमी, उत्तर प्रदेश को अनुदान	1,00
5	कालविन तालुकेदार स्कूल और ट्रेनिंग कालेज को अनुदान	25
6	विदेश जाने वाले छात्रों को यात्रा–व्यय	50
7	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद को अनुदान	12
8	साहित्य का विकास	2,60
9	नागरी प्रचारिणी सभा एवं चौखम्बा सीरीज	10
10	अखिल भारतीय काशी राज ट्रस्ट को अनुदान	25
11	गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी को सहायक अनुदान	3,50
12	उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल समिति को सहायक अनुदान	25,86
13	प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों तथा सेमिनारों में भाग लेने के लिए अनुदान	1,13
14	प्राट नामिनेशन फण्ड को अनुदान	1
15	भारतीय मानक शास्त्र को अनुदान	1
16	विज्ञान परिषद् को अनुदान	2
17	कतिपय विद्यालयों के लिये अनुदान	15
18	ईश्वरी प्रसाद ऐतिहासिक संस्थान (इन्सटीट्यूट) आफ हिस्ट्री (इलाहाबाद को अनुदान) (अनावर्तक)	20
19	गोविन्द वल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद को अनुदान	2,50
20	उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थाओं को अनुदान	13,46

1	2	3
21	नेहरू गणित तथा गणित शोध संस्थान, भरवारी, जिला इलाहाबाद को अनुदान (आवर्तक)	1,00
22	गोलियर बोटिनिकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ को अनुदान	5
23	संस्कृत विश्व परिषद् को अनुदान	5
24	उच्च कोटि के पुस्तकों के प्रकाशन के लिये एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था	1,00
25	उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित उन संस्थाओं को अनुदान जो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिये रहने और भोजन की व्यवस्था करती ह ।	6
26	गिरी इन्स्टीट्यूट को अनुदान	1,80
27	सैनिक स्कूल सोसाइटी को उसके स्कूलों के अनुरक्षण तथा संचालन निधि के लिये अनुदान	12,17
28	सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल को जल सम्पूर्ति व्यवस्था के रख-रखाव हेतु अनुदान ।	40
29	नृवंश तथा लोक संस्कृति समिति, लखनऊ को अनुदान	2
30	उत्तर प्रदेश इतिहास समिति को अनुदान	4
31	लखनऊ विश्वविद्यालय की उर्दू सोसाइटी को अनुदान	4
	योग	81,84

(28) पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण-- (हजार रुपये में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	..	2,31	2,50
आयोजनागत	..	1,00	1,17

इस पुस्तकालय की स्थापना लगभग 19 वर्ष पूर्व सन् 1963-64 में हुई थी । शनैः शनैः पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी एवं उच्चतर विषयों एवं योरोपीय भाषाओं के साथ बंगला, उर्दू, अरबी, फारसी की अत्यन्त महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री संग्रहीत होती जा रही है । शोध स्तर के इस पुस्तकालय में अत्यन्त दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है । यहां संग्रहीत सामग्री के एक बड़ भाग को वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण देने के लिए आधुनिक तकनीकों से कार्य हो रहा है । इसी से पाठकों को सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त शोध सम्बन्धी विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं ।

वित्तीय वर्ष 1982-83 में इसके पुस्तकों के संरक्षण हेतु एक लेमीनेशन्ग मशीन को विदेश से क्रय करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान की अपेक्षा 36 हजार रु0 की वृद्धि हुई है जो इस शीर्षक के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के कारण है ।

इस प्रकार "vii अन्य व्यय" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 में कुल 13,14 हजार रु0 की वृद्धि हुई है जो कतिपय अशासकीय संस्थाओं को आवश्यकतानुसार अधिक अनुदान स्वीकृत किये जाने के कारण है ।

(च) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण--

(हजार रुपये में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
अयोजनेतर	2,92,70	3,49,62	3,77,79
आयोजनागत	36,10	32,35	38,47

इस शीर्षक में युवक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदान के प्राविधान सम्मिलित हैं। उपरोक्त कार्य हेतु गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 34,29 हजार रुपये की वृद्धि की गई है जो सामान्यतया वार्षिक वेतन वृद्धियों के कारण है।

(3) युवक कल्याण योजनाएं--

(1) विद्यार्थियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण--

(हजार रुपये में)

1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
3,12	3,49	3,99

इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न युवक कल्याण कार्यक्रम संचालित होते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 में इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की अपेक्षा 50 हजार की वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धियों के फलस्वरूप हैं।

(2) नेशनल फिटनेस कोर योजना--

(हजार रुपये में)

1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
56,58	62,95	73,91

राष्ट्रीय स्वस्थ्यता दल योजना का संचालन पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता था। इस योजना म कार्यरत 771 अनुदेशक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में पदस्थित हैं। इन अनुदेशकों की सेवाओं को दिनांक 1 जुलाई, 1976 से प्रदेशीय सेवा में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के नाम से सृजित नवीन संवर्ग में विलीन कर दिया गया है। इन शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के सेवा संबंधी कार्य सहायक शिक्षा निदेशक (एन0एफ0सी0) द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण, नई दिल्ली द्वारा वहन किया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा के लिये शारीरिक क्षमता, सहनशीलता, कठोरता, साहस, अनुशासन एवं देश-भक्ति के प्रति उत्साह पैदा करते हुये नवयुवकों को शारीरिक दृष्टि से मजबूत और लचीला बनाना है। छात्रों के जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्य को समझना और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा करना है।

इसके अतिरिक्त युवक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय क्रियाकलापों की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 1981-82 में इस योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय क्रिया कलापों के सम्पादनार्थ 62,95 हजार रुपये का प्राविधान हैं। वित्तीय वर्ष 1982-83 में इस योजना के लिये कुल 73,91 हजार रुपय की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त कतिपय निम्न प्रमुख योजनाएं भी हैं जिनके कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक मद के सम्मुख धनराशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 में की गई है :

(हजार रुपयों म)

योजना तथा मदों का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 1982-83
1	2
1--राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	38,40
2--केन्द्र सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों का कार्यान्वियन	25,60
3--राष्ट्रीय सेना छात्रदल योजना	2,52,54
4--राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान कार्यक्रम	42

	2
5—शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रम को प्रोन्नति	2,60
6—खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था	3,66
7—अपना देश तथा प्रदेश जानो योजना	1,00
8—प्रतिभावान छात्र खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति	4,07
9—राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद	2,00
10—विद्यालयों में पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम	2,50
11—बालचर योजना का विस्तार	2,42

(3) राष्ट्रीय सेना छात्र दल—

(हजार रुपयों में)

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
अयोजनेतर	2,29,57	2,38,79	2,50,54
आयोजनागत	..	1,72	2,00

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अधिकांश कालेजों में विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता ह । इस शीर्षक के अन्तगत 1203 हजार रुपये की वृद्धि की गई ह जो वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हैं ।

(4) राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान कार्यक्रम—

हर वर्ग प्रत्यक वर्ग के सभी पुरुषो और स्त्रियों को अपनी शारीरिक कुशलता को परखने तथा सुधारने का अवसर देने का मुख्य उद्देश्य इस योजना के अन्तर्गत निहित हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शारीरिक दक्षता की आवश्यकता को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय कुशलता के उच्च स्तरों को प्राप्त करने के मनोवृत्ति पैदा करने के लिये भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1959–60 में संचालित की गई थी ।

(5) शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति—

प्रदेश के छात्र/छात्राओं के खेलकूद के कार्यक्रमों में रुचि उत्पन्न करना, मनोबल ो ऊंचा उठाना एवं उनके शारीरिक, मानसिक एवं चरित्र निर्माण का विकास करना एवं उनके कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई है ।

(6) खेलकूद तथा विद्यालय के बाहर शैक्षिक कार्यक्रम तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था—इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेलकूद, पाठ्येतर कार्यक्रमों के प्रति अभिरुचि, शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ, चरित्र निर्माण, सहयोगी जीवन के प्रति सद्भावना तथा कर्त्तव्यनिष्ठा की भावना जागृत करना है । इसके अन्तर्गत जनपदीय, संभागीय, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं का संचालन किया जाता हैं ।

(7) अपना देश तथा प्रदेश जानो योजना के अन्तर्गत उत्साही छात्रों के भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन होता हैं ।

(8) प्रतिभावान छात्र खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के स्तर के अनुसार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित नवीन योजनाओं के लिए भी धन का प्राविधान किया गया हैं :—

(1) राज्य विद्यालयों में क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना	2,00
(2) विद्यालयों में पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम;	2,50
(3) पूर्व माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार	2,50

छ—सामान्य :—

1—छात्रवृत्तियां —

(हजार रुपयों में)

1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–82 आय–व्ययक अनुमान
4	24	24

इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्न छात्रवृत्तियों के लिए आवश्यक प्राविधान किया गया है—

(हजार रुपये में)

क्रमांक	योजनाओं के नाम	वर्ष 1982–83 के लिए प्राविधान
1	राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय, देहरादून में छात्रवृत्तियां	15
2	नौगांव और अजमेर के मिलिटरी कालेजों में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति	2
3	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी खड़क वासला में उत्तर प्रदेश के छात्र सैनिकों के लिए छात्रवृत्तियां तथा छात्रवेतन	7
	योग ..	2

278—कला एवं संस्कृत—

(हजार रुपया में)

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	..	1,60	1,60
आयोजनागत	..	1,00	1,00

(ग) कला एवं साहित्य की प्रोन्नति नामक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कला एवं साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो धनाभाव से ग्रस्त हैं, वित्तीय सहायता दी जाती है ।

288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण—

(हजार रुपयों में)

	1980–81 वास्तविक व्यय	1981–82 पुनरीक्षित अनुमान	1982–83 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	23,50	2,69,74	2,69,74
आयोजनागत	56,55	3,25,62	4,03,27

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु शासन ने कतिपय योजनायें चलाई हैं। शिक्षा विभाग के अधीन उसके लिये एक अलग लेखा शीर्षक "288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" नामक योजनान्तर्गत वर्ष 1982–83 में कुल 67,301 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे निम्नांकित योजनाओं का संचालन किया जाता है :

(हजार रुपये में)

क्र0 सं0	शीर्षक	वर्ष 1982–83 में व्यवस्थित धनराशि	
		आयोजनागत	आयोजनेतर
1	2	3	4
1	अनुसूचित जन जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के बालकों/बालिकाओं की फीस हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान	..	55
2	अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के बालक/बालिकाओं की फीस हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान	..	10,00
3	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान	50,61	45,13
4	मेहतरों के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् को अनुदान	..	6,28
5	अनुसूचित जन जातियों के बालकों/बालिकाओं को कक्षा 1—5 तथा कक्षा 6—8 में छात्र वृत्तियां तथा अनावर्तक आर्थिक सहायता	1,71	3,00
6	अध्यापक–छात्र अनुपात को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों जिनमें उर्दू अध्यापक भी सम्मिलित हैं, की नियुक्ति	..	1,12,79
7	अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता	12,06	8,28
8	पिछड़ी जातियों के पूर्व माध्यमिक शिक्षा स्तर के बच्चों को छात्रवृत्तियों एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता	1,95	4,40
9	आदिवासियों के पूर्व माध्यमिक स्तर तक के अध्ययन कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता	2	1,68
10	ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों तथा बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा उनके भवनों के निर्माण हेतु अनुदान	70,64	77,68
11	ट्राइबल प्लान राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उन्नयन तथा नये हाई स्कूलों का खोला जाना	7,17	..
12	जनजाति एवं ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	20,00	..
13	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	38,59	..
14	ग्रामीण क्षेत्र में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता लाने हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान (जिला योजना)	7,56	..
15	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में वय वर्ग 6—14 वर्ष के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षा खोलने हेतु अनुदान (जिला योजना)	81,93	..

1	2	3	4
16	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वय वर्ग 9--14 के लिए अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान (केन्द्र द्वारा पुरो-निधानित)	30,60	..
17	नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों के पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान (जिला योजना)	7,88	..
18	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था हेतु अनुदान (जिला योजना)	7,00	..
19	ग्रामीण तथा नगर क्षत्रों में अंशकालिक प्रौढ़ साक्षर केन्द्रों की स्थापना (राज्य)	22,96	..
20	नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खालने हेतु अनुदान (जिला योजना)	11,08	..
21	जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान (जिला योजना)	4,20	..
22	ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये साज-सज्जा हेतु अनुदान (जिला योजना)	1,60	..
23	जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान (जिला योजना)	6,00	..
24	सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा के रख-रखाव हेतु अनुदान (जिला योजना)	2,40	..
25	राजकीय हाई स्कूलों का इन्टर तक उच्चीकरण	4,48	..
26	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश	6,30	..
27	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	4,50	..
28	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिये सुविधायें तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण	2,03	..
	कुल योग शीर्षक "288" ..	4,03,27	2,69,74

विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत प्राविधान का विवरण :--

(1) अनुदान सं0 69--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)--अधिष्ठान व्यय का आनुपातिक विवरण :

लेखा शीर्षक 477--शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

(हजार रु0 में)

1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
1874	1796	1373

इस शीर्षक के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के कार्यों के लिए जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सम्पादित होता है, 11 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय के हेतु आवश्यक प्राविधान किया गया है ।

वर्ष 1981-82 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 1826 रु0 का प्राविधान था, वर्ष 1982-83 में इसके लिए 1373 रु0 का प्राविधान किया गया है ।

(2) अनुदान संख्या 70--लेखा शीर्षक 459--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय :—

(1) निर्माण अनावासिक भवन (ड) शिक्षा ।

(हजार रुपयों में)

1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
10·00	6·00	..

शिक्षा विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु इस शीर्षक में वित्तीय वर्ष 1981-82 में 980 हजार रुपए का प्राविधान था । वित्तीय वर्ष 1982-83 में कोई प्राविधान नहीं है ।

(3) अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालय भवनों पर पूंजीगत परिव्यय):—

लेखा शीर्षक--477 शिक्षा, कला और संस्कृत पर पूंजीगत परिव्यय (प्राविधिक शिक्षा एवं खेल-कूद को छोड़कर)--

(हजार रुपयों में)

1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित व्यय अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
1,76,50	1,55,95	99,45

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालय भवनों के निर्माण की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1981-82 में इस योजना के अन्तर्गत 15630 रु0 का प्राविधान था । वर्ष 1982-83 में इसके लिए कुल 99·45 रुपये का प्राविधान किया गया है ।

(4) अनुदान संख्या 33--लेखा शीर्षक 499--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय--

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास--(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग (क) भवन-3 शिक्षा ।

(हजार रुपयों में)

1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
..	1,82,30	1,06,43

(5) अनुदान संख्या--55, लेखा शीर्षक "677-शिक्षा कला एवं संस्कृत के लिए ऋण" ।

(हजार रुपयों में)

	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 पुनरीक्षित अनुमान	1982-83 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	27·98	56·48	56·48
आयोजनागत	14·29	..	..

इस शीर्षक में सामान्य शिक्षा के लिए 2466 ऋण छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है । यह छात्रवृत्ति 50 रु0 प्रति माह एवं छात्रावास के छात्रों को 60 रु0 प्रतिमाह की दर से दी जाती है । यह छात्रवृत्ति हाई स्कूल के पश्चात उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सुयोग्य प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती है । इस छात्रवृत्ति की अर्हता हेतु अन्तिम परीक्षाओं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा अभिभावकों की आय 6 हजार रुपये वार्षिक से कम होना आवश्यक है । छात्र के नौकर हो जाने के एक वर्ष के पश्चात् अथवा पढ़ाई छोड़ने के तीन वर्ष के पश्चात् ऋण के रूप में दी गई धनराशि की वसूली आरम्भ होती है । शारीरिक अस्वस्थता तथा ऋणी की मृत्यु हो जाने के कारणों से ऋण की माफी का भी प्राविधान है इसके अतिरिक्त ऐसे ऋण छात्र/छात्राओं के बास अंश भाग को माफ करने का भी प्राविधान है । जिन्होंने अध्ययन कार्य अपना लिया है सबसे अधिक छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होते हैं । इस योजनान्तर्गत बी0 ए0 तथा बी0 एस-सी0, बी0 एड0, एम0 बी0 एस0, एल एल0 एम0 बंचलर इन्जीनियरिंग आदि के विद्यालयों के स्कालर को 75 रुपये प्रतिमाह से लेकर 100 रु0 प्रतिमास तक तथा छात्रावासी को 110 रु0 से लेकर 125 रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति योग्यतानुसार अनुमन्य है । वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए आय-व्ययक में इसके लिए 5648 की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1982-83 के लिए भी इस योजना के अन्तर्गत कुल 56, 48 हजार रुपये का प्राविधान है ।

पी0 एस0 यू0 पी0--51 शिक्षा--17-2-1982--1,800--(पी0 डी0) ।

NIEPA DC D00395